राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 6] चतुर्थ विधान सभा के छठे सत्र का आठवां दिवस [संख्या 6

बृहस्पतिवार, दिनांक 22 जनवरी, 1970

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.02 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सामान्य प्रशासन, कृषि, सार्वजनिक निर्माण, स्वा. शासन, सहकारिता, गृह, आयुर्वेद, पशु पालन, नियुक्ति, जनस्वास्थ्य, पर्यटन, भेड़ व ऊन विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या 89

श्री रावतराम।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री श्रवणलाल।

केज्वल लेबर पर व्यय

90. श्री श्रवणलाल (हिन्डोन) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अक्तूबर सन् 1968 से फरवरी सन् 1969 तक केज्वल लेबर (टेम्परी श्रमिक) परिशिक्षण स्कील (रहट) बनाने के लिये कितने कितने कब कब से रखे गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उपरोक्त लेबर को रखने के लिये राज्य सरकार से स्वीकृति ली गई है? यदि हां, तो कब ली गई है और नहीं तो क्यों नहीं?

(3) उपरोक्त लेबर पर कुल कितना खर्चा हुआ है? क्या यह सच है कि उन्हें अस्वीकृत दरों पर रखा गया है और रुपये 3·25 प्रति दिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से मजदूरी उठाई गई है परन्तु उन्हें रुपये 2.25 प्रति व्यक्ति ही चुकाई गई है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या उनके लिये परिचय पत्र दिये गये हैं? यदि हां, तो कब और नहीं तो क्यों नहीं दिये गये?

(5) क्या यह भी सही है कि जितने लेबर की मस्टर रोल बना करके पेमेन्ट उठाया गया है उतने कार्य नहीं कर रहे हैं?

(6) यदि हां, तो मस्टर रोल की असली कापी सदन की मेज पर रखें।

Page No 2

उप-मंत्री, कृषि (श्री हरिसिंह) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। केज्वल लेबर (टैम्प्रेरी श्रमिक) को नियुक्त करने का अधिकार कृषि अभियन्ता एवं सचिव को है।

(3) इस प्रकार रखी गई लेबर पर कुल 82,910.00 रुपये का खर्चा आया था। जो नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी नहीं। इस प्रकार की कोई व्यवस्था केज्वल लेबर के लिये नहीं है।

(5) जी नहीं।

(6) प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री श्रवणलाल : प्रश्न संख्या 5 में आपने जी नहीं कहा है। मैंने इसमें पूछा है क्या यह जितनी लेबर मस्टर रोल में लगी हुई है उतना पेमेंट उठाया गया है। उतने कार्य नहीं कर रहे हैं तो यह नीचे वाले में जी हां समझा जाय या ऊपर वाले में जी हां समझा जाय।

श्री हरिसिंह : प्रश्न के पांचवें खण्ड में मैंने कहा है लेबर जितनी मस्टर रोल बना रखा है उसमे अधिक नहीं लगाई गई है। जी नहीं में मैंने जवाब दिया है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : जी नहीं कहने का आधार क्या है ?

श्री हरिसिंह : जितने लेबर थे उतने ही का मस्टर रोल था।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : स्पेसिफिक ऐलीगेशन है जितने मस्टर रोल रखे गये थे एक्चुअल में उतनी लेबर साईट पर काम नहीं कर रही है। यह आपने जांच करने पर जवाब दिया है या सम्बन्धित अधिकारियों के लिख कर देने से ही जवाब दिया है ?

श्री हरिसिंह : इस प्रकार की बात नहीं है जितनी लेबर काम कर रही है उतनी ही मौके पर पाया गया है। अगर कोई शिकायत होती तो और जांच करवा लेते।

श्री श्रवणलाल : क्या यह सही है कि जयपुर में काम करने वाली टैम्प्रेरी लेबर की दरें स्वीकृत हैं ?

श्री हरिसिंह : अलग अलग जोब पर और अलग अलग रिक्वायरमेन्ट्स पर जो जिस तरह का जोब करना है उसी हिसाब से उसको पेमेन्ट होता है।

श्री श्रवणलाल : जो दरें आपके यहां स्वीकृत हैं। मैनकुली की और हेल्पर की 3.25 मैनकुली की और 3.25 हेल्पर की, कृषि मंत्रालय के वर्क चार्ज कर्मचारियों पर लागू होती हैं और स्टेंडिंग आर्डर 1964 के तहत प्रत्येक कर्मचारी या अन्य कर्मचारी के लिये 2.25 फी व्यक्ति के हिसाब से ये दरें हैं ?

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय जो स्वीकृत दरें हैं, मैंने निवेदन कर दिया। 2.25 की कोई दर नहीं है। कम से कम 3.25 की है।

श्री श्रवणलाल : क्या यह सही है कि मैनकुली और हेल्पर की 3.25 की दर

Page No 3

(श्री श्रवणलाल)
से आपने उठाया है, क्या यह नियमों के विरुद्ध है और उसकी रेट 2.25 विभाग की तरफ से मंजूर शुदा है।

श्री हरिसिंह : मैंने जवाब दे दिया है 3.25 निर्धारित दर है। इससे कम देने का प्रश्न ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि जो लेबर वहां पर वर्क कर रही है उसके लिये उनको वहां के नियम के अनुसार अनिवार्य है।

श्री हरिसिंह : करीब 300 वर्कर्स काम करते हैं उसमें 60-70 परमानेन्ट हैं बाकी वर्कचार्ज बेसिस पर हैं। अभी चार महीने में तीन हजार परशियन व्हील बनाने पड़े हैं, उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये टेम्प्रेरी लेबर की पूर्ति करनी पड़ती है। इसलिये 300-400 के करीब हर महीने नियुक्त हुई है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। सार्वजनिक निर्माण मन्त्री।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय ......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री श्रवणलाल : क्या यह सही है कि डिपार्टमेंट के अन्दर।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। सार्वजनिक निर्माण मन्त्री।

उपमन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माव सिंह) : (1) यह सही नहीं है।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय डिपार्टमेंट के अन्दर इस प्रकार के आदमी हैं।

(माननीय उपमन्त्री महोदय व माननीय श्री श्रवणलाल साथ साथ बोलते रहे।)

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : सुना नहीं क्या कहा ?

गिट्टी की खरीद और उसका भुगतान

91. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नेशनल हाईवे नं० 11 की मील 51 से 57 के निर्माण में रेल्वे से उधार पर सा. नि. वि. ने ठेकेदार को गिट्टी बिगा स्टेशन पर अथवा अन्य स्टेशनों पर दिलाई थी ?

(2) क्या यह सही है कि 35 हजार क्यू० फिट की गिट्टी रेल्वे से आई और 60 हजार क्यू० फि० का पेमेन्ट ठेकेदार ने विभाग से लिया जब कि रेल्वे को भी केवल 35 हजार क्यू० फिट का ही उधार पेमेन्ट किया गया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि रेट में बिगा रेल्वे स्टेशन से मौके पर ले जाने के कच्ची रूट का किराया भी साठ हजार क्यू. फी. गिट्टी का चार्ज किया गया है, जबकि बिगा रेल्वे स्टेशन से केवल 35 हजार क्यू. फी. गिट्टी ही पहुंची ?

(4) इस सम्बन्ध में विभाग ने क्या कार्यवाही की, यदि नहीं की तो क्यों नहीं ?

क्या इसमें कोई विभागीय अधिकारी भी जिम्मेदार ठहराया गया है ?

Page No 4

उप-मंत्री सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह): (1) यह सही नहीं है।

(2) रेल्वे से कितनी गिट्टी ठेकेदार लाया विभाग को जानकारी नहीं है। ठेकेदार को विभाग द्वारा 2,42,075 घन फुट गिट्टी का भुगतान किया है।

(3) ठेकेदार गिट्टी रेल्वे वैगन एवं अन्य यातायात के साधनों से लाया है किन्तु किराया भुगतान अनुबन्ध अनुसार 2.42,075 घन फुट का किया गया है।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

(5) प्रश्न नहीं उठता।

श्री दौलतराम सारण: आपने प्रश्न संख्या एक के जवाब में कहा जी नहीं। क्या आपने रेल्वे क्रेडिट नोट द्वारा ठेकेदार को गिट्टी ले जाने का प्रबन्ध नहीं किया?

श्री माधोसिंह: जी नहीं।

श्री दौलतराम सारण: यह सही नहीं है आपका उत्तर। मैं फिर कहता हूं क्रेडिट नोट पर आपने रेल्वे से ठेकेदार को गिट्टी ले जाने का प्रबन्ध किया है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): आपने यह फरमाया कि रेल्वे से गिट्टी उधार ली।

श्री दौलतराम सारण: ठेकेदार को क्रेडिट नोट पर आपने गिट्टी ले जाने की व्यवस्था की है। यह सही है या नहीं?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद): ठेकेदार को ठेका दिया गया था रेल्वे की रेट पर, चूंकि रेल्वे की रेट कम है किन्तु वैगनों की ठीक व्यवस्था नहीं हो सकी इसलिये ठेकेदार समय पर गिट्टी पहुंचाने के लिये और तरीकों से गिट्टी लाया और जो पेमेन्ट हुआ है वह ठेकेदार को रेल्वे के आधार पर पेमेन्ट किया गया है। रेल्वे का किराया कम था किन्तु दूसरे किराये में कोई खास फरक नहीं पड़ा।

श्री दौलतराम सारण: अध्यक्ष महोदय बड़े अफसोस की बात है गत बजट अधिवेशन पर बहस के दौरान में मैंने इस प्रश्न को उठाया था। माननीय चूरू से आने वाले सदस्य ने भी इस प्रश्न को उठाया था और आपने उस समय आश्वासन भी दिया था कि जांच की जायगी और आज आप ठीक विपरीत उत्तर दे रहे हैं। मैं जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि रेल्वे के अतिरिक्त गिट्टी ले जाने का रास्ता नहीं है।

श्री अमीनुद्दीन अहमद: यह सही नहीं है। पहले रेल्वे से लाया है और जहां रेल्वे से नहीं ला सकता था, रेल्वे का साधन नहीं था वहां दूसरे रास्ते से लाया है।

श्री दौलतराम सारण: दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, कोई सड़क ही नहीं है।

श्री अमीनुद्दीन अहमद: मैं भी यही कह रहा हूं कि रास्ता नहीं था। जहां सड़क है वहां हर जगह कोई रेल्वे थोड़े ही जायेगी। जहां गिट्टी रेल्वे से जा सकेगी वहीं जायेगी और बाकी जगह दूसरे साधन से जायेगी। रेल्वे का किराया अलग दिया गया था और रेल्वे से जो वहां पर पहुंचाई जा रही थी गिट्टी उसका हिसाब अलग बताया गया था। यह कैसे हो सकता है कि जहां सड़क बने वहां रेल्वे गिट्टी उतारती जाये।

Page No 5

श्री दौलतराम सारण : आपने रेल्वे क्रेडिट नोट में गिट्टी ले जाने की व्यवस्था की थी और वह गिट्टी जितने रेल्वे से ले जाने का ठेका था उससे अधिक गिट्टी ले गये हैं यह आपत्ति है और आपने अधिक गिट्टी का पेमेन्ट किया है जब कि रेल्वे द्वारा ज्यादा गिट्टी नहीं ले जाई गई और पेमेन्ट लिया है वह फर्जी है और किराया लिया है वह भी फर्जी है और हजारों रुपये उस ठेकेदार ने रेल्वे से वसूल किये हैं।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह कैसे हो सकता है। जितनी गिट्टी दरकार थी उसका ठेका ठेकेदार को दिया गया और रेल्वे जहां तक ले जा सकती थी उसके हिसाब से उसको भुगतान करना था तो जितनी रेल्वे से आई उसका रेल्वे के हिसाब से भुगतान किया गया है और क्योंकि उसको काम पूरा करना था और रेल्वे के वैगन पूरे नहीं मिल सके और दूसरे साधन से भी वह गिट्टी लेकर आया अतः उसका भी जो पेमेन्ट किया गया है वह रेल्वे के रेट से किया गया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : फर्जी पेमेन्ट किया गया है यह सारा।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : फर्जी पेमेन्ट कतई नहीं हुआ है।

श्री दौलतराम सारण : रेल्वे से जितनी गिट्टी आई वह कितनी थी और दूसरे साधनों से कितनी आई ?

श्री माधोसिंह : यह तो जानकारी नहीं है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : रेल्वे से गयी है और कोई दूसरा साधन नहीं था। रेल्वे से कितनी गिट्टी आई वही असली बात है।

श्री माधोसिंह : यह जानकारी नहीं दे सकते कि रेल्वे से कितनी आई और दूसरे साधन से कितनी आई। ठेकेदार से रेल्वे की रेट से देना तय किया था इसलिये उसको उसी हिसाब से पेमेन्ट किया है। कच्चे रास्ते से ले जाते तो उसको ज्यादा पेमेन्ट करना पड़ता। आप चाहें तो मैं दोनों की रेट्स बता सकता हूं। कच्चे रास्ते से ले जाने की रेट थी 108.10 और रेल्वे से ले जाने की रेट थी 90.16 और जो हमने उसको पेमेन्ट किया है वह रेल्वे का रेट से किया है। अब चाहे वह किसी साधन से भी ले गया हो हमने उसको पेमेन्ट कम रेट पर ही किया है। कच्चे रास्ते से देते तो वह ज्यादा था।

श्री रघुनाथ विश्नोई : रेल्वे के अलावा कच्चे रास्ते से गिट्टी ले गया था क्या ?

श्री माधोसिंह : जी हां, ले गया था।

श्री नत्थीसिंह : नवाब साहब कहते हैं कि रास्ता ही नहीं था।

श्री माधोसिंह : रेल्वे के रेट्स कच्चे रास्ते से कम पड़ते थे। परन्तु हम कच्चे रास्ते से काउन्ट करते तो उसको 108.10 के हिसाब से पे करना पड़ता और उसको हमने दिया है 90.16 के हिसाब से।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, यह बड़े घोटाले का प्रश्न है और राज्य का पैसा खा गये इसलिए उसको बचाना चाहते हैं। मैं तो स्पष्ट कहूंगा कि इसमें या तो साजिश है या फिर जानबूझ कर केस को दबाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछ लिया जाये। क्या यह साजिश है ?

श्री दौलतराम सारण : रेल्वे से जो गिट्टी ले जाने की व्यवस्था की थी वह गिट्टी कितनी थी यह बताइये और उसके अतिरिक्त कितनी गिट्टी ले गए और उसका पेमेन्ट कितना किया गया और रेल्वे से जो गिट्टी ले गया उसका कितना पेमेन्ट किया गया और वहां कुल कितनी गिट्टी की आवश्यकता थी ?

श्री माधोसिंह : यह मैं नहीं अर्ज कर सकता कि कितनी गिट्टी रेल्वे से गई और कितनी दूसरे साधन से गई। कच्चे वाले रास्ते की रेट ज्यादा पड़ती है, उसको वैगन्स नहीं मिले तो वह कच्चे रास्ते से ले गया और उसका भी पेमेन्ट हमने रेल्वे की रेट से किया है। उसका कम्पेरेटिव स्टेटमेन्ट आप चाहें तो मैं दे सकता हूं।

श्री दौलतराम सारण : कुल कितनी गिट्टी की आवश्यकता थी उस ठेकेदार के ठेके के लिए ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : 2 लाख 40 हजार क्यू० फा० गिट्टी की आवश्यकता थी और पेमेन्ट उस हिसाब से किया गया जो कि ठेकेदार से तय किया गया था।

श्री दौलतराम सारण : और व्हीकल किराया किस हिसाब से दी गयी ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : रेल्वे के किराये से।

श्री दौलतराम सारण : जो कच्ची लीड दी गयी वह किस हिसाब से दी गयी ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : वह जायज किराया था।

श्री दौलतराम सारण : मैं पूछना चाहता हूं कि कच्ची लीड कितनी दी गयी और रेल्वे की कितनी दी गयी ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : सब डीड में मौजूद है।

श्री दौलतराम सारण : यही तो घोटाले की बात है।

श्री माधोसिंह : हमने एग्रीमेन्ट के माफिक ही दिया है।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय यह बिलकुल झूठ है और शरारत पूर्ण है। इसमें हजारों रुपयों का घोटाला किया गया है। गिट्टी आई और सड़कों में नहीं लगी और यही बात है कि सड़कें तुरन्त ही टूट जाती हैं और उनकी कोई चैकिंग नहीं करता और शिकायत करते हैं तो उसकी जांच नहीं कराते।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : माननीय सदस्य जांच के लिए कहेंगे तो उसकी जांच करली जायेगी।

श्री नत्थीसिंह : मैं एक बात जानना चाहता हूं कि आपने क्रेडिट नोट तो कितने जारी किए और भुगतान कितने का किया और उसमें अन्तर कितने का है ?

श्री माधोसिंह : क्रेडिट नोट की जानकारी हमारे पास नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : पी. डब्लू. डी. ने दिया है क्रेडिट नोट।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : अगर आप चाहते हैं कि रेल्वे से कितनी गिट्टी आयी और दूसरे साधन से कितनी आयी तो उसकी जांच कराली जायेगी और उसकी इतला दे

Page No 7

(श्री अमीनुद्दीन अहमद)
दी जायेगी। लेकिन यह कहना चाहता हूं कि जो रेट तय किये गये थे और जो गिट्टी लगानी थी उसी रेट से पेमेन्ट किया गया जो कि एग्रीमेन्ट के अन्दर था।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): यह गटटी किस क्वैरी से जानी थी उसका नाम बता दें।

श्री माधोसिंह : रणधीसर क्वैरी से।

श्री भैंरोंसिंह (किशनपोल जयपुर): क्या सरकार को जानकारी है कि जितना पेमेन्ट किया गया है उतनी गिट्टी का ट्रान्सपोर्टेशन रेल्वे के द्वारा ही हुआ है ?

श्री माधोसिंह : यह जानकारी नहीं है। रेल्वे से भी हुआ है और कच्चे रास्ते से भी हुआ है।

श्री दौलतराम सारण : मूल प्रश्न तो यही है।

श्री भैंरोंसिंह : क्या यह सही है कि सरकार ने इसकी तस्दीक नहीं की जब मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि रेल्वे के अलावा अन्य मार्ग से ट्रान्सपोर्टेशन नहीं हो सकता था तो वह गिट्टी किस प्रकार से उस सड़क तक पहुंची जिसका आपने पेमेन्ट किया है ?

श्री माधोसिंह : मंत्री महोदय ने यह कभी नहीं कहा है।

श्री भैंरोंसिंह : क्या मंत्री महोदय की जानकारी में नहीं है तो आपकी जानकारी में है कि रेल्वे के अलावा अन्य साधन भी हैं पहुंचाने के ?

श्री माधोसिंह : अन्य साधन वह कच्चा रास्ता है।

श्री नत्थीसिंह : कहां से कहां को है ?

श्री माधोसिंह : रणधीसर से रतनगढ़...

श्री दौलतराम सारण : मुझे इनकी बुद्धी पर तरस आता है। और बिगा किधर है नक्शा तो जरा देखो। उत्तर देने खड़े हो जाते हैं भोंपू की तरह।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर !

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, बिलकुल बेहूदा तरीके से उत्तर देते हैं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : यह बोलने का तरीका नहीं है भोंपू की तरह।

श्री अध्यक्ष: भोंपू से मतलब माइक है। नेक्स्ट।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के मामले में मैंने दो सवाल उठाये थे एक बीकानेर से सूरतगढ़ सड़क का और दूसरा रतनगढ़ से बिगा, बीकानेर सड़क का और दोनों में मैंने घोटालों का इल्जाम लगाया था और मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि जांच करा लगे और मैंने यह प्रश्न फिर इसलिए पूछा है कि इन्होंने जांच नहीं कराई तो या तो यह इसमें मिले हुए हैं या किसी को बचाना चाहते हैं यह मेरा चार्ज लगाना है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। जांच कराने का क्या आश्वासन दिया था उप-मंत्री महोदय ?

श्री माधोसिंह : मेरी जानकारी में नहीं है।

Page No 8

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। मंत्री महोदय क्या जांच कराने का आश्वासन दिया था ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जांच करा देंगे और आपको बता देंगे।

श्री दौलतराम सारण : यह कब तक करवा देंगे ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : 15 दिन के अन्दर अन्दर आपको इनफर्मेशन दे दूंगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है कि मंत्री जी अब कहते हैं कि जांच करा लेंगे तो इतनी शिकायतें को थी इसलिए तकलीफ इनके मनमें होनी चाहिए, इतनी पीड़ा होनी चाहिए थी कि भविष्य में ऐसे घोटालों को रखने की दृष्टि से पहले ही जांच करा लेते।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री स्वायत्त शासन मंत्री।

रंगास्वामी एवं मेघवाल जाति के परिवार

92. श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम सादडी (मारवाड) तहसील देसूरी में रंगास्वामी एवं मेघवाल जाति के कितने परिवार बेघर हैं ?

(2) इन परिवारों को बसाने हेतु सरकार के पास क्या योजना है और उन्हें कब तक बसाया जा सकेगा ?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री मूलकराज सिंह) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का इस विभाग से संबन्ध नहीं है और समाज कल्याण विभाग से है।

श्री पृथ्वीसिंह : यह नगरपालिका क्षेत्र है फिर स्वायत्त शासन विभाग के अलावा और कौन इसका उत्तर देगा ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री भीखाभाई) : अध्यक्ष महोदय, इसमें साफ लिखा है कि ग्राम सादड़ी (मारवाड़) तहसील देसूरी में रंगास्वामी एवं मेघवाल जाति के कितने परिवार बेघर हैं इसका संबन्ध न तो नगरपालिका से है और न स्वायत्त शासन विभाग से है यह समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : यह किस विभाग से ताल्लुक है ?

श्री भीखाभाई : अधिक से अधिक वह हो सकता है तो समाज कल्याण विभाग का हो सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि ग्राम सादडी नगरपालिका क्षेत्र है ?

श्री भीखाभाई : सादड़ी दो हैं, एक मारवाड़ की सादड़ी और एक मेवाड़ की सादड़ी। इसमें साफ लिखा है ग्राम सादड़ी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि ग्राम सादड़ी (मारवाड़) नगरपालिका क्षेत्र है ?

श्री भीखाभाई : इसमें यह नहीं कहा है। इसमें ग्राम कैसे लिखा हुआ है··· (व्यवधान)···

Page No 9

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : मारवाड़ की सादड़ी ग्राम है क्या ?

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या राजस्थान में ऐसी कोई नगरपालिका है जिसके अन्दर गांव का एरिया शामिल न हो ?

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं है ।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि राजस्थान में एक भी ऐसी नगरपालिका नहीं है जिसमें गांव शामिल न हो ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, ऑर्डर प्लीज । (मंत्रीजी से) यह प्रश्न कहां भेज दिया है आपने ? कहां गया है ?

श्री मुल्कराज सिंह : इसको समाज कल्याण विभाग को ट्रान्सफर करने के लिए निवेदन कर दिया है । जहां तक माननीय सदस्य का प्रश्न है उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि इस गांधी शताब्दि में सरकार ने एक सर्क्यूलर जनरल निकाल दिया है कि जितने भी हरिजन बेघरबार हैं उनको बसाने की कोशिश की जाय ।

श्री पृथ्वीसिंह : कहां ट्रान्सफर हो गया है और इसका उत्तर कौन देगा ?

श्री अध्यक्ष : मैं इस सम्बन्ध में दर्याफ्त कर लूंगा । माननीय मंत्रीजी को मुझे सूचना देनी चाहिए थी इसके पूर्व तो यह प्रश्न यहां पर पैदा नहीं होता मुझे भी डार्कनेस में रखा है इस प्रश्न पर ।

नेक्स्ट, श्री गाड़िया ।

सहायक रजिस्ट्रार के विरुद्ध जांच

93. **श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां)** : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बारां के तत्कालीन सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, श्री मांगीलाल बालीचा, के विरुद्ध शिकायतों के आधार पर गत वर्ष की अवधि में किसी अधिकारी द्वारा जांच करवाई गई है ?

(2) क्या यह सही है कि जांच अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में सहायक रजिस्ट्रार के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के आधार पर आरोप सम्बन्धित रिमार्क लगाये हैं ?

(3) क्या सरकार ने उस जांच रिपोर्ट के आधार पर सहायक रजिस्ट्रार के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ?

(4) जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने कृपा करें ।

(5) क्या यह सही है कि रजिस्ट्रार सहकारी विभाग ने उक्त अधिकारी को निलम्बित करने की रिपोर्ट की है ?

सहकारी मंत्री (श्री अमृतलाल यादव :

(1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(5) जी हां ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या उस अधिकारी के विरुद्ध 2-3 वर्ष पूर्व कोई जांच कराई गई थी ?

श्री अमृतलाल यादव : जी हां। आपने गत वर्ष का पूछा था इसलिए गत वर्ष जांच नहीं की गई है। दो-तीन वर्ष पूर्व इसके बारे में जांच हुई थी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह प्रश्न गत तीन वर्षों से चल रहा है और बार बार स्थगित किया जाता है, और इस प्रश्न को दुबारा रिपीट किया था। मैंने पूछा है कि दो-तीन वर्ष पूर्व जांच करवाई है तो किस अधिकारी ने जांच की है और किन किन मामलों पर जांच करवाई है ?

श्री अमृतलाल यादव : माननीय अध्यक्ष, इस मामले की जांच के लिए कल ही मेरे पास इन्फर्मेशन आई है तो मैंने यह आदेश दे दिये हैं कि जब 67 में प्राइमाफेसी इस अधिकारी के विरुद्ध यह साबित हुआ है कि इनके खिलाफ जो शिकायतें हैं उनमें तथ्य हैं तो फिर अभी तक जांच क्यों नहीं करवाई गई। यह इन्फर्मेशन मुझे कल ही मिली है और कल ही मैंने यह आदेश दे दिये हैं कि इसकी रेग्युलर एन्क्वायरी करवाई जाय और उसके विरुद्ध कार्यवाही कराई जाय।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय मंत्री जी ने अभी कहा है कि दो-तीन वर्ष पूर्व जांच करवाई गई है तो मैं पूछना चाहता हूं कि किस अधिकारी ने जांच की और किन किन मामलों की जांच करवाई गई है ?

श्री अमृतलाल यादव : माननीय अध्यक्ष मैंने निवेदन किया है कि मुझे कल ही मालूम हुआ है।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) प्रश्नकर्ता।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या मंत्रीजी इस बात को स्वीकार करते हैं कि दो-तीन वर्ष पूर्व जांच करवाई है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि किस अधिकारी ने जांच की है और किन किन मामलों की जांच की है ? जांच कराई है तो बता दें :

श्री अमृतलाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, उप-रजिस्ट्रार से जांच कराई गई है और उप-रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्रार को अपनी रिपोर्ट दी है और रजिस्ट्रार ने गवर्नमेंट को लिखा है। यह मुझे कल ही मालूम हुआ है इस प्रश्न के उत्तर के सिलसिले में तो इस पर मैंने अर्ज किया है कि वह जांच तो थी प्राइमाफेसी और वह रेग्युलर एन्क्वायरी नहीं थी। आप रेग्युलर एन्क्वायरी का पूछ रहे हैं तो उसको अभी प्राइमाफेसी देखा है कि जो शिकायतें हैं वे कहां तक ठीक हैं, तो उससे यह मालूम हुआ है कि इन शिकायतों में तथ्य है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि रजिस्ट्रार ने प्राइमाफेसी के रूप में जो जांच की है और जो रजिस्ट्रार ने रिपोर्ट भेजी है उसके अन्दर क्या क्या आरोप थे ?

श्री अमृतलाल यादव : जो रजिस्ट्रार भेजे वही फाइनल नहीं होता है। गवर्नमेंट को भी सोचना होता है और उसके अगेन्स्ट में रेग्युलर एन्क्वायरी ······

श्री अध्यक्ष : आरोप क्या हैं यह पूछा है ?

श्री अमृतलाल यादव : अभी मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता है, क्योंकि मैंने उसके आदेश दिये हैं कल ही ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय मंत्री जी उत्तर देने में असमर्थ हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न को स्थगित किया जाय और दुबारा इसको लिया जाय। यह प्राइमाफेसी की रिपोर्ट है जिसमें आरोप लगे हैं और उसको रजिस्ट्रार के पास भेजा है और रजिस्ट्रार ने उनको निलम्बित करने का आदेश दिया है जिसको माननीय मंत्रीजी ने स्वीकार किया है, लेकिन वे सदन में इसको बताने में असमर्थ है, इसलिए इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री हरजीराम बुरड़क ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपका क्या आदेश है ? क्या स्थगित किया गया ?

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर चिन्तन कर रहा हूं ।

श्री भैंरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक जवाब दिलवा दीजिये। क्या मंत्री महोदय ने आदेश जारी करने से पहले उस फाइल को पढ़ा है ?

श्री अमृतलाल यादव : माननीय अध्यक्ष कल ही जब इस प्रश्न का जवाब मेरे पास आया है तो मुझे मालूम हुआ है तो मैंने फाइल मांगी है। रजिस्ट्रार की रिपोर्ट पर मुझे यह मालूम हुआ है कि इसमें कुछ तथ्य हैं तो मैंने कहा कि इसके लिए रेगूलर एन्क्वायरी क्यों नहीं करवाई गई?

श्री अध्यक्ष : आपको मालूम हुआ है कि तथ्य हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने उसको पढ़ा है और तथ्य को तथ्य माना है ।

श्री भैंरोंसिंह : आपने बिना पढ़े ही कैसे अनुमान लगा लिया कि इसमें तथ्य हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : तथ्य तो उसमें रजिस्ट्रार ने रिपोर्ट की है उससे मालूम हुआ है, रजिस्ट्रार ने कहा है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : रजिस्ट्रार की रिपोर्ट को आपने बिना पढ़े ही नहीं माना और वैसे ही ऑर्डर कर दिये।

श्री अमृतलाल यादव : ऐसा है, अध्यक्ष महोदय ·····

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक प्रश्न। क्या रजिस्ट्रार महोदय ने उक्त अधिकारी को निलम्बित करने के आदेश दिये हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : माननीय अध्यक्ष, किसी को प्राइमाफेसी एन्क्वायरी पर निलम्बित नहीं किया जा सकता है। सर्विस रूल्स में ऐसा है कि उसकी रेग्युलर एन्क्वायरी की जाय और रेग्युलर एन्क्वायरी करने के बाद अगर मुनासिब समझा जाय······

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आपके कहने का मतलब यह है कि राज्य सरकार उसके अनुसार जब तक एन्क्वायरी न हो जाय तब तक उसको सस्पेन्ड नहीं कर सकती है।

श्री अमृतलाल यादव : सस्पेन्ड करने के लिए देखना होगा···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने देखा नहीं कि रजिस्ट्रार ने जो रिपोर्ट पेश की है तो रजिस्ट्रार ने उनके प्राइमाफेसी क्या फैक्टस फाइन्ड आउट किये हैं। यह आपने नहीं पढ़ा है। फाइल को नहीं पढ़ा है फिर आपने क्या आदेश दे दिये, और बो ही चले आये हैं यहां पर।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय अध्यक्ष, मैंने यह निवेदन किया है कि उसके डिटेल में जाने के बजाय जो कुछ सरसरी निगाह से रजिस्ट्रार ने निवेदन किया ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सरसरी निगाह से क्या ? अध्यक्ष महोदय, यह क्या है ?

श्री अमृतलाल यादव : रेग्युलर एन्क्वायरी कराकर गवर्नमैंट के पास आजाय...

श्री भैरोंसिंह : क्या रजिस्ट्रार ने जो रिपोर्ट दी है उसमें यह भी लिखा है और रजिस्ट्रार ने उक्त अधिकारी को सस्पेन्ड करने के बारे में सिफारिश की थी ?

श्री अमृतलाल यादव : माननीय अध्यक्ष, रजिस्ट्रार ने उसके लिए सिफारिश की कि उसको निलम्बित किया जाय, लेकिन उसके ऊपर ही उसको निलम्बित नहीं किया जा सकता है। गवर्नमैंट को देखना होता है। इसलिए मैंने पत्रावली मंगाई है और आदेश दिये हैं कि रेग्युलर एन्क्वायरी कराई जाय ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। उसमें निलम्बित करने की रिकमन्डेशन रजिस्ट्रार की ओर से थी, नम्बर (1)। नम्बर (2) आपने जो रेग्युलर एन्क्वायरी करने के आदेश दिये हैं वह प्राइमाफेसी एवीडेन्स को देकर दिये हैं। ये दोनों बातें ठीक हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : माननीय अध्यक्ष, मुझे उसके डिटेल्स देखने हैं....

एक माननीय सदस्य : फिर आदेश क्या दिये हैं ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : वे कहते हैं कि देखा ही नहीं है।

श्री अमृतलाल यादव : फाइल देखने को मंगाई है और फाइल देखने के बाद ही उस पर विचार किया जायगा....

श्री अध्यक्ष : फाइल आपने देखी है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं देखी है।

श्री अध्यक्ष : फाइल नहीं देखते तो रिकमन्डेशन कैसे करते ? प्राइमाफेसी एवीडेन्स कैसे समझ में आती। फाइल तो देख ली है।

श्री भैरोंसिंह : यह तो आप कह रहे हैं कि देख ली है और वे कहते हैं कि नहीं देखी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : वे कहते हैं कि पढ़ी ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बड़ी दिक्कत है। माननीय मंत्री महोदय अगर निलम्बित कर देते तो दिक्कत और रजिस्ट्रार ने आदेश दिये उसको स्वीकार करें तो दिक्कत है।

Page No 13

श्री अमृतलाल यादव : माननीय अध्यक्ष, निलम्बित किया जा सकता है उसमें दिक्कत की बात नहीं है उसको किया जायेगा और उसके अगेन्स्ट कार्यवाही करने की होगी तो की जायगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): रजिस्ट्रार महोदय ने कितने अरसे पहले इसमें रिकमन्डेशन की थी ? उसको कितना समय हुआ है ?

श्री अमृतलाल यादव : यह मैंने बताया है... ...

श्री मोहनलाल मोदी : यह कितने अरसें की बात है ?

श्री अमृतलाल यादव : माननीय अध्यक्ष, मैंने पहले निवेदन किया कि यह मुझे अभी मालूम हुआ है।

श्री मोहनलाल मोदी : आपको कल मालूम हुआ है तो कल तो आपने देखा होगा कि कितने रोज पहले की उनकी रिकमन्डेशन है। कितना समय हो गया है रिकमन्डेशन किये हुए कि उनको निलम्बित किया जाय ?

श्री अध्यक्ष : उनकी रिकमन्डेशन का कागज कितने महीने पहले था जो कि आपके सामने कल आया है ?

श्री अमृतलाल यादव : मैंने अर्ज किया माननीय अध्यक्ष महोदय, वह शायद 1967-68 का था... ...

(विरोधी पक्ष की ओर से शेम-शेम की ध्वनि में अश्रव्य)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह मान कर चलें कि रजिस्ट्रार ने 1967-68 में जो सिफारिश लिख कर भेजी वह 67 से 70 तक राज्य सरकार के पास नहीं आई ?

श्री अध्यक्ष : आयी है, कल ही आयी हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न को पोस्टपोन किया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सवाल सस्पेन्ड करने का नहीं, सवाल इस बात का है कि राज कैसे चलता है। We are not interested in any body.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री देवीदत्त गाड़िया : 67 में उक्त आदमी को निलम्बित करने के आदेश रजिस्ट्रार ने दिये...

श्री अध्यक्ष : आप भाषण दे रहे हैं...

श्री देवीदत्त गाड़िया : ये तथ्य मंत्री महोदय के सामने कब आये...

श्री अध्यक्ष : कहा न कि कल आये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या मंत्री महोदय ने सम्बन्धित अधिकारियों से पूछा है कि तीन साल के बाद यह सिफारिश उनके सामने क्यों आई है ?

श्री मुकुटबिहारीलाल : उसको सस्पेन्ड किया जाय या नहीं पर जो इस आदेश को तीन साल तक स्लिप ओवर करते रहे, उनको सस्पेन्ड कराया जाय।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री भैरोंसिंह : एक प्रश्न । आप यह बताइये कि यह कागज रजिस्ट्रार ने देरी से भेजा या सचिवालय में देरी हुई ?

श्री अध्यक्ष : रजिस्ट्रार के यहां देरी हुई या सचिवालय में देरी हुई दो साल या डेढ़ साल ?

श्री अमृतलाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जिस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करना जरूरी होगा, वह कार्यवाही की जायगी । कहां इतनी देर लगी है यह तो मैं अभी आफ हैंड नहीं कह सकता । जिस अधिकारी ने गड़बड़ की है, उसके अगेंस्ट में क्या कार्यवाही की जानी चाहिये वह कार्यवाही की जायगी ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : आप यह देखेंगे कि इसमें कहां देर हुई है तो यह तो वही हुआ जैसा किसी ने कहा है पोस्ती ने पी पोस्त और दो दिन में चले ढाई कोस ...

श्री अध्यक्ष : उस बड़े महाकवि ने इतना कह दिया, वह तो काव्य में बोलता था ।

श्री भैरोंसिंह : जब कभी मंत्री महोदय से कोई सवाल पूछा जाता है तो कह देते हैं कि ऑफ हैंड नहीं कह सकता । अध्यक्ष महोदय, इसको पोस्टपोन किया जाना चाहिए...

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : तीन-तीन साल तक ऐसा हाल रहेगा तो भ्रष्टाचार कैसे रोकेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : या तो इसका मंत्री महोदय जवाब दे दें, नहीं तो इसको पोस्टपोन किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय इस समय जानकारी दे सकते हों तो दे दें, नहीं तो मैं इसको उस समय तक के लिए पोस्टपोन करता हूं जब तक कि इसकी जानकारी कर लें ।

नेक्स्ट । श्री हरजीराम बुरड़क

पुलीस थाना लाडनूं में डॉक्टर के विरुद्ध दर्ज मामला

94. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सही है कि सरकारी अस्पताल लाडनूं के डाक्टर श्री बी. बी. व्यास ने पुलिस थाना लाडनूं में एक रिपोर्ट की थी कि कस्बा लाडनूं में से वर्गों के बास में एक युवती को पानी में डुबो कर मार दी गई ? यदि हां, तो कब और उस पर पुलिस ने क्या कार्यवाही की ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि पुलिस थानेदार लाडनूं ने कोई कार्यवाही नहीं की तब राज्य सरकार के समक्ष यह मामला आया और उसकी जांच राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई ? यदि हां, तो जांच का क्या नतीजा रहा ? कौन कौन दोषी पाये गये और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या उपरोक्त केस में दोषी पाये गये व्यक्तियों के खिलाफ कोई चालान अदालत में किया गया है ? यदि हां, तो किन-किन

Page No 15

(श्री हरजीराम बुरडक)
के खिलाफ कब-कब चालान किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे।

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) जी नहीं।

(2) जी हां। जांच से पाया गया कि मु० किशनी ने आत्महत्या की थी। डॉक्टर ने एक रिपोर्ट अस्पताल से भिजवाई किन्तु शीघ्र बाद चपरासी को वापस बुला लिया जिससे थाने को इत्तला नहीं मिल सकी। डाक्टर के द्वारा की गई गफलत के लिये बाद जांच के विभाग द्वारा चेतावनी की सजा दी गई। उस डाक्टर ने बाद में इस्तीफा भी दे दिया है जो राज्य सरकार द्वारा मंजूर किया जा चुका है।

(3) जी नहीं।

श्री हरजीराम बुरड़क : क्या यह सही है कि आत्महत्या का मामला पुलिस के सामने आये तो उसमें भी चालान किया जाता है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : किसका चालान किया जाये ?

श्री मुकुन्दबिहारीलाल गोयल (बयाना): किसका ? मरने वाले का ?

श्री हरजीराम बुरडक : जो इत्तला नहीं दे, उसका।

श्री हीरालाल देवपुरा: पुलिस को इत्तला मिली नहीं इसलिये जांच का सवाल उठता नहीं था। बाद में आपकी तरफ से शिकायत आने पर जांच की गई तो मालूम हुआ कि आत्महत्या की गई थी, लड़की कुए में कूद कर मर गई। डाक्टर द्वारा की गई गफलत के लिए उसे चेतावनी की सजा दी गई, डाक्टर ने स्तीफा भी दे दिया अब वह सरकार की सेवा में नहीं है।

श्री हरजीराम बुरड़क : कितने अरसे बाद जानकारी मिली ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय प्रश्न बड़ा गम्भीर है, मंत्री महोदय इसे छुपा रहे हैं। दो तीन दिन बाद सरकार को इत्तला मिली है, वरिष्ठ अधिकारी को यहां से जांच के लिये भेजा है।

श्री हीरालाल देवपुरा : छुपाने की बात नहीं है। राज्य सरकार को इत्तला आपके पत्र द्वारा मिली, उसके तत्काल बाद क्राइम ब्रांच से अधिकारी को जांच के लिए भेजा गया। जांच के बाद मामला आत्महत्या का पाया गया।

श्री हरजीराम बुरड़क : तत्काल अखबार में छपी थी, उस पर यहां से वरिष्ठ अधिकारी को जांच के लिए भेजा गया था।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री जयनारायण सालोदिया।

कृषकों को दिये गये औजार

95. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान की हर पंचायत समिति क्षेत्र में सुधरे किस्म के जो कृषि औजार दिये गये हैं क्या किसानों ने इनको पसन्द किया है ?

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(2) क्या यह सच है कि अधिकतर औजार जो किसानों को दिये गये हैं वे बेकार पड़े हैं क्योंकि वे खेती कार्य के योग्य नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार के पास ऐसी कोई मशीनरी है जो किसानों से मिल कर औजारों में उनके सुझाव के माफिक सुधार करा सके ?

उप-मंत्री, कृषि (श्री हरिसिंह) : (1) जी हां।

(2) यह विषय पंचायत समिति से सम्बन्ध रखता है। जहां तक हमारी जानकारी है यन्त्र बेकार पड़े हुए नहीं हैं। सुझाव प्राप्त होने पर आवश्यक तकनीकी जांच कर सुधार किया जाता है।

श्री जयनारायण सालोदिया : आप किस जानकारी के आधार पर कहते हैं कि जो कृषि औजार दिये गये हैं वह बेकार नहीं पड़े हैं ?

श्री अध्यक्ष : बेकार नहीं पड़े हैं यही तो जानकारी है।

श्री जयनारायण सालोदिया : इस जानकारी का आधार क्या है ?

श्री हरिसिंह : आधार यह है कि किसी ने भी सेन्ट्रल वर्कशॉप को या रीजनल वर्कशाप को ऐसी शिकायत नहीं की है कि ये बेकार हैं, बेकार पड़े हुए हैं। अगर ऐसी कोई शिकायत हो तो उसका उल्लेख किया जाय, उसकी जांच करवाई जायगी।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या यह सही है कि जिला परिषदों और पंचायत समितियों की कार्यवाहियां राज्य सरकार में आती हैं ?

श्री हरिसिंह : आती होंगी पर जहां तक इम्प्लीमेन्ट्स का सवाल है हमारे पास इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई है कि वे खराब पड़े हैं या उनमें कोई टैकनिकल डिफैक्ट है।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या यह सही है कि टोंक जिला परिषद् द्वारा निर्णय किया गया है कि ऐसे औजार बांटे गये हैं जो काम में नहीं आते हैं ?

श्री हरिसिंह : हर औजार का पहले डिमोन्स्ट्रेशन होता है, फिर उसकी सुटेबिलिटी की, जिस काम के लिये वह आवश्यक होता है उसकी जांच करके फिर वितरित किया जाता है वर्कशॉप से।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या यह सही है कि पंचायत समितियों पर जबरदस्ती से ये कृषि औजार लाद दिये जाते हैं, वे जिनको जमीन का अलोटमेंट करती हैं उनको ये औजार लाजमी तौर पर देती हैं, जो किसी भी काम में नहीं आते।

श्री हरिसिंह : जबरदस्ती देने का ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। अगर कोई स्पेसिफिक केस बतायें तो मैं जांच करा सकता हूं। जिन इलाकों में ये इम्प्लीमेंट आवश्यक होते हैं वहां दिये जाते हैं।

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : क्या यह सही है कि आपके टेक्निशियन्स जिला परिषद् और पंचायत हैडक्वार्टर्स में जांच करने जाते हैं और वहीं से वापिस आ जाते हैं।

Page No 17

श्री हरिसिंह : 8 मोबाइल यूनिट्स डिपार्टमैन्ट की तरफ से रखे गये हैं उनका काम यह है कि 5 वर्कशॉप हैं वहां जाकर रिपेयर फैसेलिटीज की देख रेख करें।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या यह सही है कि पंचायत समितियों में विभाग का लाखों रुपया बकाया है और राज्य सरकार का बकाया पड़ा है और इसी लिये पंचायत समितियां नहीं दे रही हैं कि उनको इस प्रकार के बेकार औजार दिये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

नेक्स्ट।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : जहां तक इम्प्लीमैंन्टस का सवाल है इसकी जांच जरूर की जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : यह नोट करलें, जांच जरूर की जानी चाहिये।

नेक्स्ट, श्री भगवानदास शास्त्री।

विस्थापितों को प्रोमोशन देने का आधार

96. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर, पश्चिम) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पुलिस डिपार्टमैंट में पाकिस्तान से आये विस्थापितों को क्या सीनियोरिटी के आधार पर प्रोमोशन दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उनकी तरक्की के सम्बन्ध में विशेष परीक्षा ली जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) पाकिस्तान से आये हुए विस्थापितों के लिये प्रोमोशन के वे ही नियम हैं जो कि अन्य कर्मचारियों के लागू होते हैं।

(2) जी नहीं।

श्री भगवानदास शास्त्री : सी आई.डी. में जो विस्थापित काम करते हैं उनके प्रोमोशन के लिये हिन्दी में टैस्ट होता है।

श्री हीरालाल देवपुरा : ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई है कि सी. आई. डी. पुलिस में जो विस्थापित काम करते हैं उनको मना की गई हो।

श्री भगवानदास शास्त्री : सी आई.डी. पुलिस में जो पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित काम करते हैं वे इतनी हिन्दी नहीं जानते और टैस्ट हिन्दी में होता है। अगर आप कहते हैं कि आपने ऐसा कोई आदेश नहीं निकाला तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अजमेर नगर में सी.आई.डी. पुलिस में काम करने वाले विस्थापितों को, जो कि हिन्दी नहीं जानते, कहा गया है कि उनको भी जनरल टैस्ट में बैठना पड़ेगा।

श्री हीरालाल देवपुरा : ऐसा कोई आदेश मेरे ध्यान में नहीं है। नियुक्ति के लिये सब लोगों के लिये समान नियम हैं। विस्थापितों के लिये कोई सेपरेट रूल्स नहीं हैं।

श्री भगवानदास शास्त्री : इसका मतलब जो हिन्दी नहीं जानते उनके लिये भी टैस्ट में बैठना जरूरी है। तो उनको क्या प्रोमोशन के लिये हमेशा ही रोना पड़ेगा क्योंकि वे हिन्दी नहीं जानते ?

Page No 18

श्री हीरालाल देवपुरा : जो विस्थापित पाकिस्तान से आये हुए हैं उनको आगे बढ़ने के लिये कौन से चान्सेज दें ?

श्री भगवानदास शास्त्री : जो लोग 40 और 45 साल के हो गये और जो हिन्दी नहीं जानते उनको कठिन हिन्दी की परीक्षा में बैठने के लिये बाध्य किया जाता है यह नहीं होना चाहिये। वे अब कैसे टैस्ट में बैठ सकते हैं ?

गृह मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : साधारण हिन्दी जानना तो जरूरी है और जो रिफ्युजीज आये हैं उन्होंने भी साधारण हिन्दी का ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

श्री भगवानदास शास्त्री : साधारण तो जानते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : वह पर्याप्त है।

श्री भगवानदास शास्त्री : लेकिन टैस्ट कठिन हिन्दी में होता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : हिन्दी लेन्गवेज का इम्तिहान नहीं होता है, लेकिन पुलिस काम का मामूली सा टैस्ट लिया जाता है।

श्री भगवानदास शास्त्री : राज्य सरकार की सर्विस भी करें और कठिन हिन्दी भी पढ़े, यह कैसे सम्भव हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री भगवानदास शास्त्री : मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत कठिन हिन्दी में टैस्ट होता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपसे अर्ज करूं कि सी. आई. डी. और सिविल पुलिस कोई अलग अलग नहीं है। सिविल पुलिस से सी.आई.डी. और सी.आई.डी. से सिविल पुलिस में एक से दूसरी जगह जा सकते है। और तरक्की के लिए साधारण हिन्दी जानना ही जरूरी है हिन्दी नहीं जानने की वजह से किसी को इम्तिहान में नहीं बैठने दिया गया हो तो···

श्री भगवानदास शास्त्री : यह बात नहीं है। परीक्षा में बैठने तो दिया जाता है लेकिन परीक्षा हाई लेवल की हिन्दी में नहीं जानने की वजह से···

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर बढ़िया हिन्दी नहीं जानने की वजह से भी किसी को प्रोमोशन नहीं दिया गया हो तो मैं देख लूंगा।

श्री भगवानदास शास्त्री : यह ठीक है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री विठ्ठलप्रसाद शर्मा।

मंत्रियों द्वारा घोषणायें

97. **श्री विठ्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा) :** क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मंत्रिमंडल के सदस्य जब राजकीय दौरों पर जाते हैं तब क्या वे इस प्रकार की आम घोषणा नहीं करते कि चूंकि आप लोगों ने हमारे आदमी को नहीं जिताया इसलिये काम नहीं होंगे ?

(श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा)

(2) क्या राज्य सरकार विरोधी क्षेत्रों को अन्न, जल (राशन) भी बन्द करने का विचार कर रही है ?

(3) उक्त दृष्टिकोण क्या नैतिकता एवं मानवता के सिद्धांतों के अनुरूप है एवं स्वस्थ परम्पराओं को जन्म देने वाला है ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (1) नहीं।

(2) नहीं।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): आपने नम्बर (1) का जवाब दिया है जी नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि यह घोषणा की जाती है कि आपने इस इलाके से विरोधी आदमी को जिताया है इसलिए आपका काम नहीं करेंगे, स्कूल नहीं खोलेंगे, बिजली नहीं देंगे, सड़क नहीं बनवायेंगे और आप पर अत्याचार होता रहेगा। यह मन्त्रिमण्डल के सदस्यों की ही नहीं, स्वयं मुख्य मन्त्री भी कहते हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। इसके लिए जो नहीं कह दिया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या यह सही है कि जिला स्तर पर हरेक जिले के लिए एक मन्त्री को इन्चार्ज बना रखा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या कहा ?

श्री अध्यक्ष : जी नहीं।

(शोरगुल)

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या यह सही है कि कोटा जिले के लिये माननीय वित्त मन्त्री को नियुक्त कर रखा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं। मन्त्रिमण्डल से किसी की नियुक्ति नहीं की।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : मेजर श्री फतेहसिंह !

मेजर श्री फतेहसिंह (ब्यावर) : क्या यह सही है कि गये साल जून के महीने में पहले सप्ताह में जवाजा पंचायत समिति के बड़े खेड़े ग्राम में आपने भाषण दिया था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी हां।

मेजर श्री फतेहसिंह : क्या यह सही है कि वहां पर आपने आम जनता के सामने यह घोषणा की थी कि जब काम पड़ा तो हमारे पास आते हो हाई स्कूल खोलने के लिए और वोट फतेहसिंह को देते हो ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं।

(शोरगुल)

मेजर श्री फतेहसिंह : क्या यह सही है कि जब भी आप जाते हैं तो ऐसा कहते हैं ?

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): और मंत्रियों की बात तो आप छोड़िये, वे तो दया के पात्र हैं, लेकिन मुख्य मंत्री भी स्वयं ऐसा कहते हैं। इनको ऐसा कहने का क्या अधिकारी है? इनको हर एक टैक्सपेयर का काम करना है।

Page No 20

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर, ऑर्डर ! श्री देवी लाल बुरासिया ।

श्री दौलतराम सारण : मुख्य मंत्री कांग्रेस के खर्चे पर दौरा करें और ऐसी बात कहें तो भी आपत्ति नहीं, लेकिन सरकारी खर्चे पर दौरे पर जायें और इस तरह की बात कहें ....

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर, ऑर्डर !

श्री दौलतराम सारण : और इस तरह की बात कहें..........

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर ! माननीय सदस्य ।

श्री दौलतराम सारण :........कि विरधियों को वोट देते हो और काम के लिये हमारे पास आते हो, लानत है ऐसे मुख्य मंत्री पर ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर !

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर ! माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें ।

श्री दौलतराम सारण : मुख्य मंत्री को इस बारे में घोषणा करनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर, ऑर्डर ! जनसंघ के नेता महोदय ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि जनता में इस तरह का भ्रम फैला हुआ है कि विरोधी सदस्यों के क्षेत्रों में सरकार काम नहीं करायेगी और कांग्रेसियों के क्षेत्रों में काम करायेगी ? तो क्या सरकार इस तरह के भ्रम को मिटाने के लिये घोषणा करेगी कि किसी तरह का भेदभाव नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: विरोधी पक्ष के द्वारा यह प्रयत्न किया जाता है कि ऐसा भ्रम फैलायें, लेकिन सच बात तो यह है कि हमेशा जो काम किया जा सकता है वह किया जाता है और किया जाता रहेगा ।

श्री भैरोंसिंह : किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं करते ? तो इस प्रकार का जो जनता में भ्रम फैला हुआ है वह गलत है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : भ्रम का सवाल ही नहीं है ।

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : मुख्य मंत्री अटरू में गये थे, वहां पर... ...

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : भ्रम और फैलता जा रहा है, और मुख्य मंत्री इसलिये साफ जवाब नहीं दे रहे हैं कि इनका प्रचार करना फिर कठिन हो जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें ।

नेक्स्ट । आयुर्वेद मंत्री ।

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर, मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है ।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या यह सही है कि सरकार जनता की भाषा नहीं समझती ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 98 । आयुर्वेद मंत्री ।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

ऑर्डर, ऑर्डर। मेरे पास 15 सवाल रहते हैं। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरोंसिंह : क्या मुख्य मंत्री सदन को यह आश्वासन देंगे कि विरोधी दल के क्षेत्रों में और जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं उन क्षेत्रों में डवलपमेंट पाइंट के आफ व्यू से कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : भेद किया ही नहीं गया तो आश्वासन देने का प्रश्न ही कहां पैदा होता है?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : क्या यह मुख्य मंत्री के लिये शोभनीय है कि···

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : एक डेफीनेट प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: मेरे पास कई डेफीनेट प्रश्न है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मंत्रिमंडल का कोई सदस्य जनता में जाकर इस प्रकार की घोषणा करे कि क्योंकि आपने कांग्रेस को नहीं जिताया इसलिये आपका काम नहीं होगा, क्या यह शोभनीय है? आपकी इस सम्बन्ध में क्या नीति है?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : जवाब दिलाया जाय, साहब।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय···

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैंने पूछा है प्रश्न उसका जवाब आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मैं दिला दूंगा। आपके सवाल को मैं समझ गया हूं।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, शायद मुख्य मंत्रीजी का खुद का ऐसा विचार नहीं हो, पर क्या यह बात सही नहीं है कि आपके मिनिस्टर···

श्री फतेहसिंह : खुद मुख्य मंत्री दोषी हैं। खुद मुख्य मंत्री ऐसा कहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट ओफ आर्डर है। आप स्थान ग्रहण करें। माननीय नाहर!

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मेरा निवेदन यह है कि यह जो प्री-सपोजीशन किया गया है, तो कोई माननीय सदस्य के द्वारा कुछ प्री-सपोजीशन को लेकर अपनी बात को सदन में प्रस्तुत किया जाय तो उचित नहीं है।

कई माननीय सदस्य : ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक क्वेशन पूछा था···

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में एक बार नहीं अनेक बार इस तरह का निर्णय किया गया है कि प्रश्नों में कोई प्री-सपोजीशन नहीं हो।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह सही नहीं है क्या···

Page No 22

श्री मदनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब आना चाहिए। मेरे प्रश्न का जवाब आना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! आॅर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण करें। सभी माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। क्या कुछ सही नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : यह जो कुछ कह रहे हैं, वह भी सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप भी स्थान ग्रहण करें। माननीय दौलतरामजी।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : (हवामहल, जयपुर) आपके माध्यम से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरा एक स्पेसिफिक प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। आपका स्पेसिफिक प्रश्न है। मैं इस पर सहूलियत देना चाहता हूं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आपने मुझे इजाजत दे दी है कि...

श्री अध्यक्ष : मैंने कोई इजाजत नहीं दी। छः माननीय सदस्य एक साथ खड़े हो रहे हैं। इधर देखता हूं तो तीन माननीय सदस्य खड़े हैं, तीन इधर खड़े हैं। मुकुटबिहारी जी इधर खड़े हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैंने प्रश्न पूछ लिया है उसका जवाब आना चाहिए।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जो माननीय सदस्य पार्टियों के खड़े होते हैं उनको पार्टी के नेता कन्ट्रोल करें। लेकिन मैं स्वतन्त्र व्यक्ति हूं, मुझे प्रश्न पूछने की इजाजत देनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! वह खड़े हुए हैं उनका तो ख्याल कीजिए। माननीय सदस्य दांता खड़े हुए हैं।

श्री मदनसिंह : आप ख्याल करें। इनको तो मैं मना लूंगा।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री मदनसिंह : मैं स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आसन अपने पैरों पर है। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्य मन्त्रीजी को जो उत्तर देना था वह दे दिया है। क्या आप चाहते हैं कि आगे के प्रश्न नहीं हों और इसी पर चर्चा चलती रहे? मुझे आपत्ति नहीं है। एक साथ छः माननीय सदस्य खड़े होकर सवाल पूछें तब तो उसका कोई अर्थ सदन के लिए नहीं होता है। एक माननीय सदस्य दूसरे माननीय सदस्य को देख लें, खड़े हुए देखलें तो वह बैठ जायं। उनके बैठने पर खुद खड़े हो जायं। आपस में पारस्परिक सम्बन्ध का ध्यान रखते हुए एक माननीय सदस्य खड़े होते हैं तो मुझे सहूलियत होती है और

(श्री अध्यक्ष)
उत्तर प्राप्त करने में भी सहूलियत होती है। एक माननीय सदस्य खड़े हैं तो दूसरे माननीय सदस्य खड़े न होवें। यह पारस्परिक सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए खड़े हों।

श्री मदनसिंह : मेरा स्पेसिफिक सवाल यह है कि मुख्य मन्त्रीजी का यह ख्याल नहीं हो, लेकिन क्या यह सही है कि मुख्य मन्त्री जी को डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के लोग आकर यह सिफारिश करते हैं कि अमुक कान्स्टीट्यूएन्सी में काम कर दिया जाय •

श्री रघुनाथ विश्नोई : वह तो कहेंगे ही। आप भी कहते हैं।

श्री मदनसिंह : मुख्य मन्त्रीजी, आपके मन्त्रियों को आपके एम. एल ए. या कार्यकर्त्ता नहीं कहते हैं कि अमुक जगह ऐसा कार्य नही होना चाहिए ? मैं एजूकेशन मिनिस्टर से मिला हूं, उन्होंने कहा है। मैं दूसरे मन्त्रियों से मिला हूं, नवाब साहब का तो रवैया यह है कि कहते हैं, यह देख लेना, मोदीजी ने स्वीकृति दी है, या रामदेवजी ने स्वीकृति दी है या नहीं, फलां ने स्वीकृति दी है ···

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : यह नाजायज फायदा उठा रहे हैं नवाब साहब की सिधाई का।

श्री अध्यक्ष : एक। एक माननीय सदस्य का सवाल आगया।

श्री प्रेमसिंह सिघवी : क्या यह सही है।

श्री अध्यक्ष : एक माननीय सदस्य।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : क्या यह सत्य है कि मुख्य मन्त्रीजी···

श्री प्रेमसिंह सिघवी : जब मुख्य मन्त्रीजी मेरे क्षेत्र में पधारे थे तो मुख्य मन्त्रीजी के साथ में बृजसुन्दरजी और रामकरणजी थे। और श्री शर्मा ने यह कहा था मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी के लोगों को कि तुम लोगों ने प्रेमसिंह, जनसंघी को एम. एल. ए. के चुनाव में जिताया है तो यहां काम कराने की बात मत करो। और उस वक्त रामकरण जी ने गाली गलोच की और उनको चीफ मिनिस्टर साहब ने रोका। क्या यह सही है ··

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) ऑर्डर ऑर्डर ! एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण : मुख्य मन्त्रीजी उत्तर दे रहे हैं।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : क्या यह सही है ··

श्री अध्यक्ष : मैं तीन प्रश्न ले लेता हूं। उत्तर एक साथ आ जायगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, हमारे सवालों का जवाब नहीं दिलाना चाहते हैं। कोई भी प्रश्न का जवाब नहीं आया है। हमें प्रश्न पूछने की ख्वाहिश नहीं है, न हमें शौक है। यह नहीं है कि हम प्रश्न पूछ कर कोई शौक जाहिर कर रहे हैं। कई स्पेसिफिक सवाल आगये हैं।

श्री अध्यक्ष : आपका स्पेसिफिक सवाल पूछा हुआ है। मैं पूछता हूं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या यह सही है कि जयपुर में जब भंगियों की हड़ताल हुई थी और जयपुर में नारकीय स्थिति उत्पन्न हो गई थी उस समय मैंने स्वयं ने मुख्य मंत्रीजी को शहर की नारकीय स्थिति का दिग्दर्शन कराया था। लेकिन मुख्य मंत्री जी के यह कहने के बावजद कि मैं शीघ्र व्यवस्था करूंगा, आज तक जयपुर शहर के अन्दर कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : उस बात को तीन वर्ष हो गये हैं लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने एक भी पैसा व्यवस्था को ठीक करने पर खर्च नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इसको पक्षपात मानें या क्या मानें। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी यह कहते हैं कि मैं शुद्ध भावना सबके प्रति रखता हूं, सद्भाव सबके प्रति रखता हूं और किसी क्षेत्र के अन्दर इस प्रकार से भेदभाव नहीं बरतता हूं। लेकिन क्या यह भेदभाव नहीं है, जब कि मुख्य मंत्रीजी को मैंने स्वयं ने जयपुर की नारकीय स्थिति का दिग्दर्शन कराया ...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अवगत कराया। लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने इस क्षेत्र में एक पैसा भी खर्च नहीं किया।

श्री श्रवणलाल : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

आप दोनों समझौता कर लीजिये आपस में, एक बैठ जायं, एक खड़े रह जायं।

स्थान ग्रहण करें।

श्री बिट्ठलप्रसाद शर्मा : हम हमारे क्षेत्र में जब विभागाध्यक्षों से मिलते हैं तो वह कहते हैं कि आप कन्सर्निंग मिनिस्टर से इस बारे में हमको आर्डर करवाओ। क्या यह सही है कि विभागाध्यक्ष ..

श्री अध्यक्ष : प्रश्न होगया। माननीय श्रवणलाल।

श्री श्रवणलाल (हिन्डोन) : मेरा प्रश्न यह है कि मुख्य मंत्रीजी व अन्य मंत्री और सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों को लेकर इस बात की रोज चर्चा का विषय बनाया जाता है कि विरोधियों की कांस्टीट्यूएन्सी में काम नहीं होता है। और वास्तव में काम नहीं होता है—

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : ज्यादा होता है।

श्री भगवानदास शास्त्री : होता है होता है।

श्री श्रवणलाल : कोई जरूरी नहीं है कि सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों की कान्स्टीट्यूएन्सी में ही काम हो। मेरा निवेदन है कि इस बात की इनक्वायरी कराई जाय। जो चार्ज लगाते हैं, वह इस प्रकार के चार्ज लगाते हैं कि विरोधी मेम्बर होने के नाते उनकी कॉन्स्टीटयूएन्सी में काम नहीं कराये जाते। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र, हिन्डोन के अन्दर इस सरकार द्वारा सौतेला व्यवहार किया जाता है। अगर यह असत्य निकले तो मैं इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं ...

श्री अध्यक्ष : अभी मत दीजिये इस्तीफा।

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि गत वर्ष जब आपने मेरे क्षेत्र का दौरा किया था तो जैसा उत्तर में कहा गया है कि हम ऐसी कोई घोषणा नहीं करते या भाषण नहीं देते तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप यह अन्तरआत्मा से कहिये कि वास्तव में ··

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री): हम सब बातें अन्तरआत्मा से कहते हैं।

श्री पृथ्वीसिंह : क्या ऐसा भाषण नहीं दिया। अगर यह कहने की हिम्मत रखते हैं तो मैं कहता हूं कि आप इन्क्वायरी करवायें, मेरे पास में कॉन्क्रीट सबूत हैं, मैं इन्क्वायरी में साबित कराऊंगा कि आपका कहना बिल्कुल गलत है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री।

श्री पृथ्वीसिंह : प्रश्न में जो बात लिखी गई है वह बिलकुल सत्य है और इनका उत्तर झूठा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मन्त्री ! अब कोई प्रश्न नहीं होगा। (श्री फतहसिंह के खड़े होने पर) एक प्रश्न और हो जाय उसके बाद मुख्य मन्त्री।

मेजर श्री फतहसिंह : क्या मुख्य मन्त्री जी जवाब देंगे ···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुख्य मन्त्री जी क्या जवाब देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विरोधी सदस्य की कॉन्स्टीट्यूएन्सी में काम होते हैं, अगर सदस्य जागरूक हों और मजबूत हों। उनके यहां काम होते हैं अगर कोई जूता लगाने वाला होता है। अगर आप जागरूक हैं और मजबूत हैं तो आप जायेंगे तो यह कुर्सी पर बैठायेंगे और आपको चाय पिलायेंगे, काफी पिलायेंगे और हंसराज जी बाहर बैठे रहेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे। आपके पास में ताकत होनी चाहिए। आप जायें तो व्यक्तिगत काम लेकर नहीं जायं, जनता का काम लेकर जायं तो कमरे से बाहर आजायेंगे और आपको कमरे में लेकर जायेंगे।

श्री नत्थीसिंह : यह बात सही है जो सतीश जी ने कही है लेकिन जनता में भ्रम फैला हुआ है। काम होता है यह बिलकुल सही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गंगानगर के चार सदस्य और तीन मन्त्री होने पर भी हंसराजजी चिल्लाते रहे लेकिन विरोधियों ने आन्दोलन शुरू किया तो सरकार झुकती चली गई, झुकती चली गई। क्या बात करते हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

मेजर श्री फतहसिंह : मुख्य मन्त्रीजी ने जो जवाब दिया उसके सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यदि कोई मिनिस्टर इस प्रकार की बात जाकर जनता के सामने कहता है तो क्या वह शोभनीय बात है ? अगर इस तरह से काम कराते हैं तो क्या शोभनीय है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जरूर अशोभनीय है।

Page No 26

मेजर श्री फतहसिंह : वृजसुन्दरजी गये साल इन्टक की सभा में गये थे वहां जनता को कहा कि तुमने मेजर फतहसिंह को वोट दिया तो हमारे पास काम के लिए आते हो। क्या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष : मुख्य मन्त्रीजी स्पष्टीकरण करना चाहें तो करदें।

(12 मध्यान्ह)

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): इसमें बहुत बहस हो गई है, माननीय अध्यक्ष जी। और मैं समझता हूं सारी चर्चा के बारे में जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्रजी रियेलाइज भी करते हैं, उन्होंने स्वयं ने कह दिया कि यहां यह सवाल उठाना ठीक नहीं पड़ता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर!

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर यह निवेदन करना चाहता हूं इस बात को कि विरोधी कहीं से भी चुनकर आयें वहां पर काम नहीं किया जायेगा यह कभी हमारा रुख नहीं रहा है। राजनैतिक दृष्टि से आप लोग चुनकर आ गये, आगे वहां से कांग्रेस जीतना चाहती है इसलिये वहां काम न करे यह सवाल ही पैदा नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

एक माननीय सदस्य : प्रश्न संख्या 99।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न सख्या 102।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या कुछ नहीं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने यह व्यवस्था दी थी

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने प्रश्न संख्या 93 के लिये कहा था। माननीय मन्त्री स्पष्टीकरण कर दें तो ठीक है। स्थगित करते हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : स्थगित करदूं ?

श्री अमृतलाल यादव (मन्त्री, सहकारी विभाग) : माननीय अध्यक्ष, इसको अगली टर्न के लिये पोस्टपोन कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पहले ही कह देते यह।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान लोक सेवा आयोग में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व

89. श्री रावतराम (छापर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार राजस्थान लोक सेवा आयोग में अनुसूचित जाति के लोगों के हितों की रक्षार्थ अनुसूचित जाति के व्यक्ति को आयोग में शामिल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक नियुक्ति की जावेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

(श्री रावतराम)

(2) क्या सरकार की नजर में राजस्थान में अनुसूचित जाति का कोई ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं है जिसे आयोग में नियुक्त किया जाय ?

उत्तर

सरकार लोक सेवा आयोग के सदस्य के पद पर किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की नियुक्ति के विरुद्ध नहीं है। जब लोक सेवा आयोग के सदस्य का स्थान रिक्त होगा तो इस प्रश्न पर विचार किया जावेगा।

रिक्त स्थान होने पर ही यह प्रश्न उठता है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अलवर जिले में सार्वजनिक निर्माण मंत्री का दौरा

91. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सार्वजनिक निर्माण मंत्री गत 3 वर्षों में अलवर जिले की किन किन तहसीलों में कितनी बार गए हैं ? इन यात्राओं का कितना कितना व्यय उठाया है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

गत तीन वर्षों में सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने अलवर जिले में निम्नलिखित तहसीलों का दौरा किया:—

क्रम सं०	तहसीलों का नाम	दौरों की संख्या
1	2	3
1.	तिजारा	16
2.	अलवर	16
3.	टपूकड़ा (सब-तहसील)	3
4.	रामगढ़	2
5.	कोटकासिम	3

इस अवधि में लिए गए सम्पूर्ण यात्रा भत्ते की सूची सदन की मेज पर रखदी है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

मंत्रियों के बंगलों का किराया

92. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कौन कौन मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप-मंत्री गैर सरकारी बंगलों में रह रहे हैं, और उनका अलग अलग कितना किराया अदा किया जा रहा है, एवं किराये के अलावा और कितना खर्चा इन निवास स्थानों के ऊपर अलग अलग, अब तक किया गया है ? मकान मालिकों के नाम व पते तथा उनमें रहने वाले मंत्रियों के नाम तथा उन पर निवास की दृष्टि से किया गया कुल व्यय की एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जयपुर शहर में कुल कितने सरकारी बंगले हैं, और उनमें से कितनों में राजपत्रित अधिकारी निवास करते हैं ?

(3) जिन बंगलों में ये मंत्री लोग रह रहे है क्या उनको देय किराये की बाबत सार्वजनिक निर्माण विभाग से कूंत करवा ली थी ? यदि नहीं, तो किराये का निर्धारण किस आधार पर किया गया।

(4) राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम के अधीन इन लोगों के ऊपर निवास की दृष्टि से कितना खर्चा होना चाहिये उससे अधिक खर्चा किस किस पर हुआ है ?

उत्तर

वांछित सूची सदन की मेज पर रखदी है। किराये के अलावा इन गैर सरकारी बंगलों पर अन्य कोई खर्चा नहीं हुआ है। ऐसे आवास गृहों का किराये के रूप में रुपया 74, 736. 18 (अब तक) भुगतान किया गया है।

जयपुर शहर में कुल सरकारी बंगले (ए से ई श्रेणी के)181 हैं। जिनमेंसे 131 बंगलों में राजपत्रित अधिकारी रह रहे हैं।

जी, हां।

नियमानुसार किराये पर 625) रुपया मासिक खर्चे का प्रावधान है।

उपयुक्त मकानों की कमी के कारण कुछ मामलों में यह खर्चा सीमा से अधिक हुआ है, जैसा कि उपरोक्त तालिका से विदित होता है:

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिए)

सचिवालय में एक ही स्थान पर कार्य करने वाले आई. ए. एस., आर. ए. एस. एवं अन्य कर्मचारी

93. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सचिवालय में आई. ए. एस. के ऐसे कितने अधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति 3 साल से अधिक है? सब से अधिक समय से कौन कौन से आई. ए. एस. अधिकारी सचिवालय के एक ही स्थान या बदल बदल कर विभिन्न स्थानों पर नियुक्त हैं?

(2) आर. ए. एस. के ऐसे ही तीन साल से अधिक अवधि से नियुक्ति अधिकारियों की सूची भी सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें?

(3) सचिवालय में एक ही शाखा में कितने वरिष्ठ लिपिक और उससे ऊपर के अधिकारी एक ही शाखा में 3 साल से अधिक समय से नियुक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) प्रशासनिक दृष्टि से सचिवालय के काम में गति व एफिशियेन्सी लाने की दृष्टि से सरकार अपाइन्टमेंट्स के बाबत क्या नीति रखती है?

उत्तर

(1) छः आई. ए. एस. व चार आर. ए. एस. अधिकारी ऐसे हैं जिनका शासन सचिवालय में पदस्थान तीन वर्ष से अधिक समय का है। अवधि के क्रमानुसार सूची संलग्न है।

(3) सचिवालय में वरिष्ठ लिपिक और उससे ऊपर के विभिन्न वर्गों के 209 अधिकारी एक ही शाखा में तीन साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं। सूची संलग्न है।

(4) सचिवालय के कार्य में गति व कुशलता लाने के लिये कर्मचारियों की नियुक्ति करते समय सेवा नियमों के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। इन नियमों के अन्तर्गत नई नियुक्तियां सीधी भर्ती के द्वारा जिसमें परीक्षा भी शामिल है तथा पदोन्नतियां लोक सेवा आयोग व चयन समिति की सिफारिश के

Page No 29

(मुख्यमंत्री)
आधार पर की जाती हैं। चयन समिति सम्बन्धित कर्मचारी के गोपनीय अभिलेख तथा अन्य अभिलेख देखकर योग्यता का मूल्यांकन करती है। पदोन्नति के योग्य न समझे जाने वाले व्यक्तियों को पदोन्नति नहीं दी जाती।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध गबन एवं भ्रष्टाचार के मामले

94. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे:—

राजस्थान में सन् 1966-67 से 69-70 में कुल कितने राजपत्रित अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध गबन व भ्रष्टाचार आदि के मामले चल रहे हैं? उनमें से कितने निलम्बित व बरखास्त किये गये तथा कितनों के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमें चल रहे हैं? तथा कितने अधिकारियों के विरुद्ध कितने समय से जांच चल रही है?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

एग्जीक्यूटिव इन्जिनीयर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें

95. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या नियुक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान कृषि इन्जीनियरिंग बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर श्री डी. के. भार्गव के विरुद्ध सतर्कता आयोग राजस्थान एवं सम्बन्धित विभाग को भ्रष्टाचार एवं फर्जी कार्यवाही से सम्बन्धित शिकायत हुई हैं?

(2) यदि हां, तो शिकायत में क्या क्या आरोप लगाए गये?

(3) क्या यह सही है कि सतर्कता आयोग ने अपनी जांच में कई आरोप सही पाये हैं तथा सरकार को उस सम्बन्ध में आरोप के आधार पर कोई सुझाव दिये हैं? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध सतर्कता आयोग ने किन किन आरोपों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए सरकार को किस तारीख को लिखा? सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां, राजस्थान सतर्कता आयोग को शिकायत प्राप्त हुई हैं।

(2) परिवाद में निम्न आरोप अंकित किये गये हैं।

(क) श्री भार्गव राजकीय वाहन को अपने निजी उपयोग में लेते थे।

(ख) अनियत मजदूरों (Casual Labour) का माह अप्रेल, 1968 का मस्टर रोल जो सहायक अभियन्ता एवं अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा प्रमाणित था इसके उपरान्त भी उस मस्टर रोल को स्वीकृत न कर दूसरा मस्टर रोल बनवाया गया जिसमें राजपत्रित अवकाशों के दिनों को भी श्रमिकों की उपस्थिति बढ़ाई गई है यद्यपि कृषि अभियांत्रिक कारखाना भी (Agriculture Engineering workshop) उन दिनों में बंद रहा था।

(नियुक्ति मंत्री)
परिवाद में श्री भार्गव द्वारा श्री रक्षपालसिंह, श्रमिक कि दैनिक श्रम दर को तीन रुपये के स्थान पर तीन रुपया पचास पैसे में संशोधन भी किये जाने के आरोप अंकित हैं।

(ग) इन्जीनियरिंग वर्कशाप के कर्मचारियों से अपने निवासस्थान पर निजी एवं घरेलू कार्य लेते हैं।

(3) जो नहीं परिवाद की सतर्कता आयोग ने भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से जांच करा आरोप सिद्ध नहीं होने से मामला नस्तीवद्ध (फाईल) कर दिया।

सदरथाना अलवर के थानेदार के विरुद्ध कार्यवाही

96. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री उजागर सिंह थानेदार सदरथाना अलवर में 1965-66 में नियुक्त था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त थानेदार ने एक कत्ल के अपराधी श्री डेहरासिंह लबाना सिख लावारी से एक दो हजार रुपये में 12 बोर की बन्दूक खरीदी थी ? क्या इस बन्दूक के खरीदने की मन्जूरी सरकार से ली थी या इसकी सूचना दी थी ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त थानेदार रामगढ़ थाने में भी नियुक्त रहा था ?

(4) क्या यह भी सही है कि थाने के अन्दर से एक बड़ा भारी हरे नीम का वृक्ष काटकर अपने मकान के काम में लिया और उजागरसिंह के खिलाफ श्री किशनसिंह थानेदार ने चोरी से नीम काटकर ले जाने की रिपोर्ट अधीक्षक आरक्षी मण्डल, अलवर को दी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि कुछ कार्यवाही की गई हो तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने कि कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त थानेदार ने एक बन्दूक श्री डेहरासिंह से जुलाई, 66 में खरीदी थी तब वह अपराध घटित ही नहीं हुआ था, जिसमें बाद में डेहरासिंह भी नामजद हुआ व चालान भी किया गया था। श्री उजागरसिंह ने जिलाधीश से लाईसेन्स प्राप्त किया था। राज्य सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी।

(3) जी हां।

(4) इस प्रकार की शिकायत पर जांच कराई गई थी। पेड़ कटवाकर निजी काम में नहीं लिया जाना पाया। यह पेड़ सूखा था और हवालात से सटा हुआ था व निगरानी में रुकावट पैदा करता था अतः इसे कटवाया गया। लकड़ी पुलिस थाना के मैस में काम में ली गई।

पुलिस द्वारा पीटे जाने से कुए में कूद कर आत्महत्या।

97. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दिसम्बर, 1967 में झुंझुनू जिले के अन्तर्गत माओ

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
नामक ग्राम के निवासी गूगन जाट ने पुलिस द्वारा निर्दयतापूर्वक पिटाई किये जाने के फलस्वरूप कुए में कूदकर आत्महत्या कर ली ?

(2) क्या यह सही है कि आत्महत्या के समय उक्त व्यक्ति पुलिस हिरासत में था ? यदि नहीं, तो इसको कब गिरफ्तार किया गया और कब छोड़ा गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं । वे गूगन जाट आत्महत्या के समय पुलिस हिरासत में नहीं था ना ही उसे गिरफ्तार किया गया । पुलिस द्वारा मुकद्मे में पूछताछ की जा रही थी ।

पाक समर्थक तत्वों द्वारा पाकिस्तान का झंडा लहराया जाना

98. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर के सूरसागर नामक पहाड़ पर कुछ समय पूर्व मुस्लिम मनोवृत्ति के पाक समर्थक तत्वों ने पाकिस्तान का झंडा एक मजार या मस्जिद पर लहराया था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पहाड़ी स्थान पर पहिले कभी भी मजार या मस्जिद नहीं थी और सन् 65 के समय रहस्यमय ढंग से बनाई गई ?

(3) क्या यह सही है कि जिस स्थान पर यह मजार बनाई है वह सुरक्षित क्षेत्र है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त स्थान के आस पास सुरक्षा की दृष्टि से बनाये गये हवाई अड्डे आकाशवाणी एवं सेना के केम्प आदि हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) यह सही है उक्त पहाडी स्थान पर पहले कोई मस्जिद या मजार नहीं थी । सन् 1968 में पहाड़ी की तलेटी में एक मजार अवश्य अवैधानिक रूप से बनाया गया इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा रिलीजियस बिल्डिंग एवं प्लेसेज एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

(3) जिस स्थान पर मजार बनाई गई है वह क्षेत्र "सुरक्षित" क्षेत्र नहीं है । यहां किसी व्यक्ति के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

(4) जी नहीं । प्रश्न ही नहीं उठता ।

डीडवाना के हैड कॉन्सटेबल के विरुद्ध शिकायतें

99. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री महबूब खां, हैड कांस्टेबल, पुलिस चौकी कस्बा डीडवाना के खिलाफ कोई शिकायतें पुलिस के उच्च अधिकारियों को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कौन कौन सी ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त हैड कान्सटेबिल के खिलाफ प्राप्त, शिकायतों

(श्री हरजीराम बुरड़क)
की जांच पुलिस के अधिकारियों ने की ? यदि हां, तो जांच का नतीजा क्या रहा ?

(3) क्या उक्त शिकायतों पर कोई कार्यवाही चालू है ?

(4) उक्त अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां, श्री महबूब खां मुख्य आरक्षी, डीडवाना के खिलाफ 2 शिकायतें अधीक्षक, आरक्षी मण्डल, नागौर को प्राप्त हुई है पहली शिकायत अदालत मुंसिफ मजिस्ट्रेट डीडवाना से मुकद्मा बशीर बनाम हरकरण के संबंध में जारी हुए सम्मनों की तामील जान बूझ कर न कराने बाबत तथा दूसरी, श्री चुनाराम द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराते वक्त मुकदमा दर्ज न कर अपमान करने बाबत ।

(2) इन दोनों शिकायतों में मुख्य आरक्षी महबूब खां, जांच से दोषी नहीं पाया गया ।

(3) जी नहीं । कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है ।

(4) अधिकारी दोषी ही नहीं पाया तो उसके विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं थी ।

भारत-पाक संघर्ष के समय प्राईवेट मोटरों का प्रयोग

100. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने 1965 में भारत-पाक संघर्ष के समय आम लोगों की व्यक्तिगत मोटरों को सरकारी काम में लिया था ? अगर हां, तो कुल कितनी मोटरें काम में ली गई थी ! जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने एक आदेश निकाला था कि इन मोटरों का तीन माह का टैक्स नहीं लिया जावेगा ? अगर हां, तो आज तक उनका उन तीन महीनों के टैक्सेज जो उनसे वसूल हो चुका है भुगतान वापिस क्यों नहीं हुआ है और भविष्य में कब तक कर दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी हां । जिन व्यक्तियों के वाहन रिक्वीजीशन किये गये थे उनको 3 महीने के टोकन टैक्स की छूट दी गई थी । इस छूट का लाभ लेने के लिए कितनी दरख्वास्तें आई और उन पर क्या कार्यवाही हुई इसका सम्बन्ध यातायात विभाग से है ।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिए)

लाडनूं क्षेत्र के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में चल रहे मामले

101. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील लाडनूं जिला नागौर के क्षेत्र के कई मामले भ्रष्टाचार निरोध विभाग में चल रहे हैं ? यदि हां, तो कौन कौन से मामले किस किस

Page No 33

(श्री हरजीराम बुरडक)
के खिलाफ कब कब से चल रहे हैं और उनमें क्या क्या कार्यवाही हुई है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जिन मामलों में चालान नहीं किया गया है उनका चालान कब तक कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) हां इस विभाग में लाडनूं तहसील के अधिकारियों व कर्मचारियों के पांच मामलों में इस विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है उनमें से 1 मामले को न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है। दूसरे मामले में अभियोजन स्वीकृति का प्रश्न विचाराधीन है। तीन में जांच चल रही है और शीघ्र ही पूर्ण की जावेगी। सूची परिशिष्ट (अ) में अंकित है।

(2) प्रत्येक केस की स्थिति भाग (1) के उत्तर में बताई गई है। पहले मामले को छोड़कर बाकी चार में विधिवत कार्यवाही होने पर ही चालान किये जा सकेंगे।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

कठूमर-मण्डावर सड़क

102. श्री गंगासहाय (कठूमर): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कठूमर से मन्डावर तक बनने वाली सड़क का ठेका कब हुआ और उसका निर्माण कार्य कब आरम्भ हुआ?

(2) अब तक कितनी मील सड़क पक्की बन चुकी है।

(3) अब तक इस सड़क के निर्माण पर कुल कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है?

(4) क्या इस सड़क के निर्माण में जिन किसानों की भूमि अवाप्त की गई है उन सभी को मुआवजा दिया जा चुका है? यदि हां, तो कब व कितना और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) मील 6 से 9 का ठेका 23-9-65 को मील 10 से 12 का ठेका 19-6-65 को मील 3 का ठेका 6-1-69 तथा मील 4 व 5 का ठेका 18-2-69 को दिये गये हैं और कार्य उक्त समय से चालू हैं।

(2) दो मील डामर रोड़ बनादी गई है। मील 3 से 5 में मिट्टी का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है।

(3) 2,28,930 रुपये की धनराशि खर्च की जा चुकी है।

(4) जी नहीं, भूमि अवाप्तगी की कार्यवाही चालू है।

टहला-दौसा सड़क की मरम्मत

103. श्री गंगासहाय (कठूमर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि टहला (अलवर) से गोला-का-वास होकर दौसा को जाने वाली सड़क सरसा देवी के पास टूटी हुई है? यदि हां, तो यह सड़क कब टूटी थी?

(श्री गंगासहाय)

(2) क्या इस टूटी सड़क को सरकार ने दुबारा बनवाई थी ?

(3) क्या यह भी सही है कि बरसात के दिनों में सड़क के टूटे होने के कारण और पानी के बहाव के कारण बसों का चलना बन्द हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क को आगामी वर्षा ऋतु से पूर्व बनवायेगी ?

उत्तर

(1) सड़क मील 49 पर वर्ष 1963-64 में टूटी थी।

(2) जी नहीं डाइवर्सन रोड बना कर यातायात चालू रखा गया है।

(3) यातायात वर्षा अधिक होने पर पुलिया के अभाव में लगभग 1 या 2 दिन की अवधि के लिये अवरुद्ध हो जाता है। अर्थाभाव के कारण वर्तमान में सम्भव नहीं है।

देवगांव-केकड़ी-मालपुरा एप्रोच रोड

101. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि केकड़ी तहसील के ग्राम देवग्राम का मार्ग वर्षा ऋतु में चारों ओर से पानी भर जाने से बन्द हो जाता है और देवगांव का सम्बन्ध कट जाता है।

(2) यदि हां तो क्या सरकार उक्त ग्राम देवगांव का केकड़ी-मालपुरा सड़क की एप्रोच रोड बनाकर इसका सम्बन्ध स्थापित कर आवागमन चालू रखने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही यह कि ग्राम अजमेर और टोंक जिलों की सरहद पर स्थित हैं और 2,000 की जनसंख्या से भी अधिक वाला ग्राम है।

(4) क्या यह सरकार का निर्णय है कि दो हजार से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम को एप्रोच सड़क से मिला दिया जायेगा ?

(5) उक्त ग्राम से होकर कितनी मोटर गाड़ियों का परमिट दिया हुआ है और क्या वहां गाड़िया बरसात में बन्द रहती हैं ?

उत्तर

(1) यह कच्चा मार्ग इस विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं है।

(2) यह कार्य सड़क योजना में स्वीकृत नहीं है।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं।

(5 इस विभाग को जानकारी नहीं है।

एस. 227 गेहूँ के बीज को खरीद और उसका वितरण

105. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या कृषि मन्त्री जी ने अलवर स्थित अपने कृषि फार्म में सन् 1967-68 में एस. 227 गहूं बीज के लिये तैयार किया था ?

[redacted]

(2) उक्त एस. 227 गेहूं कुल कितना पैदा हुआ था ?

(3) क्या यह सत्य है कि उक्त फार्म पर एक कृषि अधिकारी की नित्य प्रति ड्यूटी रही है ? यदि हां, तो कब से और किस की ?

(4) क्या यह सत्य है कि उक्त एस. 227 गेहूं नेशनल सीड कोरपोरेशन न्यू देहली, जयपुर ब्रांच ने यह बीज अस्वीकृत कर दिया था ?

(5) क्या यह सही है कि यह खराब गेहूं एस. 227 जिला कृषि अधिकारी, अलवर के द्वारा झूठा प्रमाण-पत्र लेकर पंचायत समिति, तिजारा के किसानों को वितरण हेतु दिया ? यदि दिया, तो कितने रुपयों का व किस भाव पर ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) 68 बोरी।

(3) जी नहीं।

(4) जीं नही। नेशनल सीड कारपोरेशन गेहूं एस. 227 की जांच नहीं करता।

(5) सीड टेस्टिंग ऑफीसर, दुर्गापुरा से पूरे राजस्थान में एस. 227 गेहूं जो काश्तकारों ने पैदा किया उसकी जांच करायी गयी थी ? जहां तक इस कृषि फार्म के बीज का प्रश्न है इसकी वैरायटी 94 प्रतिशत शुद्ध पायी गयी और इसी प्रमाणपत्र के आधार पर किसानों को वितरण किया गया इस क्रय मूल्य 250 रु० क्विंटल तथा विक्रय मूल्य 275 रु० प्रति क्विंटल था।

झाजूरामपुरा कृषि सहकारी समिति

106. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झाजूरामपुरा ग्राम (जिला जयपुर) में एक कृषि सहकारी समिति बनी हुई है ? यदि हां, तो यह सहकारी समिति कब बनी और इसके कितने व कौन कौन सदस्य है ?

(2) इसके कितने सदस्य छोड़कर चले गये हैं और कितने सदस्यों की मृत्यु हो चुकी है ?

(3) इस समिति के पास कुल कितनी भूमि है ?

(4) इस समिति को कुल कितना ऋण कब मिला और ऋण की कितनी किश्तें चुकाई जा चुकी हैं और कितनी रकम अभी बकाया है ?

(5) क्या कभी सहकारी निरीक्षक अथवा अन्य अधिकारियों ने इस समिति का निरीक्षण किया है यदि किया है तो निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। झाजूरामपुरा सामूहिक सहकारी कृषि समिति का रजिस्ट्रेशन क्रमांक 896-एल, दिनांक 23-7-57 को हुआ, रजिस्ट्रेशन के समय इसके सदस्यों की संख्या 10 थी व अब 12 है, जिनके नाम परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध है।

(2) उक्त समिति के तीन सदस्य छोड़कर चले गए है, तथा किसी भी सदस्य की मृत्यु होना रिकार्ड में नहीं पाया जाता है।

Page No 36

(श्री कृषि मन्त्री)

(3) रजिस्ट्रेशन के समय समिति के पास 400 बीघा 15 बिस्वा भूमि थी, इस समय भूमि का विवाद अपीलांट अधिकारी (रेवेन्यू विभाग) के समक्ष चल रहा है।

(4) इस समिति को ब्लॉक से दिनांक 16-4-58 को 5,000) रुपये का तकावी लोन मिला। इसमें से दो छ: माही किश्तें 625) रुपये मूल व 142) रुपये ब्याज के रूप में जमा हो चुकी है। अभी असल 4375) रुपये बकाया है।

(5) जी, नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

अलवर जिले में खरीदा गया उन्नत बीज

107. श्री गंगासहाय (कठूमर)। क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर जिले में सन् 1969 में, कुल कितना उन्नत बीज गेहूं, ज्वार, मक्का व बाजरे का खरीदा गया ? यह किन व्यक्तियों से तथा किस भाव पर खरीदा गया और किस किस भाव पर कितना बेचा गया ? समस्त जानकारी देते हुए तालिका सदन की मेज पर रखी जावे।

(2) क्या खरीदा गया बीज केन्द्रीय खाद बीज निगम द्वारा एप्रूव किया गया था ?

उत्तर

(1) तालिका संलग्न है।

(2) संकर बाजरा, मक्का व ज्वार का बीज राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा प्रमाणित किया गया था। गेहूं का बीज टुथफुल लेबिल्ड था।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

नगरपालिकाओं द्वारा खुली जमीनों की नीलामी

108. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री, यह बताने कृपा करेंगे:—

(2) क्या यह सही है कि हाईकोर्ट जोधपुर द्वारा नगरपालिकाओं के लिए ऐसे निर्णय किये थे कि "नगरपालिका खुली जमीन को नीलामी से बेचे और उसकी स्वीकृति जिलाधीश से प्राप्त करे" और उसकी प्रतिलिपियां सब नगरपालिकाओं को प्रेषित की गई थीं ?

(2) यदि हां, तो क्या केकड़ी नगरपालिका के तत्कालीन अध्यक्ष ने उक्त निर्णय से केकड़ी नगरपालिका को अवगत कराया था ? अगर नहीं तो क्यों ?

(3) उक्त हाईकोर्ट निर्णय के पश्चात् केकड़ी नगरपालिका ने बिना नीलामी के कितनी कितनी जमीन कहां कहां पर किन किन व्यक्तियों को किस किस दर से बेची या किराये पर दी ? क्या उक्त जमीनों की स्वीकृति जिलाधीश अजमेर से लेली गई, थी ?

(4) क्या यह सही है कि तत्कालीन अध्यक्ष ने उक्त निर्णय की अवहेलना कर नगरपालिका को नुकसान पहुंचाया ? क्या

(श्री देवीलाल बुरासिया)
राज्य सरकार उक्त जमीनों की जांच कर सही स्थिति से सदन को अवगत करायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। अध्यक्ष ने ऐसे मामलों में जिनमें स्वीकृति नहीं ली गई थी उनके लिए कार्यवाही की जाने के लिए आदेश दिये थे।

(3) सूची संलग्न है विवरण दे दिया गया है।

(4) तत्कालीन अध्यक्ष ने जो भी जमीनें बेचान की थीं, किराये पर दी हैं बोर्ड के निर्णय के प्रस्ताव द्वारा ही दी गई हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

केकड़ी नगर जल प्रदाय योजना का कार्य

109. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि केकड़ी नगरपालिका द्वारा जल-प्रदाय योजना का कार्य किया जाता है ? अगर हां, तो वर्ष 66-67, 67-68 व 68-69 का वर्षवार आय-व्यय का ब्यौरा सदन में रखें तथा यह भी बतावें कि उक्त वर्षों में पानी किस दर से सप्लाई किया जाता था, तथा कितने कन्जूमर्स थे ? वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना सन् 69-70 में भी चालू है ? अगर हां, तो आय-व्यय का ब्यौरा सदन में रखें तथा यह भी बतावें कि इस वर्ष में किस दर से पानी सप्लाई किया गया, तथा कितने कन्जूमर्स हैं ?

(3) क्या उपरोक्त दोनों प्रश्नों को मद्देनजर रखते हुए बोर्ड को नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो कितना ?

उत्तर

(1) जी हां, सूचनाएें सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) जी हां ! आय व्यय का ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है। सूचनाएँ सूची में दे दी गई हैं।

(3) उपरोक्त व्ययों को मद्देनजर रखते हुये बोर्ड को कोई नुकसान नहीं हुआ है लेकिन ट्रेक्टर आदि की सालाना घिसाई की राशि सम्मलित नहीं होने से प्रतिवर्ष 3,000/- रुपया की राशि अधिक खर्चे की पूर्ति हेतु मौजूद दरों में जुलाई, 69 से वृद्धि की गई।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

बसावा जलप्रदाय योजना

110. श्री सांवरमल बासोतिया (नवलगढ़): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या ग्राम बसावा जल-प्रदाय योजना के अन्तर्गत ग्रामीणों द्वारा पांच हजार रुपया जमा कराया गया था ? यदि हां, तो कब कराया गया और इसकी क्या प्रगति है ?

(श्री सांवरमल बासोतिया)

क्या सरकार इस योजना को प्रारम्भ करना चाहती है ?

उत्तर

जी हां, दिनांक 26-12-66 को ग्राम बसावा की पम्प एवं टैंक योजना बनाई जा चुकी है, जिसकी अनुमानित लागत 74,100 रु० है। योजना को स्वीकृत एवं धनराशि उपलब्ध होने पर कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

खिरोड़ जलप्रदाय योजना

111. श्री सांवरमल बासोतिया (नवलगढ़) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि ग्रामीण जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत खिरोड़ के ग्रामीणों द्वारा पांच हजार रुपये जमा कराये गये थे ? यदि हां, तो ये रुपये कब जमा कराये गये और योजना में क्या प्रगति हुई ?

उत्तर

जी हां, खिरोड़ के ग्रामीणों द्वारा 5,000 रुपये की धन राशि मार्च 66 में जमा कराई गयी, इस ग्राम की जल वितरण योजना बनाई जा चुकी है तथा सरकार के विचाराधीन है।

नागौर जिले में भवन निर्माण हेतु ऋण

112. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या नगर आयोजन मन्त्री, यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जिलाधीश कार्यालय, नागौर द्वारा अब तक किस किस वर्ष में कितना कितना ऋण भवन निर्माण के लिए किन किन को दिया गया ? पूरे ब्यौरे सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त ऋण लेने वालों ने ऋण लेने के बाद कब कब मकान कहां कहां पर बनाये तथा अपने पास से कितने रुपये खर्च किये ?

(3) उक्त ऋण की वसूली नियमानुसार हो रही है या नहीं ? यदि नहीं, तो समय पर किश्तें नहीं चुकाने वालों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) ऋणियों की सूची संलग्न है। उनके सामने रकम जिस वर्ष में दी गई है। अंकित है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) ऋण जिस वर्ष दिया गया उसी वर्ष नागौर में ही भवन बनाए। नगरपालिका लाडनूं ने लाडनूं में मकान बनाये अपने पास से कितना धन राशि खर्च की यह नहीं बताई जा सकती। क्योंकि ऐसा रिकार्ड नहीं रखा जाता।

(3) वसूली नियमानुसार की जाती है। किश्तें नहीं चुकाने वालों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। डिफाल्टर के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

खारिया स्वामी संयुक्त कृषि सहकारी समिति

113. श्री भवरलाल (हिन्डौन) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले में खारिया स्वामी में संयुक्त कृषि सहकारी समिति है ? यदि हां, तो इसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ व इसके कितने मेम्बर हैं ? रजिस्ट्रेशन के समय कौन कौन सदस्य थे व अब कौन कौन हैं ? इनमें से किसने कब कब त्यागपत्र दिये व वे कब मन्जूर हुए ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(2) आज तक इसका वार्षिक अधिवेशन किस किस तारीख को हुआ और कब कब ऑडिट हुए और कब कब विभाग के किस किस अधिकारी द्वारा निरीक्षण हुए और किस अधिवेशन में कौन कौन संचालक मन्डल के सदस्य एवं पदाधिकारी चुन गये ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(3) समिति को किस किस किस्म व किस किस कार्य हेतु अनुदान दिया गया और कब कब यूटलाइजेशन प्रमाण-पत्र किस अधिकारी द्वारा दिये गये ?

(4) उक्त समिति को कब कब कितना कितना कर्जा कहां कहां से मिला और उसमें से कितना चुका दिया व कितना बाकी है ?

(5) क्या यह सही है कि रिहेबिलिटेशन स्कीम के अन्तर्गत उक्त समिति का रेकार्ड बैंक के अधिकारियों को प्राप्त नहीं हो पाया था ? यदि हां, तो क्यों नहीं ?

(6) उक्त समिति को भूमि कब और कितनी आवंटित की गई थी तथा आज तक कितना लाभ व कितनी हानि हुई ? विवरण प्रस्तुत करें।

उत्तर

(1) जी हां, इस समिति का रजिस्ट्रेशन, दिनांक 12-1-61 को जे. 651/टी. पर हुआ है रजिस्ट्रेशन के समय जो सदस्य थे, उनके नाम परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध हैं, इनमें से त्याग-पत्र देने वालों की सूची परिशिष्ट 'ख' पर उपलब्ध है।

(2) इस समिति के वार्षिक अधिवेशन निम्न तारीखों को हुए :—प्रथम 1-12-62, द्वितीय 1-11-63, तृतीय 27 5-64, चतुर्थ 30-6-65, पांचवां 21-5-66, छठा 5-5-67, सातवां 10-3-68 अठवां 10-2-69। इस समिति का ऑडिट निम्न प्रकार हुआ —

वर्ष ऑडिट	दिनांक ऑडिट
15-1-61 से 30-6-61	से 27-3-62
61-62 से	9-3-63 से 10-3-63
62-65 से	25-4-66 से 29-4-66
65-68	4-1-59 से 1-6-69

उक्त समिति का निरीक्षण विभागीय कृषि निरीक्षक द्वारा दिनांक 25-5-66 को किया गया। संचालक मण्डल के सदस्यों के चयन की सूचना परिशिष्ट 'ग' पर उपलब्ध है।

Page No 40

(श्री सहकारिता मंत्री)

(3) समिति को निम्न कार्य हेतु अनुदान प्राप्त हुआ :—

1. पशुशाला एवं गोदाम निर्माण 1250)
2. व्यवस्थापकीय अनुदान 600)
3. व्यवस्थापकीय अनुदान 400)

उपरोक्त अनुदान के यूटिलाईजेशन सर्टीफिकेट सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्राप्त नहीं हुई हैं।

(4) समिति को प्राप्त कर्ज व बकाया की स्थिति परिशिष्ट 'घ' पर उपलब्ध है।

(5) जी, हां। चूंकि समिति के पदाधिकारियों ने रेकार्ड नहीं किया था।

(6) संयुक्त सहकारी कृषि समिति होने के कारण इसको भूमि आवंटित नहीं की गई बल्कि सदस्यों ने भूमि पूल की है। समिति को अब तक हुई लाभ-हानि की सूचना परिशिष्ट 'ड.' पर उपलब्ध है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

कर्मचारियों को पदोन्नतियां

114 श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सहकारी विभाग के सहायक निरीक्षक, निरीक्षक (कर्मचारी एवं ऑडिट) एवं सहायक रजिस्ट्रारों की स्थायी, अस्थायी, ऑफिशियेटिंग एवं एडहाक पदोन्नतियों में शासन के सीनियोरिटी कम मैरिट फार्मूला के परिपत्र क्रमांक एफ. 1 (6) नियुक्ति (डी) 60, दिनांक 27-8-66 के प्रावधान लागू होते हैं? यदि नहीं, तो पदोन्नतियां किन नियमों के अन्तर्गत दी जाती हैं और क्या व शासन द्वारा स्वीकृत हैं? कृपया उनकी प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) सहकारी विभाग में उपरोक्त 27-8-66 के परिपत्र के अनुसार कितनी पदोन्नतियां गत दो वर्षों में की गई हैं? और इसके विरुद्ध कितनी पदोन्नतियां की गई है? विभाग में की गई पदोन्नतियों का आधार क्या है? पदोन्नतियों की पद, नाम व दिनांक सहित सूची दी जावे।

(3) क्या गत दो वर्षों में सहायक निरीक्षक, निरीक्षक, सहायक रजिस्ट्रार उप-रजिस्ट्रार के पदों पर जिन्हें पदोन्नत किया गया है उनके विरुद्ध शिकायतें पेंडिंग थी और जांच चालू थी? यदि हां, तो फिर पदोन्नत करने के क्या आधार थे?

(4) क्या यह सही है कि इस प्रकार की पदोन्नति से विभाग में असंतोष है और अनेक सीनियर व्यक्ति, अच्छे गोपनीय प्रतिवेदन होते हुए भी पदोन्नति से वंचित रह गये है?

उत्तर

(1) इस विभाग में सहायक निरीक्षक निरीक्षक (कार्य एवं ऑडिट) एवं सहायक रजिस्ट्रार के पदों पर सब पदोन्नतियां एडहॉक रूप से की गई है, एवं इन पदोन्नतियों से राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 27-8-66 सीनियोरिटी कम मैरिट के फार्मूला को नहीं अपनाया गया है क्योंकि इन आदेशों

(सहकारिता मंत्री)
के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय में आर० ए० एस० अधिकारियों की ओर से एक रिट याचिका प्रस्तुत की हुई थी। उपरोक्त पदोन्नतियां विभाग में राजस्थान कोआॅपरेटिव सर्विस रूल्स (राजस्थान सबऑर्डिनेट कोआॅपरेटिव सर्विस, (क्लास-1) रूल्स, 1945 व राजस्थान स्टेट सबऑर्डिनेट कोआॅपरेटिव सर्विस (क्लास-2) रूल्स, 1955 के तहत वरिष्ठता सूची के अनुसार की जाती है। नियम राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत है। जिनकी एक एक प्रति संलग्न है।

(2) इस विभाग में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 27-8-66 के अन्तर्गत गत वर्षों से एक भी पदोन्नति नहीं की गई है एवं इसके विरुद्ध दिनांक 27-8-66 के बाद से अब तक निरीक्षक (कार्य व ऑडिट) के पदों पर 237 तथा सहायक रजिस्ट्रार के पदों पर 58 पदोन्नतियां की गई हैं। ये पदोन्नतियां उपरोक्त नियमों के तहत वरिष्ठता के आधार पर की गई हैं। जिन पदों पर पदोन्नतियां की गई हैं, उनकी सूची मय पद, नाम व दिनांक के सहित संलग्न है।

(3) गत दो वर्षों से जिस निरीक्षक, सहायक रजिस्ट्रार एवं उप-रजिस्ट्रारों के पदों पर पदोन्नतियां की गई हैं उनमें केवल एक सहायक निरीक्षक व एक निरीक्षक के विरुद्ध शिकायत पैंडिंग थी जिसके सम्बन्ध में जांच की कार्यवाही जारी थी। किन्तु गंभीर आरोप न होने के कारण, उनको निरीक्षक एवं सहायक रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नति की गई थी।

(4) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

भीलवाड़ा को-आपरेटिव बैंक में गबन व घोटाला

115. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कुछ माह पूर्व भीलवाड़ा को-आॅपरेटिव बैंक में करीब 26 हजार रुपयों एवं जीपों का गबन व घोटाला हुआ था? यदि हां, तो इसमें किस किस व्यक्ति का हाथ था?

(2) क्या इस मामले की जांच करवाई गई थी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि बैंक की जीप को किसी व्यक्ति ने दो वर्ष अपने पास रखी थी? यदि हां, तो किस व्यक्ति ने रखी?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा को-आॅपरेटिव बैंक में दिनांक 20-7-67 को एक रोज के लिये 26, 262.19 रु० की पोता राशि का बैंक के व्यवस्थापक श्री खुशहालचन्द सिंघी ने बैंक के खजांची श्री सोहनलाल मूंदड़ा की साजिश से गबन किया। जीप सम्बन्धी कोई घोटाला नहीं हुआ।

(2) गबन के मामले की जांच कराई गई जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(3) जीप के पंजीयन पत्रादि श्री रमेशचन्द्र व्यास, अध्यक्ष बैंक के पास रहे

(सहकारी मन्त्री)
क्योंकि पंजीयन उन्हीं के नाम पर था। जीप किसी व्यक्ति के अधिकार में न रह कर बैंक के ही काम में आई।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है।)

राजस्थान इन्डस्ट्रियल को-आपरेटिव बैंक की बकाया राशि

116 श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव बैंक के कितने रुपये किस किस में कब कब से बकाया हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त रुपये देते समय किये गये एग्रीमेंट के अनुसार कब कब वसूल होने चाहिए थे तथा समय पर वसूल क्यों नहीं हुए?

(3) बैंक के उपनियमों व ऋण देने के सम्बन्ध में बनाये गये नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) उक्त बैंक के सदस्यों व उनके द्वारा खरीदे गये हिस्सों की राशि व संचालक मण्डल के सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) उक्त बैंक के अब तक हुए ऑडिटों की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) उक्त बैंक के खिलाफ हुई शिकायतें या अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही चल रही है? यदि हां, तो उसका विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लि०, जयपुर का कर्जा किस किस में कब कब से बकाया है, इसका विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' क्रमश: खाना नं० 2 व 8 में अंकित है।

(2) उपरोक्त कर्जा देते समय किये गये इकरारनामे के अनुसार कर्जा कब कब वसूल होना चाहिये तथा वसूल नहीं होने पर क्या कार्यवाही की गई इसका उल्लेख परिशिष्ट 'क' के क्रमश: खाना नम्बर 18 तथा 24 में अंकित है।

(3) बैंक के उपनियमों तथा ऋण देने सम्बन्धी बैंक के नियमों की प्रति संलग्न है (परिशिष्ट 'ख' एवं 'ग')

(4) संचालक मण्डल के सदस्यों की सूची संलग्न है (परिशिष्ट 'घ')। उक्त बैंक के सदस्यों व उनके द्वारा खरीदे गये हिस्सों की राशि का विवरण संलग्न (परिशिष्ट 'ङ') में अंकित है।

(5) उक्त बैंक के अब तक हुये ऑडिट की रिपोर्टों की प्रतियां रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के कार्यालय में उपलब्ध हैं चूंकि ये रिपोर्ट काफी बड़ी है, अत: इनकी अतिरिक्त प्रतियां प्रस्तुत करने में अत्याधिक समय लगेगा किन्तु यदि किसी अमुक वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट या इन रिपोर्टों के किसी विशेष अंश की प्रति वांछित हो तो वह कम समय में उपलब्ध कराई जा सकती है।

(सहकारिता मन्त्री)

(ठ) जी नहीं। बैंक के खिलाफ अनियमितता आदि की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। अवधिपार ऋणों की वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

आयुर्वेदिक महाविद्यालय, उदयपुर के प्रधानाध्यापक

117. श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिण्डोली): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर स्थित आयुर्वेदिक महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक डॉ० हीरालाल मेहता कब से इस विभाग में कार्य कर रहे हैं ?

(2) क्या इनको निलम्बित कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब से और किन कारणों से ?

(3) क्या सरकार इस मामले को पुलिस के सुपुर्द करने जा रही है या विभागीय कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(1) उदयपुर आयुर्वेदिक महाविद्यालय में डॉ० हीरालाल मेहता नाम का कोई व्यक्ति प्रधानाध्यापक नहीं है।

(2) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(3) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

चपरासी को औषधालय में नियुक्ति

118. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले में जोरसिंह नामक चपरासी की नियुक्ति किस औषधालय में तथा किस अधिकारी के मातहत थी ?

(2) जोरसिंह चपरासी किस तारीख तक ड्यूटी पर रहा और किस तारीख से वह हमेशा हमेशा के लिये गैर हाजिर हो गया ?

(3) उक्त चपरासी का बकाया वेतन और अन्य देय रकम किसको, कब और कितनी भुगतान की गई ?

(4) क्या यह सही है कि इस चपरासी की लाश नारी के नाके पर पायी गई? यदि हां, तो कब ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त चपरासी की ड्यूटी आयुर्वेद मंत्री महोदय के बंगले पर मृत्यु से पूर्व लगी हुई थी ?

उत्तर

(1) श्री जोरसिंह की नियुक्ति श्री जिला आयुर्वेद अधिकारी जयपुर के नवीन औषधालय चन्दलाई में थी और प्रति नियुक्ति जिला आयुर्वेद अधिकारी कार्यालय, जयपुर में थी।

(2) श्री जोरसिंह चपरासी दिनांक 30-6-68 तक ड्यूटी पर रहा। दिनांक 4-7-68 को वेतन लेने के पश्चात् दिनांक 5-7-68 से उसका कोई पता नहीं है।

(आयुर्वेद मन्त्री)

(3) उसका कोई वेतन बकाया नहीं था। अन्य देय रकम का क्लेम मृत्यु अथवा सेवा निवृत्ति पश्चात् ही सम्भव है।

(4) विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

(5) जिला आयुर्वेद अधिकारी द्वारा कोई ड्यूटी नहीं लगायी थी।

स्टॉकमैन की भर्ती में शहरी उम्मीदवार

119. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर, पश्चिम) : क्या पशु पालन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि 20-4-69 को जयपुर में पशु पालन विभाग द्वारा स्टोकमैन की भर्ती (चयन) के समय शहरी उम्मीदवारों को विभाग द्वारा कहा गया कि आप शहरियों को नहीं लिया जावेगा ? यदि हां, तो क्यों।

(2) क्या यह सत्य है कि इन्टरव्यू के समय योग्यता का आधार देखा जाता है न कि गाँव और शहर का ?

(3) क्या यह सही है कि इन्टरव्यू के समय योग्य उम्मीदवारों को न चुनकर सम्बन्धित मन्त्रियों के कथन के आधार पर ही सिलेक्शन किया गया ? यदि नहीं, तो किन किन को लिया गया उनमें कौन कौन शहरी व कौन कौन गांव का था ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(12.05 म. प.)

सदस्यों को अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य श्री बालसिंह सोढ़ा ने दिनांक 15 जनवरी, 70 से सत्र के अन्त तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है। क्या सदन को अनुमति है कि उनको बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृति)

अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की गई।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नांकित सदस्यों से स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहला स्थगन प्रस्ताव श्री मदनसिंह दांता, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि जिला झूंझुनूं की तहसील उदयपुर के मोजा कोट में शिव मन्दिर के एरिया में पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा एक मकान का निर्माण कर हिन्दू धर्म पर कुठाराघात किया है।

दूसरा स्थगन प्रस्ताव इन्हीं माननीय सदस्य से प्राप्त हुआ है जिसमें सैनिक सुविधाओं के सम्बन्ध में सभी क्षेत्रों में राज्य

(श्री अध्यक्ष)
सरकार द्वारा उदासीनता बरतने का उल्लेख किया गया है। इसका विशेष सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है।

बीकानेर जिले में राहत कार्य न खोलने से वहां पर उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री चुन्नीलाल इन्दलिया, श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह मामला राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद के दौरान उठाया जा सकता है।

चौथा स्थगन प्रस्ताव श्री शिवनाथसिंह, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुआ है जिसमें झुंझुनूं जिले में नालपुर तथा डाडा फतहपुरा के पास बस मालिकों तथा अध्यापकों व छात्रों के बीच झगड़े के कारण बसों की हड़ताल होने से यातायात व्यवस्था ठप्प होना बतलाया गया है।

उपरोक्त सभी मामले इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के भी नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इन पर आज विचार किया जाये। अतः मैं इन्हें सदन में उठाये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

इनके अतिरिक्त निम्नांकित दो स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो गई है। ये प्रस्ताव इस प्रकार हैं:—

श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा का ब्यावर में एडवर्ड मिल के बन्द हो जाने के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार इस मिल के बारे में केन्द्र सरकार से पत्र व्यवहार बराबर कर रही है तथा इस मिल को चलाने या चलवाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा एक कमेटी गठित किये जाने की आशा है। राज्य सरकार द्वारा जो कार्यवाही की जानी थी वह अब तक नहीं की गई है।

दूसरा स्थगन प्रस्ताव श्री जयनारायण सालोदिया, सदस्य, विधान सभा से सम्बन्धित है जिसमें राज्य में प्रति वर्ष पड़ने वाले अकाल पर होने वाले खर्चे एवं अकाल राहत कार्य चालू न करने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा यह सूचित किया गया है कि उनके द्वारा कई कदम उठाये गये हैं तथा लोगों को सहायता एवं सुविधा देने का भरसक प्रयत्न किया गया है। यह मामला राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान भी उठाया जा सकता है।

अतः मैं उपरोक्त दोनों स्थगन प्रस्तावों को सदन में उठाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

***श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :** अध्यक्ष महोदय, एडवर्ड मिल के सम्बन्ध में आपने यह फरमाया कि राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को लिखा है और कमेटी गठित होगी। मेरा यह निवेदन करना है कि पिछले साढे चार महीने से यह मिल बन्द है और उनकी यह मांग है कि राजस्थान सरकार इस मिल को खुद चलाये। इसको एक रिलिफ अन्डरटेकिंग डिक्लेयर करके राज्य सरकार खुद चलाये। पिछले सदन में भी यह आया था और राज्य सरकार ने कठोर कदम उठाने की बात कही थी। मैं यह पूछता हूं कि राज्य सरकार ने अब तक क्या कदम उठायें हैं और राज्य सरकार ने अब

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तक इसको क्यों नहीं चलाया है । 1500 मजदूर बेकार हैं । उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है । इसलिए निवेदन करूंगा कि उद्योग मंत्री जी अपना वक्तव्य दें ताकि मालूम हो कि स्थिति क्या है और कब तक मिल चालू होकर 1500 मजदूरों को रोजगार मिल सकेगा । इस बारे में स्टेटमेंट दिला दें ।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था उसके बारे में ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : 1500 मजदूर बेकार हैं । आन्दोलन ज्यादा उग्र हो तब ही सरकार हस्तक्षेप करती है....

श्री अध्यक्ष : मैंने स्थगन प्रस्तावों पर अपनी व्यवस्था दे दी है ।

श्री मदनसिंह : मेरे दो स्थगन प्रस्ताव थे । एक फौजियों के लिये था । हरिजनों को जिस प्रकार से आप सुविधा दे रहे हैं उसी प्रकार फौजियों को आज तक जमीन नहीं मिली है उसके लिये भी कानून बने । आज तक उनको जमीन नहीं मिली है...

श्री अध्यक्ष : जो तत्सम्बन्धित मन्त्री हैं उनको बुला कर इस पर रिप्लाई दिला देता हूं ...

श्री मदनसिंह दांता : दूसरा स्थगन प्रस्ताव हिन्दू धर्म पर कुठाराघात हुआ है भवन निर्माण से ...

श्री अध्यक्ष : वह मैंने नहीं लिया है ।

श्री मदनसिंह : पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर ने कहा था कि ऐसी बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर इस पर आप से बात कर लेंगे ।

श्री मदनसिंह : बात हो गई है ।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था दे दी गई है उस पर एजीटेशन न हो ।

श्री श्रवणलाल (हिन्डोन) : सिमेन्ट फैक्टरी सवाई माधोपुर...... ...

श्री अध्यक्ष : कल रामानन्दजी ने भी यह प्रश्न उठाया था और जैसा मैंने निवेदन किया था कि स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में वक्तव्य देने पर दो बार विचार हो चुका है । राज्यपाल के अभिभाषण में स्थगन प्रस्तावों पर कोई भाषण न हो । बिजनिस एडवाइजरी कमेटी ने कार्य निर्धारित किया है । उसी पर वाद-विवाद हो । अभिभाषण पर चर्चा के पश्चात ही मैं इस प्रश्न को ले लूंगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पांच हजार मजदूर एक महीने से हड़ताल पर हो यह सदन सारे राजस्थान को रिप्रेजेन्ट करता है उस पर विचार न हो और 27 तारीख तक इस मामले पर विचार न करें ।

श्री अध्यक्ष : अभी मैंने स्थिति का स्पष्टीकरण नहीं किया है । मैं अभी बोल रहा हूं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : रोजमर्रा कालिंग अटेन्शन मोशन ले रहे हैं । स्थगन प्रस्ताव इमिडियेट इम्पोर्टेन्स के क्वश्चन पर रेज करते हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। मैं वक्तव्य दे रहा हूं। मैंने जैसा निवेदन किया कि यह सदन की परम्परा रही है कि जब राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस जारी हो तो एडजोर्नमेन्ट मोशन नहीं लिए जाते रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लिए जाते रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : सिवाय उसके कि जो अत्यावश्यक हो...

श्री श्रवणलाल : मजदूर हड़ताल पर हैं ...

श्री अध्यक्ष . ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : सवाई माधोपुर का प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर। ऐसी सदन की परम्परा रही है ...

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): उन मजदूरों की रोजी रोटी का सवाल है सेठ साहूकारों का सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। यह तो परम्परा इस सदन की रही है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के वाद-विवाद के समय स्थगन प्रस्ताव नहीं लिए जाते हैं कुछ ऐसे अहमियत के प्रश्नों को छोड़कर जिसके बारे में यदा कदा विचार हुआ है। लोक सभा में भी यही परम्परा रही है। इसके अलावा यह प्रश्न दो दफा डिसकस हो चुका है। इस दफा अभिभाषण को प्राथमिकता दी गई है। इसको प्राथमिकता देते हुए भी गोलीकाण्ड के विषय में दो दिनों तक भाषण हुए।

इसके अलावा माननीय सदस्यों को इस सदन की जो व्यवस्था रही है उसको सुना देना चाहता हूं। वह व्यवस्था इस प्रकार है।

"मैं समझता हूं ऐसी खास स्थिति नहीं है राज्यपाल महोदय के अभिभाशण में खाद्यान्न की स्थिति का जिक्र है उस पर वाद-विवाद होगा। माननीय सदस्य बहस के दौरान में आदि आदि..."

इसके अतिरिक्त अगर माननीय सदस्य इसको अधिक आवश्यक समझते हैं तो वे अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त करते हुए इसको भी रख सकते हैं मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में उठाये गये मुद्दों का स्पष्टीकरण अपने उत्तर में कर दें। यह सुविधा देने में मुझे कोई संकोच नहीं है। ऐसी स्थिति में इस प्रश्न को उठाने की इजाजत नहीं दे सकता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस फैक्टरी के मजदूर पिछले एक महीने से हड़ताल पर हैं। पांच हजार मजदूर बेकार बैठे हैं। मालिकों को सरकार को तरफ से प्रोत्साहन मिल रहा है। गैर कानूनी तौर से पुलिस उनको संरक्षण दे रहा है। वहां 144 धारा लगा दी है। मजदूरों को अपना जुलूस निकालने तक की इजाजत नहीं है। वे हड़ताल को नाकामयाब बनाने के लिए सरकार से जिस तरह की मदद चाहते हैं सरकार उनको देती है। मजदूरों को किसी प्रकार से भी संरक्षण नहीं दिया जा रहा है। वहां की यूनियन ने बकायदा कानूनी तौर से नोटिस देकर हड़ताल की है।

श्री अध्यक्ष : इस पर माननीय सदस्य भाषण नहीं होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में आपने स्टेटमेंट देने के लिये कहा था आपने कहा था कि मैं इस बारे में एडजस्ट कर दूंगा अब आप कह रहे हैं कि 27 के बाद लिया जाय यह किसी भी तरह से उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा था एडजस्ट करूंगा। यह नहीं कहा था आज ही एडजस्ट करूंगा सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अगर ऐसा हुआ तो। मैंने यह व्यवस्था नहीं दी है कि इसे आज ही रख लिया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, यह एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है इसमें पांच हजार मजदूर काम करते हैं। जिनको हड़ताल पर गये एक महीने से अधिक का समय हो गया है। वे शान्तिपूर्ण तरीके से हड़ताल कर रहे हैं। सरकार बजाय इस समस्या को सुलझाने के, इस समस्या पर समझौता कराने के बजाय मालिकों को संरक्षण दे रही है, मालिकों को पुलिस की मदद दे रही है। पुलिस और कलेक्टर सब मिलकर हड़तालियों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हड़तालियों को गिरफ्तार किया गया है उन पर मुकदमें चलाये गये हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा भूतपूर्व गृह मंत्री श्री गुलजारीलाल नन्दा जो इन्टक के प्रेजीडेण्ट हैं उन्होंने भी इस हड़ताल का संचालन किया हैं उन्होंने कहा है सुखाड़िया जी का समाजवाद में कितना विश्वास है यह कसौटी पर है। जिनके पीछे आप लोग फिरा करते थे उनकी भी बात आपने नहीं मानी। उन्हीं का इन्टक आज हड़ताल कर रहा है ...

श्री अध्यक्ष : मेरी व्यवस्था देने के बाद भाषण नहीं होगा। मैं इस पर भाषण की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, कल आपने व्यवस्था दी थी कि मैं मंत्री महोदय से पूछ कर निर्णय करूंगा वे तो स्टेटमेंट देने के लिये तैयार हैं आप इस महत्वपूर्ण प्रश्न को लम्बा मत ले जाइये। इस पर आप यह निर्देश दें कि कल ही स्टेटमैन्ट हो जाय। एक महीने से ऊपर हड़ताल को चलते हुए हो गया। पांच हजार मजदूरों की रोटी-रोजी का सवाल है।

श्री मुकुटबिहारीलाल : एक मिनिट मुझे भी कहने दीजिये...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। भाषण नहीं होगा।

(श्री हरिवल्लभ शर्मा और श्री मुकुट-बिहारीलाल साथ साथ बोलते रहे)

(अश्रव्य)

श्री हरिवल्लभ शर्मा : सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री को हड़ताल के कारण वहां की स्थिति बहुत खराब हो रही है। वहां की हड़ताल को चलते हुए एक महीने से ऊपर का समय हो गया और आप यहां स्टेटमैन्ट भी नहीं दिलवा सकते।

श्री अध्यक्ष : मैं स्पष्ट कर दूं। मैंने निवेदन किया यह सुविधा का प्रश्न था मुझ को सुविधा नहीं थी। नत्थीसिंह जी ने जो कहा है मैं उस पर विचार करूंगा और सुविधानुसार मेरी और माननीय मंत्री की सुविधा देखकर इस प्रश्न को लूंगा।

Page No 49

श्री रामचन्द्र आर्य (मोहर) : आप कहते हैं माननीय मंत्री जी की सुविधा नहीं है तो फिर किस बात की तनखा लेते हैं, इनके पास काम क्या है ? क्या एक सीमेंट फैक्टरी में जहां पिछले महिने से हड़ताल चल रही है मजदूरों के बच्चे रोटी रोजी के लिये तरस रहे हैं और यहां मंत्रियों को सुविधा नहीं है। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप इसमें व्यग्रता और उग्रता लाने की कोशिश मत कीजिये। मैं आपका अभिप्राय समझ गया हूं। मैं चेम्बर में जाने के बाद इस प्रश्न को तय कर दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह बात तो आपने कल भी कही थी आप इस बारे में निर्णय यहां क्यों नहीं ले सकते······

श्री अध्यक्ष : आप मुझे पिन डाउन मत कीजिये। मैं अपनी सुविधा के अनुसार हाउस का बिजनेस देखकर निर्णय लूंगा। मैंने कहा है निर्णय कर लूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसको 19 तारीख को लिया जाना चाहिये था। पांच हजार मजदूरों की हड़ताल हो रही है इस बारे में मैंने स्थागन प्रस्ताव भी दिया है ××

श्री अध्यक्ष : इनका भाषण अंकित न किया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाय। श्री रामानन्द अग्रवाल स्थान ग्रहण करें। मैं माननीय सदस्य को नाम से पुकारता हूं। स्थान ग्रहण करें। माननीय रामानन्द ! स्थान ग्रहण करें।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव है इसका स्टेटमेन्ट आज नहीं तो कल हो जाय।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : हमारी यह निश्चित भावना है शान्तिप्रसाद जैन के पैसे पर पलने वाले। × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाय। ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाय। ऑर्डर, ऑर्डर। आप कृपया वातावरण को उग्र न करें। मैंने आपसे कह दिया है कि मैं चेम्बर में जाकर इस पर निर्णय लूंगा सारे बिजनेस को देखकर। किस स्टेज पर इसको ले सकता हूं, सारी स्थिति को देखकर निर्णय करूंगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : कल भी आपने इसी प्रकार से कहा था।······

श्री अध्यक्ष : कल मैंने इस प्रकार का कोई कमिटमैण्ट नहीं किया था कि इसको आज ही लिया जायगा। आप इस समय वातावरण को क्षुब्ध न करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कल भी आपने इसी, प्रकार का आश्वासन दिया था। अध्यक्ष महोदय, पांच हजार मजदूर हड़ताल पर हैं, 22 दिसम्बर से हड़ताल पर हैं। 15 तारीख को सदन शुरू होता है। × ×

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : X X X

श्री अध्यक्ष : अलवर से आने वाले माननीय सदस्य, माननीय सदस्य रामानन्द अग्रवाल मैं अब आपको नाम से पुकारता हूं। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल

श्री अध्यक्ष : आप मेरे धैर्य को न टटोलें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : X X X

श्री अध्यक्ष : अंकित न किया जाय। आॅर्डर, आॅर्डर।

श्री नत्थीसिंह : हम यह नहीं चाहते, पर कल यह सुविधा हो जानी चाहिए। यह आश्वासन दिया जाना चाहिये।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और अविलम्बनीय लोक महत्व का है। पांच हजार मजदूरों की रोजी रोटी का सवाल है।

श्री मदनसिंह : हिन्दू धर्म और संस्कृति को खत्म किया...

(शोरगुल ! : अव्यव्य !)

ये पांच हजार हो सकते हैं, उग्र वातावरण कर सकते हैं। तो यह तो बहुत बड़ा व्यवस्था का भी सवाल है।

तो इस पर तो अध्यक्ष महोदय, हम भी बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : दोनों ही प्रश्नों पर विचार करना है।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह रोजी रोटी का सवाल है उन मजदूरों का और इसमें बहुत विलम्ब अब तक हो चुका है। इस पर पहले से ही सरकार कोई कानूनी कार्यवाही कर लेती तो ठीक था और इस पर चाहिये तो यह था कि राज्य सरकार अपनी तरफ से तुरन्त वक्तव्य देती पर राजस्थान सरकार इसकी उपेक्षा कर रही है, उन पूंजीपतियों का पक्ष ले रही है। इसलिये सदस्यों में इसके लिये चिन्ता होना स्वाभाविक है। इतनी बड़ी हड़ताल इतने लम्बे समय तक चले यह वास्तव में चिन्ताजनक स्थिति है और यह और चिन्ताजनक बात है कि इतनी लम्बी हड़ताल को यह सरकार चुपचाप देख रही है और साहू जैन को मनमानी करने की छूट दे रखी है। इसलिये निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न की अनिवार्यता को और इसके अविलम्बनीय लोक महत्व को देखकर आप अविलम्ब इस पर गौर करें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): माननीय मंत्री महोदय इस पर स्टेटमेन्ट दें पहले तो ये माननीय सदस्य राज्यपाल के अभिभाषण में भाग लेना चाहिये इस स्टेज पर अगर सरकार अपना रुख प्रकट कर देगी तो इस पर माननीय सदस्यों का क्या रिएक्शन है वह वे अपने वाद विवाद में बता देंगे। इसलिए ज्यादा अच्छा तो यही रहेगा कि सरकार अपना रुख प्रकट कर दे। इसमें ऐसा कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

(श्री भैरोंसिंह)
हैं। हमें भी फिर जो बताना होगा भाषणों के दौरान में बता देंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आज यह सरकार शान्तिप्रसाद जैन की गोद में बैठकर पांच हजार मजदूरों की उपेक्षा कर रही है......

श्री अध्यक्ष : यह तो आपके सुझाव हैं। पर्याप्त है, मैंने इस पर निवेदन कर दिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह निवेदन करूंगा कि या तो आश्वासन दीजियेगा कि कल जरूर स्टेटमैन्ट दिलवा दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : दो तीन सुझाव आये हैं। माननीय भैरोंसिंह जी का भी सुझाव आया है।

(श्री रामानन्द के खड़े होने पर)

स्थान ग्रहण करें। उधर माननीय दांता का भी सुझाव आया है। तीनों प्रश्नों पर विचार करके ही निर्णय दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में कोई निश्चित बात जब तक वे नहीं कहेंगे तब तक इसका हल नहीं निकल सकेगा। वे इसको बढ़ाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बाध्य नहीं कर सकते हैं आसन को किसी व्यवस्था को देने में।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमने हमेशा आसन का आदर किया है, पर 1० तारीख से ......

श्री अध्यक्ष : आपका आदर बहुत होता रहा है, मुझे मालूम है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न किया जावे। मैं सारी स्थिति को समझे हुए हूं। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न किया जावे। माननीय सदस्य।

मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मुझे अन्तिम कदम लेने को बाध्य न करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहूंगा ..

निकलवाना चाहते हैं, निकलवा दीजिये .. पर कम से कम पांच हजार मजदूरों की रोजी रोटी की समस्या का हल जरूर निकलना चाहिये। आप स्टेटमैन्ट तो दिलवाने के लिये कह ही सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : मैं अब कोई व्यवस्था नहीं दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कल का × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

Page No 52

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप निश्चित तौर से कल का समय कह दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य को फिर आगाह करता हूं कि आप अन्तिम कदम उठाने के लिये मुझे बाध्य न करें।

मैंने माननीय सदस्य से निवेदन कर दिया है आप बाध्य करना चाहते हैं आसन को कि आप ही की बात रहे । आप ही की बात रहे क्या आप यह कहना चाहते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : पांच हजार आदमियों को रोटी रोजी नहीं मिल रही है और तब भी आप इस तरफ ध्यान न दें.....

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रामानन्द ।

श्री मदनसिंह : पांच हजार मजदूर खाना नहीं खा रहे हैं और ये रोज खाते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह भी सही है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल : अध्यक्ष महोदय

(श्री नत्थीसिंह के भी खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री मुकुटबिहारीजी, नत्थीसिंह जी, मैं निवेदन करूं कि वे इस प्रश्न को आगे न बढावें और मेरी भावनाओं को समझें, आसन को बाध्य न करें।

श्री मुकुटबिहारीलाल : एक सुझाव । अगर आपके आसन की सुविधा सवाल है, तो बात समझ में आ सकती है, पर अगर यह × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर, माननीय सदस्य ।

एक्सपन्ज ! अंकित न किया जावे ।

श्री मुकुटबिहारीलाल : × × तो

श्री अध्यक्ष : अंकित न किया जाय ।

श्री मुकुट बिहारीलाल : अगर यही बात है ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, प्लीज आर्डर !

माननीय मुकुटबिहारी ।

श्री मुकुटबिहारीलाल : आपकी सुविधा का सवाल नहीं है अध्यक्ष महोदय यह ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुकुटबिहारी जी,

आर्डर, आर्डर !

आप आसन की भावनाओं को समझें ।

अंकित न किया जाय ।

श्री मुकुटबिहारीलाल : × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर !

(अश्रव्य : शोरगुल)

श्री रामानन्द : अग्रवाल अध्यक्ष महोदय, मैं फिर निवेदन करता हूं कि आप इस मामले को दबाने का प्रयत्न न करें। हमने बहुत सबर किया है। या तो आप इस बात को कल के लिये रख दीजिये वरना अध्यक्ष महोदय मुझे अदब के साथ कहना पडता है कि आप हमारी भावनाओं को कुचल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अंकित न करें । आर्डर, माननीय सदस्य !

श्री रामानन्द अग्रवाल : × × ×

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष : मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है। इस पर अब पुनर्विचार करने के लिये बाध्य न करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : × ××

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द।

श्री मदनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय

आप व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं···

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज !

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन कर······

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रामानन्द। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन कर चुका हूं। आप चाहते हैं कि शासन को विवश कर दिया जाय। आप चाह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से आपकी बात मान लूं और कह दूं तब तो सदन में वातावरण ठीक हो सकता है अन्यथा आप उग्र ही बनते रहेंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य : यही ठीक है।

श्री अध्यक्ष : तो बैठिये।

मैंने आपकी भावनाओं को समझ लिया है। पर आसन आपके उग्र व्यवहार के सन्दर्भ में बाध्य नहीं हो सकता। आसन दोनों बातों को समझ कर अपना निर्णय देगा।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को सन्तुष्ट हो जाना चाहिये जब कि आपने बता दिया है कि आप चेम्बर में जाने के बाद में निर्णय दे देंगे। इससे दूसरी बात माननीय सदस्य भी नहीं चाहते। वे भी यही चाहते हैं कि आपका निर्णय क्या है यह उनको बतला दिया जावे। तो आप विचार करके जो निर्णय हो वह बताला दीजिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल : आप बतला दीजिये अभी।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुकुटबिहारीलाल।

श्री हरिदेव जोशी : तो मैं स्पष्ट कर दूं कि गवर्नमेन्ट की ओर से स्टेटमैन्ट देने का इरादा सरकार का नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। बल्कि स्थिति तो यह है कि इसके देने से सरकार की पोजीशन साफ होगी और यह भी मालूम हो जावेगा कि सरकार क्या प्रयत्न कर रही है। इसलिये हमें इसमें ऐतराज नहीं है। आप चेम्बर में पधार कर माननीय मन्त्री को भी बुला लीजिये और जिस माननीय सदस्य को चाहें उन्हें भी बुला लीजिये और फिर अपनी व्यवस्था दे दीजिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल : एक स्टेटमैन्ट सरकार की तरफ से आया है। तो अध्यक्ष महोदय, एक तरफ मजदूरों का मसला है और दूसरी तरफ पूंजीपतियों का। अब प्रश्न यह है कि इन दोनों के बीच सरकार ऐसी दयनीय स्थिति में हो गई है···

श्री अध्यक्ष : माननीय मुकुटजी, आप एक ही प्रश्न पर तीन तीन बार बोल रहे हैं।

×××अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, × × ×

श्री अध्यक्ष : एक्सपन्ज ! अंकित न न किया जावे। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : हमारी हमारी भावनाएं..

श्री अध्यक्ष : भावनाएं आपकी अभिव्यक्त हो चुकी है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : माननीय अध्यक्ष ने इसे अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है।

श्री अध्यक्ष : प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है आसन की सुविधा का सवाल है।

श्री हरिदेव जोशी : ऑन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर सर। राजस्थान विधान सभा की प्रोसिडिंग्स में अध्यक्ष के प्रति कोई ऐसी बात रिकार्ड पर न रहे जिससे कि राजस्थान के और बाहर के लोग यह समझें कि यहां के सदन के सदस्य अपने अध्यक्ष के प्रति सम्मान नहीं रखते हों तो इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि माननीय सदस्य ने अध्यक्ष के प्रति जो शब्द कहे हैं अभी कि × × × उसको एक्सपन्ज किया जावे।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सही भावना से कही हुई बात को गलत अर्थ में नहीं लिया जावे। इसका गलत अर्थ न लगाया जाय –

एक माननीय सदस्य : आप सही कहते हैं, वे गलत कहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर आर्डर। मैं नहीं सुनना चाहता। (शोरगुल अश्रव्य)।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप नहीं सुनना चाहते तो इस्तीफा दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : वह मैं नहीं सुनना चाहता।

(शोरगुल अश्रव्य)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मेरा प्रस्ताव तो सुन लीजिये।

(शोरगुल अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : कोई प्रस्ताव नहीं सुना जावेगा।

(शोरगुल अश्रव्य)

आप बहुत कुछ कह चुके हैं। अंकित न किया जावे।

माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

(शोरगुल अश्रव्य)

मैं फिर माननीय सदस्यों को प्रार्थना करता हूं, आज इस स्थिति में ज्यादा परिवर्तन हो गया आपकी उग्रता के सन्दर्भ में। आपने जो कुछ भाषा बोली (श्री मुकुट बिहारी : वह सही है।) वह मैं भी बोल दूं तो सही हो जायेगी। पर मैं नहीं बोलना चाहता हूं। इसलिये माननीय सदस्य स्वयं एवं सदन स्वयं इससे निष्कर्ष निकाल ले। भाषा के पचड़े में मैं नहीं पड़ना चाहता हूं। आसन का यह दुरुह कर्त्तव्य है। मैं यह चाहूंगा कि मुकुटजी, स्वयं किसी दिन यहां आजायें। तो उनको इसका ज्ञान आजायेगा। मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन करूंगा कि मैं यहां से जाने के बाद······(सदस्यों द्वारा व्यवधान करने पर) ···आपको पता चल जायेगा यहां आने पर······

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उन्होंने यह सदन चलाया है।

श्री अध्यक्ष : बड़ी सहूलियत से यह चलाया है। वह दिन अच्छे थे उदारता के दिन थे और वे कम उग्रता के दिन है। मैं इसको आपकी सुविधा की दृष्टि से, आपकी भावनाओं की दृष्टि से, उग्रता के सन्दर्भ में मैं माननीय मन्त्री जी को और आपको बुलाकर इसका समय कैसा भी होगा उसको तय कर लूंगा। इसलिये इस प्रश्न पर अधिक उग्रता दिखाकर आप मुझको उस स्थिति में न डालें जो इस सदन का प्रतिष्ठा के वह अनुकूल न हो। इतना पर्याप्त है मेरा कहना।

विधायी कार्य श्री दामोदरलाल व्यास।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पुलिस अप्रीति उद्यपर विधेयक, 1970 को पुर: स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मन्त्री द्वारा जिस विधेयक को पुर: स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसका विरोध करना चाहता हूं।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरी आपत्ति है। स्थगन प्रस्तावों के पहले नियमित कार्यवाही तब तक नहीं ली जा सकती है जब तक कि उन पर स्टेटमैंट या व्यवस्था न हो। अब तक यह परम्परा रही है कि नियमित बिजनेस लेने के पहले स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार की तरफ से वक्तव्य दिया जाता रहा है।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य एक, एक मिनिट के हैं। वे पहले ले लिये जायं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं सामान्यतया इन्ट्रोडक्शन के स्टेज पर...

श्री दौलतराम सारण : मुझे इस पर आपत्ति है। मैं इसकी गम्भीरता पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह परम्परा रही है कि विधायी कार्य के पहले स्थगन प्रस्तावों पर वक्तव्य होता है।...

श्री अध्यक्ष : मैं परम्परा को देख लूं। परम्परा क्या है ?

(विराम)

प्राय: यहां की परम्परा विधायी कार्य पहले लेने की होती है और उसके बाद ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। मैं यह देखता हूं कि माननीय श्री सतीशचन्द्र इन्ट्रोडक्शन के पहले इस पर कोई आपत्ति उठाना चाहते हैं। तब यह विवाद का विषय हो जाता है। इसलिये मैं पहले गृह मन्त्रीजी से ध्यान आकर्षण प्रस्ताव टोंक के सम्बन्ध में (सदस्यों द्वारा टोकने पर कि चूरू के सम्बन्ध में) हां, चूरू के सम्बन्ध में स्टेटमैंट देने के लिये निवेदन करूंगा। स्टेटमैंट के सम्बन्ध में रूल बड़े स्पष्ट हैं। इस पर स्टेटमैंट दिये जाने के बाद कोई भाषण नहीं होगा, इन्टरोगेशन के तौर पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उनका स्पष्टीकरण किया जा सकता है। यह प्रश्न बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सम्मुख भी आया था। मैं जो सहूलियत माननीय सदस्यों को दे सकता हूं वह केवल प्रश्नों को दे सकता हूं, भाषणों के आधार पर नहीं दे सकता हूं।

Page No 56

शासकीय वक्तव्य—चूरू में पुलिस द्वारा गोली चलाने के सम्बन्ध में

राज्य मन्त्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री भैरोंसिंह शेखावत, श्री कृष्णकुमार गोयल, सदस्य विधान सभा ने तारीख 13-1-70 को पुलिस द्वारा गोली चलाने की घटना के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया है——

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी स्थगन प्रस्ताव पेश किया था''''?

श्री अध्यक्ष : जिन्होंने किया है'''

श्री हीरालाल देवपुरा : स्थगन प्रस्तावों की जो सूचना मुझे मिली है, उनके नाम मुझे दिये हैं, वे मैंने यहां रखे हैं और जिन्होंने और स्थगन प्रस्ताव दिये हैं '''

श्री अध्यक्ष : जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिये हैं उन सबके नाम इन्सर्ट कर दिये जायेंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा : सदन को विदित ही है नवम्बर, 1969 में श्री गंगानगर जिले में जो आन्दोलन प्रारम्भ हुआ उसके सिलसिले में तारीख 7-1-70 को भादरा व सांगरिया में पुलिस फॉयरिंग हुआ। जिन मुद्दों पर यह आन्दोलन चला था और आन्दोलन के सिलसिले में पुलिस फायरिंग होने पर लोगों की मृत्यु हुई थी उसके सवाल को आधार बना कर चूरू में भी तारीख 12-1-70 से छात्रों ने आन्दोलन का रुख अपनाया। इस सिलसिले में 12-1-70 व 13-1-70 को जो घटनायें हुई उन पर इस नौबत पर विस्तृत बयान देना उचित न होगा क्योंकि माननीय मुख्य मन्त्रीजी तारीख 19-1-70 को सदन में यह घोषणा कर चुके हैं कि भादरा, सांगरिया और चूरू तीनों स्थानों पर होने वाले पुलिस फायरिंग की न्यायिक जांच कराई जायेगी। जबकि न्यायिक जांच होना है तो घटनाओं के बारे में किसी प्रकार का बयान देने से एक उक्त न्यायिक जांच में उलझन पैदा होने का अंदेशा है। फिर भी मैं सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि तारीख 13-1-70 को फॉयरिंग की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल फॉयरिंग पार्टी के सिपाहियों को जिनकी संख्या सात थी, निलम्बित कर दिया गया था। और उनके विरुद्ध 304 आई०पी०सी०का मुकदमा कायम करा दिया गया था। मुकदमा कायम करा देने का कारण यह था कि जिला प्रशासन द्वारा यह सूचना दी गई थी कि मौके पर मजिस्ट्रेट और उपअधीक्षक पुलिस मौजूद थे लेकिन फायरिंग पार्टी ने उनसे किसी प्रकार के आदेश लिए बिना गोली चला दी। इसके बाद इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने और दूसरे व्यक्तियों ने मुझे यह सूचना दी कि फायरिंग के लिए ऊपर के अफसरों ने आदेश दिये थे। फॉयरिंग अफसरों के आदेश से किया गया या ऐसे आदेशों के बिना किया गया यह ऐसी बात है कि जिस पर नतीजा निकालने के लिए जांच समाप्त होने की प्रतीक्षा करना उचित होगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : उनको गिरफ्तार किया जाय और मुकदमा चलाया जाये मजिस्ट्रेट और डी. एस. पी. पर। हम नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार की जांच हो। इस जांच से कुछ नहीं निकलने वाला है। पहले भी जांच हुई है उसका कोई नतीजा नहीं निकला।

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी करना चाहूंगा कि जो जांच कराने की घोषणा की है और पुलिस में केस रजिस्टर्ड किये हैं कांस्टेबल्स के विरुद्ध तो क्या उन केसेज में आगे कार्यवाही नहीं होगी ?

आपने स्वयं ने गवर्नमेंट की तरफ से स्पष्टीकरण में यह स्वीकार किया है कि यह अन-आथोराइज्ड फायरिंग है और केस रजिस्टर्ड कराये हैं। तो क्या रजिस्टर्ड शुदा केस में डिले कराना राज्य सरकार उचित समझती है।

आपने जिन व्यक्तियों को सस्पेन्ड किया है 304 आई. पी. सी. के अन्तर्गत केसेज रजिस्टर्ड कराये हैं उसमें विवाद यह खड़ा किया है कि मौके पर एस. पी. पुलिस अधिकारी जो मौजूद थे उनके बिना आदेश के यह सारी कार्यवाही हुई तो क्या आपको पुलिस कान्स्टेबल्स ने यह सूचना दी है कि उनने जो यह फायरिंग की है वह आदेश से की है और उनने स्वतः ही इस प्रकार का फायरिंग नहीं किया है।

क्या आप जुडिशियल एन्क्वायरी, जिसकी घोषणा की है उसकी फाईन्डिंग्स स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे।

श्री दुर्गालाल बाहड़दार (हवा महल, जयपुर) : इतना सा ध्यान में और ले लें आपके पास रेकार्ड है, आपने अनअॉथोराइज्ड फायरिंग माना है। आपने उन सब पर कामन आबजेक्ट लगाते हुये केसेज किये हैं। क्या आपके सामने कामन आबजेक्ट और कामन ईन्टेंशन जिसके खिलाफ आपने केसेज रजिस्टर किये हैं सी. आर. पी. सी. या आई. पी. सी. के प्रावधानों को किस प्रकार निगलेक्ट किया जा रहा है। इस बात का ध्यान रखना है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने वक्तव्य दिया है उस सम्बन्ध में एक तो मैं यह जानना चाहूंगा कि यह जो गोलीकाण्ड हुआ इसमें कौन कौन आॅफिसर थे पुलिस के जो वहां पर मौजूद थे और जो गोली चलाई गई वह किस स्थान से चलाई गई कितने राउन्ड उसके हुये हैं, कितने फायरिंग किये गये हैं। दूसरी बात यह है कि जब गवर्नमेंट ने इस फायरिंग को अन जस्टिफाइड माना है तो फिर केसेज 302 में रजिस्टर क्यों नहीं किये गये। केसेज 302 में रजिस्टर क्यों नहीं किये गये ? तीसरा ये जो केसेज रजिस्टर हुये हैं वे गवर्नमेंट के कन्सलटेशन से हुये हैं या ये केसेज वहां के स्थानीय अधिकारियों ने ही रजिस्टर किये हैं, और क्या गवर्नमेंट ने इस बात को देखा है कि जो फेक्टस सामने आये हैं उनको उचित नहीं समझा ? इस चीज की फौरन प्रिलिमिनिरी एन्क्वायरी करा कर जैसे फायरिंग हुआ गवर्नमेंट के सामने आया और इसको अनजस्टिफाईड माना, तो फौरन एन्क्वायरी कराने जो एस० डी० एम० रूंगटा वहां पर मौजूद थे या डी० वाई० एस० पी० या कोई आर० आई० जिनके कहने से गोली नहीं चलाई उन लोगों के बारे में क्या गवर्नमेंट में केसेज रजिस्टर हो जाने के बाद इस बात की जांच करवा ली है कि इन लोगों ने आॅर्डर नहीं दिये ? क्या गवर्नमेंट इस बात की प्रिलिमिनिरी जांच करवा कर जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ भी 302 के केसेज रजिस्टर करायेगी चौथी क्या गवर्नमेंट ने जो एन्क्वायरी-इन्स्टीट्यूट की है उस एन्क्वायरी में जो शहीद हुये हैं काशीराम या जो लोग जख्मी हुये हैं उनकी तरफ से ज्यूडिशियल

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

एन्क्वायरी के सामने फैक्ट्स रखने के लिए वही सुविधायें वकीलों, की व आर्थिक सुविधायें, विशेषतौर से अध्यक्ष महोदय जो हरिजन गवर्नमेंट हैं, जो मरे हैं, घायल हुये हैं क्या उनको वही तमाम आर्थिक और कानूनी सुविधायें देंगे जो कि गवर्नमेंट पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन या जिला प्रशासन को देगी ? इस ओर अध्यक्ष महोदय जब कि गवर्नमेंट ने इस फायरिंग को अन-जस्टिफाइड मान लिया तो एन्क्वायरी का नतीजा कुछ भी हो, जो मरने वाले हैं उनकी जो क्षति हुई है उनकी क्षतिपूर्ति के बारे में, या जो जख्मी हुये हैं क्या गवर्नमेंट उनको मुआवजा, उनके परिवार वालों को मुआवजा, काशीराम के परिवार वालों को मुआवजा या जो जख्मी हुये हैं उनके परिवार वालों को क्षतिपूर्ति करने की घोषणा करेगी ? अध्यक्ष महोदय इसके अतिरिक्त क्या गवर्नमेंट......

श्री दामोदरलाल व्यास : How many questions you have to put ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जितने भी क्वेश्चन मेरी क्वायरी में निकलते हैं ...

श्री दामोदरलाल व्यास : So many questions have replied yesterday.

श्री अध्यक्ष : Not more than five questions.

श्री रामानन्द अग्रवाल : गवर्नमेंट से यह और जानना चाहूंगा कि इस एन्क्वायरी की जो मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है, केवल जुडीशियल एन्क्वायरी के लिये कहा हैं, यह क्लियर कट नहीं कहा गया कि यह एन्क्वायरी हाई कोर्ट के जज के द्वारा होगी इस बारे में भी मैं क्लियर चाहता हूं। इस बात को भी बतावें, सांगरिया और भादरा से सम्बन्धित जांच के लिये अलग अलग जज मुकर्रर होंगे या वही जज दोनों जगहों के बारे में जांच करेगें और जो जज सांगरियां और भादरा की जांच करेंगे वही चूरू की भी जांच करेंगे। अर्थात् इन तीनों एन्क्वायरीज में अलग अलग कमीशन मुकर्रर होंगे या एक कमीशन मुकर्रर होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, चूरू में गोलीकान्ड होने के पश्चात् जिला प्रशासन ने जो राज्य सरकार को सूचना दी कि बिना आर्डर के फायरिंग किया गया है, उसको सरकार ने सही माना और अब उसको गलत मानने का सरकार का आधार क्या है ? और उस आधार पर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने जो आपको गलत सूचना दी उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करने का सरकार इरादा रखती है, एक। दूसरा जो पुलिस के कर्मचारी, सिपाही जिनके खिलाफ 304 के मुकदमें दर्ज किये गये, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको जुडीशियल कमीशन की फाईंडिंग आयेगी तब तक क्या होगा ? सस्पेन्डेड रहेंगे, जुडीशियल प्रोसीक्यूशन होगा या क्या होगा, तीसरी बात जैसे अलग अलग कमीशन जैसा अभी माननीय सदस्य रामानन्दजी ने और मेरोंसिंहजी ने पूछा जो जुडीशियल कमीशन होगा उसके सम्बन्ध में तीनों स्थानों के लिये एक या अलग अलग हाईकोर्ट के जज नियुक्त होंगे और उनकी रिपोर्ट सरकार को ज्यों की त्यों मान्य होगी ? उसके पश्चात फेथफुल इम्प्लीमेंटेशन होगा और

Page No 59

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इस जुडीशियल एन्क्वायरी में पाये गये दोषी अधिकारियों का निलम्बन और शेष का स्थानान्तरण होगा, इस सम्बन्ध में भी राज्य सरकार ने क्या कोई निर्णय लिया है ? प्रश्न तीन, प्रश्न चार जूडीशियल एन्क्वायरी के सिलसिले में जिस प्रकार बेरी कमीशन में राज्य सरकार ने चार चार अपने वकीलों को 1100-1100 रुपये रोज देकर कांग्रेस के हारे हुये पुराने उम्मीदवारों को खपाने की कोशिश की क्या अब भी सरकार इस जुडीशियल एन्क्वायरी में हारे हुये कांग्रेस के वकीलों को 1100-1100 रु० रोज देकर नियुक्त करेगी ? क्या सरकार की इन हारे हुये कांग्रेसी वकीलों को खपाने की मंशा नहीं है और क्या सरकार यह निश्चित रूप से कह सकती है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक वकील और ड़ेड व इन्ज्योरड की तरफ से एक वकील समान भत्ता पाने वाला सरकार नियुक्त करेगी ? इतना ही में जानना चाहता हूं ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि यह जांच किस स्तर की होगी ? क्या राज्य सरकार के सामने कोई ऐसी कठिनाई है कि हाईकोर्ट के जो जजेज हैं वे इस एन्क्वायरी को करने को तैयार नहीं है । इसके अतिरिक्त क्या राज्य सरकार इस बात के लिये तैयार है कि जनता पक्ष और घायल पक्ष की पैरवी करने के लिये, सरकार जैसे वकील अपने लिये मुकर्रर करे उसी स्तर के वकील उनके (जनता पक्ष और घायल पक्ष) लिये भी मुकर्रर करेगा और उनका सारा खर्चा सरकार वहन करेगी ? उन वकीलों का चयन राज्य सरकार को स्वयं को नहीं करना चाहिये बल्कि दूसरे पक्ष के लोग स्वयं वकील चुने । क्या यह सही है कि जिस वक्त फायरिंग हुआ उस समय चूरू शहर में 144 धारा नहीं लगी हुई थी ? यह धारा 144 फायरिंग के कितनी देर बाद लगाई गई ? क्या राज्य सरकार के सामने यह समस्या आ गई है कि राज्य सरकार ने एक तरफ जुडीशियल एन्क्वायरी का ऑर्डर दिया है और प्राइमाफेसी मान लिया है। दूसरा यह प्रश्न भी है कि किसी मजिस्ट्रेट ने घटनास्थल पर फायरिंग के आदेश दिये । क्या उस सरकारी अधिकारी के निलम्बित करने की कार्यवाही की गई है जिसने यह कहा है कि मैंने कोई आदेश नहीं दिया ? क्या राज्य सरकार को कुछ सदस्यों ने जो सूचना दी है इसके अतिरिक्त भी पुलिस के महकमें को ऐसी सूचना है कि उन्होंने अपने आप गोली नहीं चलाई ? उनको मजिस्ट्रेट के द्वारा आदेश दिये गये थे । इसके साथ साथ क्या राज्य सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि जहां यह घटना हुई है वह घटनास्थल कौनसा था, स्पेसिफिक तौर पर बतावें ।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं । क्या यह सही है कि ठीक 9½ बजे कालेज की चारदीवारी के बाहर 15-20 लड़के जो कि स्टेज लगाकर बैठे थे और माइक की आवाज थी वहां पर दो जीपें जिनमें पुलिस के अधिकारी और सिविल अधिकारी और एक ट्रक जिसमें आर. ए. सी. और पुलिस के लोग वहां पर पहुंचे और वहां पर लाठी चार्ज किया गया ?

क्या यह सही है कि 15-20 लड़के कालेज की बाउन्डरी के अन्दर पहुंच गये तो वहां के एस. डी. ओ., तहसीलदार, आर. आई. ने और चार थानेदारों ने उनका पीछा किया ?

(श्री केदारनाथ)

क्या यह सही है कि वहां लड़का सरदार कृपालसिंह जिसको एस.डी.ओ. ने मूर्ति के पास पकड़ा और जब वह वहां से भाग गया तो सबसे पहले फायरिंग वहां के डी.एस.पी. ने किया और वह समय कौनसा है और जो लड़का घटनास्थल पर मारा गया, जब हास्पीटल में जाते हैं तो वहां डाक्टर ने कब उसकी एन्ट्री की उसकी और जख्मी लड़के की। ठीक 10.45 पर हास्पिटल में काशीराम की लाश को ले जाया गया, और इन्जर्ड लड़कों को वहां पहुंचाया गया और क्या यह सही कि हास्पिटल की एन्ट्री में चेन्जेज आई ?

अध्यक्ष महोदय, एक बात और पूछना चाहता हूं कि जब आप जुडीशियल इन्क्वायरी की बात करते हैं और सरकार यह बात करती है तो वहां पर आर. आई. है, डी. एस. पी. है, थानेदार भी है, एस. डी ओ. भी है और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट भी हैं और ऐसे सरकम्सटान्सेज के बीच में जब कि पहले उन्होंने परस्यू किया, लाठी चार्ज किया है और फिर कम्पाउन्ड के अन्दर गये और वहां पर सारे प्रोफेसर्स वगैरह बैठे हैं, लड़के फायरिंग के बाद होस्टल में भाग कर आते हैं और वहां पर फायरिंग इस तरह से होना कोई प्रेजम्प्शन नहीं होता कि वहां एस.डी. ओ. का या आर. आई. का हाथ न हो।

एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यह घटना गंगानगर किसान आन्दोलन से संबंध रखती है तो मैं आपकी मार्फत सरकार से यह कहना चाहता हूं कि सुखाड़िया साहब के ये पीसमील स्टेटमेन्ट कभी किसी डिमांड के बारे में, कभी किसी फेस मूवमेन्ट के बारे में निकलते हैं यह तरीका गलत है। जुडीशियल इन्क्वायरी के बारे में जब तक वहां के आफिशियल्स सिविल और पुलिस के अधिकारी शामिल हैं चाहे सांगरिया, भादरा या चूरू का सवाल है उनको फौरन ही आज सस्पेण्ड कर दें, उनका ट्रान्सफर कर दें और जब तक यह वादा नहीं मिलता कि कोई भी जांच हो उसकी इनटाटो हम रिकमन्डेशन मानेंगे। तब तक यह कोई माने नहीं रखता।

श्री अध्यक्ष : क्या सरकार यह इरादा रखती है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है…

श्री अध्यक्ष : अब नहीं, माननीय सदस्य।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बहुत महत्वपूर्ण है कि धारा 144 को 11 बजे निकालते हैं ऐसा मेरे पास जो आर्डर की कापी है उसमें है और घटना फायरिंग की 10।। बजे हुई है इस बारे में भी आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : वह आ चुका है।

श्री दौलतराम सारण : अभी तो प्रक्रिया ही ऐसी चालू कर दी है कि पहले तो आप प्रश्नों का उत्तर दे देते फिर हम पूछते।

श्री अध्यक्ष : आप भी पूछ लीजिए।

श्री मेघराज (चूरू) : क्या यह सही है कि गोली चलाने वाले 7 सिपाही एस. डी. एम. और तहसीलदार के पास खड़े थे और वहीं से उन्होंने गोली चलाई और इसके अलावा दूसरे सिपाहियों के पास राइफल्स नहीं थी ?

Page No 61

मेजर श्री फतेहसिंह : मैं भी एक प्रश्न रखना चाहता हूं। इस सदन के सामने दो स्टोरीज आई हैं। कान्सटेबल्स का कहना है कि अधिकारियों की आज्ञा से गोली चलाई। अधिकारियों का कहना है कि कान्स्टेबिल ने उनकी बिना आज्ञा, के गोली चलाई। तो मेरा प्रश्न यह है की क्या इन्क्वायरी करने से पहले डी. एम. पी., एस. डी. एम. और आर. आई. इनको भी सस्पेन्ड करने का सरकार इरादा रखती है?

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या यह सही है कि गोली कालेज के अन्दर से चलाई गयी और गोली दो तरह की चली है। एक तो रिवाल्वर की और एक राइफल की ?

क्या यह सही है कि कॉलेज में इन्क्वायरी शिक्षा विभाग के किसी विशेष अधिकारि द्वारा भी की गयी है ?

क्या यह सही है कि वे व्यक्ति घायल और मृत कालेज बिल्डिंग के अन्दर हुए हैं, कालेज बिल्डिंग के ग्राउन्ड में नहीं ? कालेज बिल्डिंग की सीढ़ियों के ऊपर नीचे से चलकर 7वीं सीढ़ी पर लड़का मरा है और प्रिन्सिपल के ऑफिस रूम के आगे खड़ा हुआ चपरासी घायल हुआ है ?

क्या यह सही है कि गोली से पहले कोई एहितयात कार्यवाही जो आवश्यक होती है वह नहीं की गयी ?

क्या यह भी सही है कि 144 धारा का विज्ञापन या उसका प्रचार 12 बजे बाद जीप में माइक लगवाकर शहर में करवाया गया है ?

क्या यह सही है कि हास्पिटल में घायलों को ले जाया गया उस समय इन्चार्ज डाक्टर राजदान थे और उन्होने घायलों को देखा था और उनकी एन्ट्री की थी और फिर डाक्टर राजदान ने फोर्स करने पर एन्ट्री में चेन्ज करने से इन्कार कर दिया और इसीलिए डाक्टर राजदान को रतनगढ़ ट्रान्सफर कर दिया गया और फिर डाक्टर शर्मा से मनमानी चेन्जेज कराई गई ?

क्या यह सही है कि पोस्टमार्टम दूसरे दिन 8 बजे कराया और डी० एम० एच० ओ० ने जो पुलिस के घायल बताये थे उनको देखा था लड़कों की शिकायत पर और उन्होंने कहा था कि कोई घायल नहीं हुआ है इनमें से और किसी पुलिस अधिकारी को चोट नहीं आई है ?

क्या यह भी सही है कि पत्थर बाजी करने की पहले बात कही जाती है वह बिलकुल गलत है ? न जुलूस था और केवल एक फट्टे पर माइक रखकर बजा रहे थे और लड़के होस्टल में स्नान कर रहे थे और कुछ लड़के स्कूल के थे 15-20 लड़के उसके पास गाने सुन रहे थे ?

क्या यह सही है कि पुलिस ने आते ही उन लड़कों से माईक और फट्टा छीन लिया और ट्रक में डाल दिया और वह ले गये और आज तक वापिस नहीं लौटाया है ?

क्या यह सही है कि पुलिस ने उसके बाद दनादन बिना सूचना के गोलियां चालू कर दी और कुछ तो भाग गए जो कालेज के सामने खड़े थे उनके ऊपर गोलियां मकान में जाकर लगी और वहीं पर वह मरे और प्रोफेसर्स भी कुछ थे जो भागकर कमरों में

(श्री दौलतराम सारण)

घुस गए और अगर वह कमरों में नहीं जाते तो पता नहीं कितने प्रोफेसर्स स्टाफ के मरते और गोलियों के जितने निशान आये हैं वह कॉलेज भवन के मुख्य द्वार पर आये हैं।

राजवी श्री रूपसिंह : मैं यह पूछना चाहता हूं कि फायरिंग जिस रोज किया गया उस समय किस किस सिपाई ने किस किस जगह खड़े होकर यह फायरिंग किया और कितने कितने राउन्ड्स उस समय फायर किये गये। और फायरिंग का एग्जेक्ट टाइम क्या था? क्या इस फायरिंग के समय एस. डी. एम. मौजूद थे। जिन सिपाहियों ने फायरिंग किया वे उनसे कितनी दूर के फासले पर खड़े थे? जब आपने इस केस में मान लिया है कि यह फायरिंग अनजस्टीफाइड था तो आपने फिर यह कैसे 304 (ए) आई. पी. सी. में केस रजिस्टर किया? इसके बजाय यह 302 आई. पी. सी. में क्यों नहीं किया?

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्रीजी।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहता हूं कि यह धारणा बन गई है कि सरकार ने इस फायरिंग को अनजस्टीफाइड-मान लिया यह सही नहीं है…

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रोज रेडियो बोलता था।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने नहीं सुना बाहर हाल मैं सरकार का दृष्टिकोण बताना चाहता हूं। यह धारणा जो बनी हुई है चाहे रेडियो बोलता हो, चाहे अखबार में आया हो या और कारणों से आपके दिमाग में जम गया हो कि सरकार ने इसको अनजस्टीफाइड मान लिया है, यह सही नहीं है। केवल इसलिये कि केस रजिस्टर हो गया और मुलजिमान को सस्पेन्ड कर दिया है और अरेस्ट कर लिया। यह प्रिलिमिनरी बात है कि एस. डी. एम. और डी.एस.पी. मौजूद थे और फायरिंग का हुक्म देने के लिये काम्पीटेंट थे। उनका कहना है कि उन्होंने ऐसा आर्डर नहीं दिया और उस पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कैसे रजिस्टर किया हैं। केस रजिस्टर करने का मतलब कोई फाइन्डिंग्स हो जाना या मान लेने वाली बात नहीं है। केस रजिस्टर होने के बाद उसके अन्दर इनवेस्टीगेशन्स होते हैं। फायरिंग की इतला होने से रूल (9) पुलिस रेगुलेशन्स के तहत जिला कलेक्टर को मुकर्रर किया कि वह जांच करे और उसके नतीजे से ही मालूम हो सकता है कि फायरिंग आर्डर से किया गया या आर्डर के बगैर किया गया और वह जस्टीफाइड था या अनजस्टीफाइड था, सेल्फ डिफेन्स में था या नहीं था? यह जितनी बातें हैं यह इन्क्वायरी के नतीजे से ही मालूम हो सकती हैं।

(1 म. प.)

यह इन्वेस्टीगेशन कम्प्लीट हो जाय तो मालूम हो सकता है। जैसा मैंने कहा है कि केस का इन्वेस्टीगेशन चल रहा है। कलेक्टर के नाम सरकार से आदेश दिये गये हैं कि खुद एन्क्वायरी एज़ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करें और उसको जो फाइंडिंग्स आयेंगी उसके ऊपर कुछ नतीजा निकाला जा सकता है कि फायरिंग जस्टिफाईड था या नहीं, कब किया गया, किसका आर्डर था, ये सारी बातें तभी मालूम हो सकती हैं।

Page No 63

(श्री दामोदरलाल व्यास)

दूसरी बात माननीय सदस्यों ने कुछ ने यह जानना चाहा है कि जुडीशियल एन्क्वायरी के अन्दर एक ही ट्रिब्यूनल होगा एन्क्वायरीज का या अलग अलग होगा यह कहना मुश्किल है जज कितने एवलेबल हैं, कौन मन्जूर करता है तभी यह कहा जा सकता है मगर हम कोशिश यह करेंगे कि जल्दी से जल्दी एन्क्वायरी खत्म हो और अनड्यू डिले न हो।

जहां तक वकीलों का प्रश्न है सरकार के पक्ष की तरफ से कोई वकील वहां पर पेश नहीं किया जाता। केवल वकील इस लिए किया जाता है कि कमिश्नर ऑफ एन्क्वायरीज एक्ट में एक एन्क्वायरी है और पब्लिक इम्पार्टेन्स की होने की वजह से सही फाइंडिंग्स वे दे सकें और सही वाकेआत और सही फैक्ट्स उनके सामने आ सकें इस लिहाज से वकील मुकर्रर किये जाते हैं। जो लोग जख्मी हुए हैं, जो लोग दुर्भाग्य से मर गये हैं और जिन लोगों ने फायरिंग किया है उनके सब के पक्ष के वकील जो डिफेन्ड में जाने वाले हैं वे आयेंगे उनका सही वाकेआत कमीशन के सामने रखने का कर्त्तव्य है। वह किसी का पक्ष लेकर नहीं होते हैं। बेरी कमीशन था तो उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वकील इसलिये बनाना पड़ गया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसमें इन्वाल्वड हो गया था।

304 और 302 यह तो एक ऐसी बात है कि जो इन्वेस्टीगेशन पर डिपेन्ड करती है। 302 अगर निकलता है तो उस दफा में किया जायेगा, 304 निकलता है तो 304 में किया जायगा। It all depends on investigation इसके पहले नहीं कहा जा सकता है। सरकार ने डाइरेक्शन्स नहीं दी है········

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इन्वेस्टीगेशन कौन कर रहा है ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तरीका ठीक नहीं है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इस बात में नाराज होने की बात नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। मैं अपनी बात बता दूं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं आपसे गाईड नहीं होता हूं। आप मुझे रेग्युलेट नहीं कर सकते हैं। आप (श्री अध्यक्ष) कह रहे हैं तो आपकी बात मान लूं। गृह मंत्री मुझको ········

श्री अध्यक्ष : मैं कह रहा हूं कि आप स्थान ग्रहण कर लें।

श्री दामोदरलाल व्यास : अब ये डिटेल्स की बातें हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने पूछा है कि गोली कहां से चलाई गई, कौन मौजूद था, जहां तक इसका सम्बन्ध है तो मैंने निवेदन किया है कि एस० डी० एम० और डी० वाई० एस० पी० दोनों मौजूद थे ये डिटेल्स की बातें हैं जो मैं नहीं कह सकता हूं। ये सारी एन्क्वायरी के अन्दर आजायेगी बातें ······

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : केस को मैन्यूफैक्चर करना पड़ेगा।

Page No 64

श्री दामोदरलाल व्यास : वह तो वकील करेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बेरी कमीशन में तथ्य मैन्यूफैक्चर किये थे वह सारा हाईकोर्ट के पास मौजूद है।

श्री दामोदरलाल व्यास : डी० वाई० एस० पी० और आफिसर मौजूद थे उन्होंने फायरिंग के ऑर्डर दिये थे तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी या केस रजिस्टर्ड किया जायेगा, ये सारी बातें इन्क्वायरी के नतीजे पर निर्भर करती हैं। बहरहाल जब तक इन्क्वायरी न हो जाय यह नहीं मालूम कि पुलिस कान्स्टेबल्स ने क्या कहा, क्योंकि पुलिस कान्स्टेबल्स का वर्शन अभी गवर्नमेंट के पास में नहीं आया है यह बात जरूर है कि सदन के माननीय सदस्यों ने खासतौर से जयपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने, दूसरे साहबान ने जो वहां के हैं, जो पुराने विधायक हैं उन लोगों ने मुझे बतलाया है, उनका कहना है कि एस० डी० एम० ने ऑर्डर दिया था गोली चलाने का। तो दोनों पक्ष हो गये-एक, आर्डर देने वाला इन्कार करता है और दूसरे लोग कहते हैं कि उन्होंने आर्डर्स दिये थे। यह भी जांच से ही नतीजा निकल सकता है इस बात का भी। जितने पाईंट्स आप उठा रहे हैं ये सारे जब तक एन्क्वायरी कम्प्लीट न हो जाय उस वक्त तक मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि आपके सामने वह बात रख सकूं कि सही क्या है…

श्री मदनसिंह : इसके सम्बन्ध में सी० आई० डी० की रिपोर्ट क्या है?

श्री दामोदरलाल व्यास : सी० आई० डी० की रिपोर्ट तो, ठाकुर साहब, आप जानते ही हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : You keep him in confidence.

श्री दामोदरलाल व्यास : वह कान्फीडेन्सल है जब तक कि मैं डिस्क्लोज करूं।

रहा सवाल इस इस बात का कि कम्पनसेशन वगैरह की बात है तो मैं इसके लिए यह कह सकता हूं कि जहां तक एक्स ग्रेशिया ग्रान्ट का सवाल है उन लोगों की फाइनेन्शियल पोजीशन है उसको देखकर सरकार विचार करेगी। इसमें हमेशा सरकार की नीति उदार रही है……

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अहः!

श्री दामोदरलाल व्यास : और उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए……

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : बेरी कमीशन वाले को दे दिया गया?

श्री दामोदरलाल व्यास : गोली कहां लगी, कौन कहां पर खड़ा हुआ था, ये सारी बातें एन्क्वायरी के सामने आयेंगी। मैंने जैसा कि आप से निवेदन किया है कि जुडीशियल एन्क्वायरी लेने से पहले इन्वेस्टीगेशन और दूसरी कलेक्टर की जो प्राइमरी एन्क्वायरी अन्डर रूल 197 है उसका रिजल्ट क्या निकलता है, तब तथ्य सामने आयेंगे, किन्तु इस वक्त किन सरकम्स्टान्सेज में ये गोलियां चलीं……

श्री नत्थीसिंह : जुडीशियल एन्क्वायरी किस स्तर पर होगी, यह तो पता होगा? हाई कोर्ट के जज करेंगे या सेशन्स जज करेंगे? एन्क्वायरी करने को तैयार भी हैं क्या कोई?

Page No 65

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि जजेज एवेलेबल भी होंगे। कोशिश हम करेंगे हाई कोर्ट के जजेज के लिए। यह सवाल पैदा नहीं होना चाहिए कि हाई कोर्ट जज ने इन्कार कर दिया है।

श्री नत्थीसिंह : अखबारों में आया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : अफवाहें आप सुनते रहें मुझे ऐतराज नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी तरफ से यह कमिटमेंट होना चाहिए कि हाई कोर्ट के जज से नीचे का नहीं होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह एवेलेबिलिटी पर है कि एक जज होगा, दो होंगे या ट्रिब्यूनल होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : होगा तो हाई कोर्ट का।

श्री दामोदरलाल व्यास : इस तरह की पाबन्दी नहीं है। जजेज कौन से एवेलेबल होंगे इसमें, मगर हम कोशिश करेंगे...

श्री नत्थीसिंह : सेशन्स जज तो नहीं होगा ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : नार्मली जज हाई कोर्ट के जज से नीचे का नहीं होना चाहिए। मैं इस बारे में केटेगोरिकली कमिटमेंट चाहता हूं क्योंकि गवर्नमेंट की ओर से मुख्य मन्त्रीजी ने घोषणा की है कि जुडीशियल एन्क्वायरी हाई कोर्ट के जज से नीचे के स्तर से नहीं होगी।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपसे निवेदन किया है ज्यादा जज मुकर्रर किये जायेंगे तो कम से कम एक हाई कोर्ट का जज तो होगा।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय हम क्या करें। किसी एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला अगर-मगर करके टाल दिया। मैंने निश्चित रूप से प्रश्न पूछा है कि पोस्टमार्टम कब किया गया ?

श्री अध्यक्ष : यह डिटेल्स की बात आप कहते हैं। यह प्रश्न डिटेल्स का नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : यह डिटेल्स का प्रश्न नहीं है, अनिवार्य प्रश्न है। डेड बॉडी के पोस्टमार्टम की आपको जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : जो कुछ थी वह दे दी।

श्री दौलतराम सारण : दूसरा प्रश्न यह था कि जो वहां पर मौजूद थे उसने रेकार्ड में फेर बदल करने से इन्कार कर दिया। इसलिए उसका रतनगढ़ ट्रान्सफर कर दिया। आप जबरदस्ती एक्साइट करते हैं और इस प्रकार के नृशंस हत्याकाण्ड के सम्बन्ध में इस प्रकार का उत्तर दे रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके लिए, अध्यक्ष महोदय, ये जिस भाषा का प्रयोग करते हैं और इस तरह से गुस्सा दिखाकर बात करते हैं। इनको कोई अधिकार नहीं है इस तरह से सदन के अन्दर आंखें दिखाने का...

श्री रामचन्द्र आर्य : जो हत्यारे होते हैं ....

श्री दौलतरामसारण : मैं अध्यक्ष महोदय को सम्बोधित कर रहा हूं। मैं आपसे नहीं बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज !

श्री रामचन्द्र आर्य : इसलिए ये शब्द आपके खिलाफ उपयुक्त हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपने एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपके प्रश्न का भी उत्तर दे चुका हूं।

श्री नत्थीसिंह : एन्क्वायरी किसके द्वारा हो रही है यह नहीं बताया है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह : आपने यह नहीं बताया है कि जुडीशियल एन्क्वायरी की जो फाईंडिंग्स होंगी उसको गवर्नमेंट स्वीकार करेगी या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कल माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने बता दिया है कि जो कमीशन ऑफ एन्क्वायरी एक्ट है उसको देखलें। उसके अन्दर क्या गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग है या ओब्लीगेट्री है वह उसमें है।

श्री भैरोंसिंह : आप गवर्नमेंट की तरफ से क्या यह सदन को एश्योरेन्स दे सकते हैं कि इस जुडीशियल कमीशन की फाइंडिंग्स राजस्थान सरकार मंजूर करेगी ? अगर इस भाषा में आश्वासन नहीं देना चाहते हैं तो यह आश्वासन दे दें कि जिस प्रकार बेरी आयोग के प्रतिवेदन के साथ राजस्थान सरकार ने व्यवहार किया है उसी प्रकार का व्यवहार इस जुडीशियल कमीशन की फाइंडिंग्स के साथ होगा ? और कोई भेद नहीं किया जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने ऐसा कह दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या कहा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इन्क्वायरी कमीशन एक्ट का मुलाहिजा कर लीजिये, जो आब्लीगेट्री है वह आब्लीगेट्री होगा और जो डिस्क्रिशनरी है वह डिस्क्रिशनरी होगा। बेरी आयोग के प्रतिवेदन के साथ कायदे कानून के खिलाफ कुछ नहीं किया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कह दें जैसा व्यवहार बेरी आयोग के प्रतिवेदन के साथ किया गया, बेरी आयोग की फाईंडिंग्स के साथ में किया गया उसी प्रकार का व्यवहार इस इन्क्वायरी कमीशन की फाईंडिंग्स के साथ किया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : यह कह दें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : जुडीशियल इन्क्वायरी के लिए आपने एक बात बताई कि हम इन्क्वायरी करायेंगे। लेकिन इसके साथ के प्रश्नों का जवाब नहीं दिया जाता है तो भ्रांति फैलती है कि आयोग केवल इसलिए नियुक्त किया जा रहा है कि तमाम मामले पर पर्दा डाल दिया जाय और इन्क्वायरी कमीशन के प्रतिवेदन पर गौर नहीं करने का जो बेरी आयोग के प्रतिवेदन का फेट हुआ है उसी तरह से करना चाहते हैं तो निश्चित तौर से हम इस बात के लिए बाध्य होंगे कि हम इस प्रकार के नाटक का बहिष्कार कर दें और सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर दें ....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर, अध्यक्ष महोदय, यह भाषण देने लग गये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : और जो इन्क्वायरी कमीशन की फाइंडिंग्स हों उनको मानने के लिए बाध्य कर दें ········

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : एक बात। दूसरी बात यह है ···

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्रश्न पूछें। भाषण नहीं दें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं निवेदन करना चाहता हूं और स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि दो चीजें हैं, एक तो इन्क्वायरी और दूसरा इन्वेस्टीगेशन। अब इन्वेस्टीगेशन किस तरह से हो? आपने कहा कि डी.एस.पी. और एस.डी.एम. वहां पर मौजूद हैं, तो वहां पर वही डी. एस. पी. मौजूद हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि He is one of the persons indulged in the issue.

श्री अध्यक्ष : अंग्रेजी में नहीं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : वही इन्वेस्टीगेशन करें। वह उससे कन्सर्निंग हैं साहब। जिस आदमी का उसमें अस्तित्व रहा, जिसने तमाम घोटाले में भाग लिया वही लोग इसका अनुसन्धान करेंगे, इन्वेस्टीगेशन करेंगे तो उसमें कोई सच्चाई सामने नहीं आयेगी।

श्री अध्यक्ष : स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इन्क्वायरी कलेक्टर साहब कर रहे हैं, उसके लिए रेगूलेशन आपने कोट किया है उसके अन्तर्गत वह कर रहे हैं। यह दूसरी बात है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस स्तर पर क्या आप इस स्थिति में हैं कि जो कुछ इन्वेस्टीगेशन का नतीजा आयेगा उसको आप वर्क आउट करेंगे।

श्री अध्यक्ष : वह प्रश्न पूछ लिया गया है, माननीय गृह मंत्री ने कह दिया है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मेरा निवेदन है कि जो इन्वेस्टीगेशन करायें वह निष्पक्ष तरीके से करायें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्तर पर इन्क्वायरी करायें वह सही इन्वेस्टीगेशन नहीं माना जायेगा। आप सी.बी.आई. से पूछ लीजिये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछ लिये गये। प्रश्न समाप्त हो गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं सदन की जानकारी के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि मैं इस सुझाव को मानता हूं, डी.आई. जी., सी. आई. डी. के जरिये इन्क्वायरी करायें, क्राइम ब्रांच के जरिये करायें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : गल्ती करिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने कुछ क्वेश्चन किये थे·······

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आपके मन में हो तो सी. बी. आई. को दे दीजिये। सैन्ट्रल इन्टेलीजेन्स ब्यूरो को दे दीजिये। उसकी जांच निष्पक्ष होती है तो सी.बी.आई. को दे दीजिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपने मान लिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने प्रश्न पूछा था गृह मंत्रीजी से कि यह केस रजिस्टर्ड जिला प्रशासन ने अपने आप कर लिया या गवर्नमेंट के कन्सलटेशन से और फैक्ट्स आने के बाद गवर्नमेंट की एप्रूवल से किया गया है। अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और कर रहा हूं, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है ...

श्री गिरधारीलाल व्यास : भाषण हो रहा है, अध्यक्ष महोदय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वहां के जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि हमने ऑर्डर नहीं दिया। दूसरे यह अनजस्टीफाइड है कि उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया। उसका दूसरा आल्टरनेटिव माननीय सदस्य, माननीय मन्त्री ने कहा कि उन्होंने ऑर्डर किया है। ऑर्डर भी किया है तो भी यह कन्फेशन हो ऐसी सिचूएशन नहीं है......

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिसकी बिना पर माननीय गृह मन्त्रीजी ...

श्री अध्यक्ष : सवाल पूछिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस स्टेज पर नहीं कह सकते कि वह जस्टीफाइड था या अनजस्टीफाइड था—यह स्थिति नहीं है। दोनों फेक्ट्स ....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अनजस्टीफाइड होने के नाते प्रश्न यह नहीं है ....

श्री अध्यक्ष : जवाब दे दिया गया है। प्रश्न दुबारा हो रहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा निवेदन है कि जो 302 है उसको इम्पलीमेंट किया जाय, और 302 का केस किया जाय और फिर इन्क्वायरी की जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री भैरोंसिंह : किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया है।

श्री दौलतराम सारण : एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया है। यह गम्भीर मामला है।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, जब मुख्य मंत्रीजी बोले थे तब उन्होंने इस तरह का इम्प्रेशन कायम करने की कोशिश की थी कि इस संबन्ध में जो भी इन्क्वायरी जुडीशियल होगी वह निश्चित रूप से हाई कोर्ट के जज के द्वारा होगी....

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कब इन्कार किया है।

श्री नत्थीसिंह : मैं इम्प्रेशन की बात कह रहा हूं। आपने यह शंका उत्पन्न की है कि हो सकता है.....

श्री दामोदरलाल व्यास : हो सकता नहीं, होगा जरूर।

श्री नत्थीसिंह : हो सकता कहा है। आप यह कैटेगोरीकली कहिये कि जो जांच करायेंगे वह हाई कोर्ट के जज के नीचे के स्तर के व्यक्ति से जांच नहीं होगी। आपने इस बात की शंका उत्पन्न की है।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : आप साफ कहिये जैसा कहा गया है चूरू का मैटर है.......

श्री अध्यक्ष : आप इस मामले को बार बार उठा रहे हैं।

श्री केदारनाथ : न आप सस्पेन्ड करें, न जुडीशियल इन्क्वायरी की फाईडिंग्स को इम्प्लीमेंट करने की बात स्टेटमेंट में कहें मैं शब्दों से कमेन्ट नहीं करूंगा, मैं कहता हूं कि हाउस से वाक आउट कर दिया जाय चूरू में, अध्यक्षजी, आप ताज्जुब करेंगे लड़कों के ऊपर पेनल केसेज बनाये गये हैं। और सिपाही नहीं डी० एस० पी० खुद लड़कों को पकड़ने जाते हैं, लड़के भागते हैं तो उनको गोली मार देते हैं। असलियत आपके पास है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आप यह चाहते हैं कि गोलीकाण्ड को इश्यू बना कर सारे राजस्थान के अन्दर एजीटेशन को तेज किया जाय......

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अपने ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : और टेंशन क्रियेट आप कराना चाह रहे हैं। आपने अध्यादेश वापिस लिया वह खुशी की बात है। गोलीकाण्ड करके आपने सब लोगों के दिलों में आग लगा दी, जिसके बारे में इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने भी अपनी राय जाहिर की ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने फिर तीसरा भाषण देना शुरू कर दिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लेकिन उसको आप नहीं मानेंगे और न आफिसरों के खिलाफ एक्शन लेने को तैयार हैं। इस प्रकार आप टेंशन बरकरार रखना चाहते हैं इसका मतलब यह है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं नहीं रखना चाहता हूं लेकिन माननीय सदस्य जरूर रखना चाहते हैं। मैंने आज तक नहीं सुना हैं कि डी० एस० पी० ने गोली मारी है, यह पहली मरतबा है, यह मेरी जानकारी में पहली बार आया है। आज तक इस संबन्ध में शिकायत नहीं आई। मैंने साफ कहा है कि हाई कोर्ट का जज इस ट्रिब्यूनल में कम से कम एक जरूर होगा।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) माननीय सदस्य

श्री दामोदरलाल व्यास : जज अवेलेबल हो--इस बात पर मुनहस्सर है, कौनसा जज तैयार होता है। कौन अवेलेबल होता है--यह उस पर मुनहस्सर है। मैंने साफ कहा है। मैंने कब कहा कि हाई कोर्ट का जज नहीं होगा।

श्री फतहसिंह : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इन्क्वायरी कमीशन की फाईडिंग्स को इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं? इसमें क्या आपत्ति है?

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : अध्यक्ष महोदय, सांगरिया, भादरा, चूरू में गोली काण्ड हुआ.........

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज! प्रश्न पूछ लिया गया है, उत्तर आ गया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा स्थगन प्रस्ताव है, अध्यक्ष महोदय... •

श्री फतहसिंह : प्रश्न का जवाब नहीं दिया है अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न नहीं होंगे अब।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है ।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव तो है लेकिन यह प्रश्न पूछ लिया गया है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं बैठता हूं, लेकिन मेरा स्थगन प्रस्ताव है और एक भी प्रश्न मैंने नहीं पूछा है ।

श्री अध्यक्ष : जितने भी प्रश्न थे, वह माननीय सदस्यों ने पूछ लिये हैं आपने नहीं पूछा । आप बैठे रह गये ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं देख रहा था······

श्री अध्यक्ष : मैं समाप्त करता हूं ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : लेकिन मैं जो प्रश्न पूछना चाहता हूं वह प्रश्न किसी ने भी नहीं पूछा ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष महोदय······

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न यहीं समाप्त होता है । उत्तर आ गया है । उत्तर के बाद प्रश्न नहीं होंगे ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैंने एक भी प्रश्न नहीं पूछा है । लोकतंत्र······

श्री फतहसिंह : आप इन्क्वायरी कराना चाहते हैं, गृह मंत्री जी, हमने एक प्रश्न किया था कि इन्क्वायरी प्रारम्भ हो उसके पहले आप प्रशासनिक अधिकारियों को ट्रान्सफर करेंगे या नहीं करेंगे क्योंकि वह लोग इन्क्वायरी में हस्तक्षेप करेंगे । कान्स्टेबल का था, वह खुद मुलजिम है उसके खिलाफ आरोप हैं दूसरी पार्टी का ।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न पूछ लिया गया है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : जवाब नहीं दिया है ।

श्री फतहसिंह : कि उन्होंने गोली चलाई······

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि धारा 144 कितने बजे लगाई गई है ? इसका उत्तर नहीं दिया गया है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : पुलिस ने गोली चलाई क्या उसको आप जबर्दस्त नहीं समझते हैं । जिस प्रकार गोली चलाई और छात्र भून डाले गये ······

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछ लीजिये, माननीय सदस्य !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप वहां क्यों नहीं गये ? एक प्रश्न । दूसरा यह है कि क्या सरकार आश्वासन देगी, वेरी आयोग की जो फाइंडिंग्स थीं उन पर सरकार ने कहा कि कमेटी नियुक्त करेगी, वह राय जाहिर करेगी । तो क्या सरकार आश्वासन देगी कि चूरू के गोली-काण्ड की जांच होगी वह हाई कोर्ट के जज के द्वारा, जज के द्वारा होगी······

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न पूछ लिया गया है । माननीय सदस्य ! कई माननीय सदस्यों ने पूछा है । आपने उसका उत्तर भी दे दिया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि धारा कितने बजे लगाई गई ...

श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा, सु.): क्या यह सही है कि शहीद काशीराम को पुलिस द्वारा तीन रोज पहले चैलेन्ज दिया गया था कि तुम्हारी हत्या कर दी जायगी ..

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : इतना ठीक है ।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : क्या यह चैलेन्ज किया गया था और क्या उसके घर पर जाकर यह कहा गया था कि हम काशीराम की हत्या करेंगे ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अब इसका जवाब आने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : अब स्पष्टीकरण नहीं होगा ।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मेरी जानकारी में नहीं है, यह आपसे ही मालूम हुआ है । आप डिटेल्स देंगे तो मैं जांच करा लूंगा ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : और क्या डिटेल्स चाहेंगे आप । इस सदन में माननीय सदस्य जानकारी दे रहे हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी जानकारी की जायगी । इसके अलावा जो सस्पेन्शन का सवाल है तो इन्क्वायरी के नतीजे से अगर यह साबित हुआ......

श्री रामचन्द्र आर्य : आप बता दें कि धारा 144 कितने बजे लगाई गई और गोली कितने बजे चली ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं कह रहा हूं कि कलेक्टर की इन्क्वायरी के ऊपर .....

श्री भैरोंसिंह : एक बडा महत्वपूर्ण प्रश्न गृह मन्त्रीजी के स्टेटमैंट से निकला है । आप जुडिशियल एन्क्वायरी करवा रहे हैं, इस जुडीशियल एन्क्वायरी के क्या टर्म्स रेफरेंस होंगे यह सरकार ने अभी तक तय नहीं किये हैं, न सांगरिया के गोलीकाण्ड की जुडिशियल एन्क्वायरी के सम्बन्ध में कोई टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय किये हैं, न मादरा के गोलीकाण्ड के सम्बन्ध में तय किऐ और न चूरू के गोलीकाण्ड की जुडिशियल एन्क्वायरी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस सरकार ने तय किये हैं । चूरू के मामले में जिस तरह की एन्क्वायरी कलेक्टर से करवा रहे हैं, क्या इसलिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस जुडिशियल इन्क्वायरी तय नहीं किये हैं कि वह कलेक्टर की रिपोर्ट आने के बाद तय किये जायें ? जब जुडिशियल एन्क्वायरी करवा रहे हैं तो क्या कलेक्टर की एन्क्वायरी भी इस मामले में होगी, यह गृह मन्त्री जी बतायें ।

श्री दामोदरलाल व्यास : नहीं, ऐसा नहीं है । फायरिंग जस्टिफाइड था या नहीं, इसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे, किसकी जिम्मेदारी है । यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है, जुडिशि-शियल एन्क्वायरी होगी तो कलेक्टर की एन्क्वायरी होनी चाहिये कि नहीं । जुडिशि-यल एन्क्वायरी हो रही है तो मैं समझता हूं

(श्री दामोदरलाल व्यास)
कलेक्टर से एन्क्वायरी कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिये टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो 5 मिनट की बात है, उसी वक्त तय हो जायेंगे। जहां तक कलेक्टर की एन्क्वायरी के लिये प्रश्न उठाया है वह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है मैं, महसूस करता हूं कि जुडिशियल एन्क्वायरी हो रही है तो कलेक्टर से एन्क्वायरी कराने की आवश्यकता नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : जब तक एन्क्वायरी हो, तब तक ट्रान्सफर्स उन सम्बन्धित अधिकारियों के नहीं हों तो यह कहां तक जस्टिफाइड होगा ?

श्री दौलतराम सारण : अभी अभी आप दो तरह के उत्तर दे गये हैं। अभी तो आप कह रहे थे कि एन्क्वायरी रिपोर्ट नहीं आ जाय तब तक हम उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। फिर कहा कि कलेक्टर की एन्क्वायरी नहीं होगी, तो फिर एन्क्वायरी का प्रश्न कहां रहा। जब कलेक्टर से एन्क्वायरी नहीं करवा रहे हैं तो एन्क्वायरी रिपोर्ट के आने का प्रश्न नहीं। फिर सम्बन्धित अधिकारियों का वहां से ट्रान्सफर क्यों नहीं करते हैं? मैंने चार पांच प्रश्न पूछे, उनमें से एक का भी उत्तर आपने नहीं दिया. जो वाजिब प्रश्न थे उनका उत्तर नहीं दिया। जिन्होंने बेगुनाहों पर गोलियां चलाई, उनका ट्रान्सफर क्यों नहीं करते ? फिर डॉ० राजदान का ट्रान्सफर रतनगढ़ क्यों कर दिया, जिस समय घायल वहां ले जाये गये क्या रेकार्ड मेन्टेन किया, आपके द्वारा फोर्स करने पर भी उसने रेकार्ड में हेर फेर करने से इन्कार कर दिया इसलिये उसका ट्रान्सफर कर दिया ··

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा, मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : आपकी जानकारी में केवल बेगुनाह लोगों को गोली से मार देना है, छात्रों को गोलीयों से भून देना है, फिर सब मामले को गोलमाल कर देना है......

श्री अध्यक्ष : आप इतने उत्तेजित न हों।

श्री दौलतराम सारण : चूरू का गोलीकाण्ड पुलिस के अधिकारियों ने, सिपाहियों ने नहीं किया है, चूरू गोलीकाण्ड एक बहुत बड़ा षडयन्त्र है। चूरू के गोलीकाण्ड के बारे में लोगों को पहले ही मालूम हो गया था, होटलों पर लोगों को एक दिन पहले ही मालूम हो गया था कि कल यहां गोलीकाण्ड होगा।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं।

श्री दौलतराम सारण : एक दिन पहले ही होटलों पर चर्चा हो चुकी थी कि कल यहां गोलीकाण्ड होगा।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा।

श्री दौलतराम सारण : केवल 15-20 लड़के और पुलिस बहुत भारी तादाद में जायं, राइफलमैन जायें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न इस पर हो चुके हैं, उत्तर हो चुका है। मेरे पास दूसरा चारा नहीं है। अब इस पर कोई प्रवचन, आपका भाषण नहीं होगा।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): यह व्यथा है, प्रवचन नहीं है.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने आदेश दिया नई परम्परा डालते हुए कि केवल प्रश्न पूछे जायेंगे तो आपके उस आदेश को हमने मान लिया, आपने आदेश दिया कि 5 सवाल से ज्यादा नहीं होंगे तो वह आदेश हमने आपका मान लिया पर गृह मंत्री ने उनका कोई उत्तर नहीं दिया, हाईकोर्ट के जज का तय नहीं करते, सस्पेन्शन को मंजूर नहीं करते, बाकी सारी बातें कही गईं, कोई भी चीज मंजूर करने को तैयार नहीं हैं, सारे मामले को गोलमाल करना चाहते हैं, जो जुडिशियल एन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आये उसको स्वीकार करने को आप तैयार नहीं बैरी कमीशन की रिपोर्ट आपको एक साल पहले मिली उसकी सिफारिशों के अनुसार आपने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया. सारी फर्जी कार्यवाहियां की गई, रेकार्ड में फर्जी रद्दोबदल की गई, मेडिकल के रेकार्ड में तब्दीलियां की गई, पुलिस के रेकार्ड में तब्दीलियां की गई और रेकार्ड को बदला, उसी तरह चूरू, सांगरिया, मंदरा में गोलीकाण्ड हुए वहां के रेकार्ड को बदला जायगा, आप सारी बातों पर लीपापोती करना चाहते हैं, हाउस में जबाब नहीं देना चाहते, गोलीकाण्ड करें, गलत अध्यादेश निकालें, लोगों को गोलियां चला चला कर मार दें, छात्रों को बिना किसी कारण के गोलियों से भून दें, सदन में वाजिब बातें कही जायें उनको मानने को तैयार नहीं तो मैं समझता हूं इस सरकार की जितनी निन्दा की जाय, जितनी भर्त्सना की जाय वह कम है, यह सरकार बेहूदा अनसिविलाइज्ड है, मैं तो कहता हूं यह हुकूमत कहलाने के लायक नहीं है जो बेगुनाहों को इस प्रकार गोलियों से भूनती है। क्या फायदा जुडिशियल कमीशन द्वारा एन्क्वायरी कराने से अगर सरकार उसकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती ...

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मैंने कब कहा ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप कहिये, उस रिपोर्ट को स्वीकार करेंगे ?

(विराम)

यह मानने को तैयार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब क्या किया जाय, कहाँ तक चलायें यह मामला, मेरे सामने क्या चारा है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसके अलावा हमारे पास भी क्या चारा है कि इस सदन से बहिर्गमन करें, कन्फ्रन्टेशन में नहीं आना चाहते ....

(एक साथ अनेक माननीय सदस्य बोलने लगे, शोरोगुल में अश्रव्य)

(श्री रामचन्द्र आर्य, श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री दौलतराम सारण, श्री नत्थीसिंह, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल और अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे, शोरोगुल में सब कुछ अश्रव्य)

श्री रामचन्द्र आर्य : अगर इस तरह नहीं सुनते तो इसका इलाज यह है, यही होगा (जूता दिखाते हुए)

(शोरोगुल, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज, माननीय रामचन्द्र आर्य, स्थान ग्रहण करें ...

(शोरोगुल, अश्रव्य)

श्री रामचन्द्र आर्य : इसका इलाज यही होगा ·····

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर This is terrible for the House.

(शोरोगुल, अश्रव्य । व्यवधान)

माननीय श्री रामचन्द्र आर्य, सदन का त्याग करें, बाहर जायें, माननीय आर्य सदन से बाहर जायें ।

(शोरोगुल, अश्रव्य)

माननीय रामचन्द्र आर्य सदन से बाहर जायें·········

श्री देवीदत्त गाड़िया : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय आर्य सदन से बाहर जायें, श्री आर्य सदन का त्याग करें ··

(शोरोगुल, अश्रव्य)

मैं मार्शल को आदेश देता हूँ माननीय सदस्य रामचन्द्र आर्य से सदन का त्याग करायें । उनसे जूता ले लें ····

(शोरोगुल, अश्रव्य)

माननीय आर्य सदन से बाहर जायें······

(शोरोगुल अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे)

श्री गिरधारीलाल व्यास : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय आर्य···

(शोरोगुल)

ठहरो, ठहरो ····

ठहरो, ठहरो ···

माननीय सदस्य आर्य, सदन से बाहर जायें ···

(अनवरत व्यवधान, अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे, अश्रव्य)

श्री मत्थीसिंह : यहां भी पुलिस का राज कायम करना चाहते हैं··· ··

श्री रामानन्द अग्रवाल : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज···

श्री गिरधारीलाल व्यास : (अश्रव्य)

श्री हरिदेव जोशी : (अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाड़िया : (अश्रव्य)

(शोरोगुल, अश्रव्य, व्यवधान)

श्री हरीदेव जोशी : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सर,······

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री मुकुटबिहारीलाल स्थान ग्रहण करें····

(शोरोगुल, अश्रव्य)

श्री हरिदेव जोशी : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सर,·······

श्री अध्यक्ष : आप अपने पोइन्ट ऑफ ऑर्डर को थोड़ा ठहरावें···

ऑर्डर, ऑर्डर ।

(शोरोगुल, व्यवधान, अश्रव्य)

Page No 75

श्री नत्थीसिंह : आपने सार्जेन्ट एट आर्म्स को आदेश नहीं दिया, वह कैसे आ गया...

श्री अध्यक्ष : मैंने आदेश दिया था, उसके बाद मैंने रोक दिया......

(शोरोगुल, अश्रव्य)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सार्जेन्ट एट आर्म्स कैसे आ गया ....यह हमारे प्रिविलेज का सवाल है...(अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आदेश मेरा था और रोकने का भी मेरा था, आप स्थान ग्रहण करें।

(शोरोगुल अश्रव्य)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल :....अश्रव्य इसके खिलाफ प्रिविलेज का मोशन रखता हूं..........

(अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री हरिदेव जोशी : पोइंट ऑफ ऑर्डर।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : पहले मेरा पाइंट ऑफ ऑर्डर है।

श्री अध्यक्ष : जब शासन अपने पैरों पर है तो कोई पाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है।

(व्यवधान कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सार्जेन्ट साहब को कहा है......

(अश्रव्य, व्यवधान)

क्या क्वालीफिकेशन्स हैं इनके ? किस तरह से इनको......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, आर्डर।

(शोरगुल)

माननीय सदस्य।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : निकलवाइए हमको, हमारा खून लें......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर

(व्यवधान)

सीना मत खोलो।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यहां नहीं चलता।

श्री विजयसिंह : चापलूसी करते हो सुखाड़िया की, नौकर हो.......

(अश्रव्य, व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : अध्यक्ष महोदय......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : ये लोग खून के प्यासे हों...

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं सदन को स्थगित इस विषम स्थिति में भी नहीं करना चाहता था...—

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सार्जेन्ट को सदन से चले जाने की आज्ञा दीजिए।

श्री अध्यक्ष : मैं सिर्फ निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय श्री रामचन्द्र जी ने जो कुछ किया, वह आपके सामने है, मेरे सामने भी है••••••

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किसी ने नहीं देखा ।

श्री रामचन्द्र आर्य : आखिर यही इलाज होगा इस सरकार का ।

श्री हरिदेव जोशी : और कह दीजिए ।

(शोरगुल, कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

सदन में जूता बता सकते हैं तो••••••

श्री गिरधारीलाल व्यास : इसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये ।

श्री हरिदेव जोशी : स्वतन्त्र पार्टी जनसंघ, भारतीय क्रांति दल चाहते हैं कि यह शोभनीय कार्य हुआ है, तो मुझे कुछ नहीं कहना है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : क्या शोभनीय कार्य हुआ, गोली चलाकर••••••••

(अश्रव्य, शोरगुल)

गोली चलाना शोभनीय कार्य है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करूंगा कि •••••• —

(अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ••••••• •••

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार के खड़े होने पर)

पहले मुझे तो निवेदन करने दें ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : स्वतंत्र पार्टी पर•••

श्री अध्यक्ष : आप पर कुछ नहीं है, जो कुछ है, मुझ पर है कवि महोदय स्थान ग्रहण करें ।

मेजर श्री फतहसिंह : आप उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री फतहसिंह ।

श्री मूलचन्द डागा : सदन की गरिमा का प्रश्न है ।

श्री फतहसिंह : मेरी और आपकी गरिमा का प्रश्न है ।

श्री मदनसिंह : पॉइंट ऑफ क्लैरीफिकेशन ।

श्री अध्यक्ष : There can be no clarification when the Chair is on its legs. मैं खड़ा हूं ।

श्री मदनसिंह : शायद मेरे बोलने से हल निकल जाय ।

श्री अध्यक्ष : मैं भी कोशिश करूं फिर आपसे मदद मांग लूंगा ।

(व्यवधान कम होने पर)

मैं यह समझ रहा हूं कि सदन का कार्य संपादन किया जाय । उग्रता, व्यग्रता, उसका अभिव्यक्ति से संबंध है और अब तक माननीय सदस्यों ने जो भी अपनी व्यग्रता, या चिंता व्यक्त की, भाषण के माध्यम से, अभिव्यक्ति के माध्यम से और सदन का बड़ा सौभाग्य है कि यहां परम्परा, प्रतिष्ठा और गरिमा रही है । माननीय सभी सदस्य इसको निभाने के प्रयत्न में रहे हैं । राष्ट्र के स्तर पर, तुलनात्मक दृष्टि से, सदन की गरिमा, प्रतिष्ठा और परम्परायें सर्वोच्च

(श्री अध्यक्ष)

रही हैं। ऐसी स्थिति में, इस दुरूह कार्य को यहां के बिजनैस संपादन के दुरूह कार्य को किस रूप से किया जाय। मैं माननीय सदस्यों की चिंता को समझ सकता हूं। संविधान में कई तरीके हैं, इस चिंता को व्यक्त करने के। उन तरीकों के अनुसरण करने से,हमारी प्रतिष्ठा हमेशा से बनी रही है। मैं यदि अपने मुंह से किसी प्रश्न को कहूं या किसी एक्शन का उल्लेख करूं, उचित नहीं मालूम होता, वह इसलिए कि अब तक जो प्रतिष्ठा और परम्परा रही है उस पर उसका आघात पहुंचा है। इस संदर्भ में मैं मौन रहना चाहता हूं। मैं माननीय सदस्यों को सिर्फ यही निवेदन करूंगा कि कितनी भी उग्रता और चिंता आपके मन में हो लेकिन उसका तरीका जो आपने संविधान में आपने ही निर्धारित किया.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चेंज होते हैं।

श्री अध्यक्ष : नियमों में आपने उसका प्रावधान रखा। इसके अतिरिक्त चेंज हुए, तो बात करके बाद में लाये जायें, मैं इस पर अधिक विवाद नहीं खड़ा करना चाहता। मुझे स्वयं को खेद है, दुःख है। कई माननीय सदस्य इस प्रश्न पर बैठकर सोचेंगे, वे भी मेरे खयाल से कुछ अंशों में सहमत होंगे कि इस प्रश्न को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। माननीय सदस्यों को अवसर देना चाहिए, शांत मन से इस प्रश्न को सोचें और अभी अगर इस सदन को आरम्भ रखें तब भी, मुझे भय है कि दोनों ओर से माननीय सदस्यों की व्यग्रता बढ़ सकती है। मैं भी स्वयं आपके आक्रोश को समझते हुए, अब तक की स्थिति को समझते हुए चलता रहा हूं धैर्य से लेकिन मैं समझता हूं अगर यह आक्रोश, चिन्ता और व्यग्रता बनी रही तो इस समय बिजनेस आगे बढ़ाने की स्थिति में मैं नहीं हूं। जब तक वापस कोरम की घंटी न बजाई जाय, मैं कार्यवाही को स्थगित करता हूं।

(सदन की कार्यवाही 1.38 म. प. पर स्थगित हुई)

सदन की बैठक मध्याह्नोत्तर 3 बजे कर 2 मिनट कर पुनः प्रारम्भ हुई।

(श्री निरन्जननाथ आचार्य अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : Yes.

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : लीडर ऑफ दी हाउस।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष जी, इस सदन में मै समझता हूं जिस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण, इस सदन की गरिमा को आघात पहूंचाने वाली घटना नोहर से आने वाले माननीय सदस्य के द्वारा यहां पर की गई उससे न सिर्फ माननीय सदस्यों की बल्कि सारे सदन की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचा है। गंगानगर के प्रश्न को ले कर जो कुछ सरकार की तरफ से सम्भव हो सकता था, यहां पर इस दृष्टि से कि शान्ति का वातावरण बने मैं समय समय पर कहता रहा लेकिन उस बात को यह समझा गया कि कमजोरी कि बात है और आज उसके परिणाम स्वरूप नोहर से आने वाले माननीय सदस्य ने जूता निकाल कर और जूते के जरिए यह सारी चीजें करवाई जायेगी, यह कहा। तो सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
कुछ कन्सेशन्स, जो करने चाहिए, किये हैं, चाहे कोई कुछ माने। कोई अब भी दबाव, धमकी दे कर करवाना चाहते हैं तो सरकार उनके सामने नहीं झुकेगी।

माननीय अध्यक्षजी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नोहर से आने वाले माननीय सदस्य को पूरे सेशन के लिए निष्कासित कर दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, । ....

श्री विशम्भरनाथ जोशी (राज्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी हम सब इसका समर्थन करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : उनको बोलने का अवसर दे दें, वे बहुत बड़ा कन्ट्रीब्यूशन देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं।

आप आरम्भ रखें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपाल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, अभी चूरू गोलीकाण्ड के प्रश्न को लेकर सदन में चर्चा के समय जिस प्रकार की अप्रिय घटना घटी, उसका तो मैं समझता हूं कि सदन में कोई भी सदस्य समर्थन नहीं कर सकता और इसलिए यह निर्विवाद रूप से मान भी लिया जाय कि इस प्रकार की घटना इस सदन में नहीं होनी चाहिये थी तो मैं समझता हूं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। पर जिस प्रसंग में यह सारी अप्रिय घटना घटी है, वह प्रसंग कितना दुर्भाग्यपूर्ण है? उसके सम्बन्ध में केवल मात्र यहां प्रश्न पूछे जा रहे थे और अध्यक्ष महोदय, यदि आप स्वयं इस आसन पर न होकर विरोधी दल में स्थान ग्रहण किये हुये होते.....

श्री अध्यक्ष : ऐसा क्यों कन्सेप्शन करते हैं, मैं तो आसन पर ही हूं।

श्री भैरोंसिंह : यह तो 67 में भी होने वाला था पर दुर्भाग्य से बच गये।

श्री अध्यक्ष : आसन को घसीट रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : हम भी आशा करते हैं और आपको भी आशा होनी चाहिये।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि सारी स्थिति में उग्रता आई, वह विरोधी दल के सदस्यों के कारण नहीं आई। अगर मुख्य मंत्री स्वयं, गृह मंत्री जी ने जिस प्रकार के उत्तर दिये हैं, उसका स्वयं गंभीरता से अध्ययन करें तो वे शायद स्वयं भी इस बात को महसूस करके चलेंगे कि चूरू गोलीकाण्ड को लेकर जिस प्रकार की उग्रता इस सदन में है और सदन के माननीय सदस्य जिस प्रकार की सरकार से अपेक्षा कर के चलते हैं, उसके अनुरूप सरकारी पक्ष की ओर से उत्तर नहीं दिये गये। अध्यक्ष महोदय, यह तो मानकर चलते होंगे कि आज किसी स्थान पर गोली चलाई जाय तो गोली तो हमारे पास है नहीं, गोली हो भी तो हम उसका उपयोग करना नहीं चाहते। लोकतन्त्र में जो हमारे अधिकार हैं, उन अधिकारों से विधान सभा के प्रांगण में आकर जन भावना का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। चूरू में गोलीकाण्ड हुआ, सरकार तो यह कह कर संतोष कर सकती है कि कुछ

(श्री भैरोंसिंह)
लोगों ने अनआथोराइज्ड फायरिंग किया था उसकी जांच के, जुडीशियल जांच के आदेश दे दिये पर जो लड़का जिस घर में से निकल गया, उसकी मां की किस प्रकार की भावना होगी, उसके पिता की किस प्रकार की भावना होगी, जिस कोम्युनिटी का, स्टुडेन्ट वह होगा उस कोम्युनिटी के कैसे फीलिंग्स होंगे, उन फीलिंग्स का आप एहसास करते होंगे। इस फीलिंग को राजस्थान में छात्रवर्ग द्वारा और जनता के द्वारा प्रदर्शित करते हुए देखते हैं। उस चिन्ता की स्थिति की जन भावनाओं को यहां सदन में लाया जाय और सरकार की ओर से उसका निरादर किया जाय तो जिस वातावरण के पक्ष में हम नहीं हैं, उस प्रकार का वातावरण बन सकता है और बनने का अवसर रहेगा। इसलिये मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि घटना से पहले जैसा वातावरण बना, उसके लिये विरोधी दल को दोष नहीं दिया जा सकता, जिसके लिये सरकारी पक्ष दोषी है। मुख्य मन्त्री प्रोसीडिंग्स को पढ़ें, इस प्रकार से सदन में आ कर कहने से पूर्व विरोधी दल के सदस्यों को सदन के नेता होने के नाते पूछा होता। सदन के नेता के नाते बोलते हैं तो उसका मतलब यह नहीं होता कि केवल कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, विरोधी दल भी सदन में सम्मिलित है। यदि हमें पूछा होता कि ऐसा वातावरण क्यों बना, विरोधी पक्ष से बातचीत करने के बाद भी अगर संतोष नहीं हुआ होता तो इस भाषा में बोलने की आवश्यकता होती। तीन दिन पहले आपने कहा था "मैं जन भावना के सामने झुकता हूं तो गौरव अनुभव करता हूं।" आज इस सदन में इस भाषा में बोलना कि "धमकी से झुकने वाला नहीं"। मैं सदन के नेता महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपको धमकी किसने दी ?

न तो इस सदन में आपको धमकी दी। ऐसा व्यक्ति जो अप्रिय घटना करता है उसके कारण विरोधी दल आपको धमकी देकर चल रहे हैं या विरोधी दल के रूप में जनता धमकी देकर चल रही है, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं धमकी पूर्ण भाषा के अर्थ को लेकर उल्टे आप धमकी दें, या इस प्रकार से कहें कि जन आन्दोलन के आगे राजस्थान की हुकूमत झुकने वाली नहीं है, तो मुख्य मन्त्रीजी से कहना चाहता हूं, आज से डेढ़ महीना पहले धमकी नहीं दी, मुख्य मन्त्री जिस तरह से चल रहे थे कि वह जन भावनाओं को मान जायेंगे, जैसे आज आप स्वयं मानते हैं। तो आज आपने दो स्टेटमैंट दिए हैं। आप स्वयं महसूस करके चलेंगे, आन्दोलन से पहले कभी आपने कन्सीडर नहीं किया कि गंगानगर के किसानों की मांग उचित है, आन्दोलन जब तक चला नहीं उस समय तक सरकारी प्रवक्ता कह रहे थे कि किसानों की मांग अनुचित है, राज्य सरकार उसके सामने झुकने को तैयार नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आन्दोलन के प्रभाव को देखकर आपने उनकी बातों को स्वीकार किया है। आप कहते हैं कि धमकी के आगे झुकेंगे नहीं, जन भावनाओं के आगे झुकेंगे। हमने स्वीकार किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस प्रकार का प्रस्ताव लाए। लेकिन विरोधी पक्ष ऐसा करते हों, ऐसा नहीं है। दिल्ली की मेट्रोपोलीटन काउंसिल में मेज पर खड़े होकर कांग्रेस पार्टी का सदस्य घड़ियाल बजाता है और जिस समय अध्यक्ष का आॅर्डर हुआ, कि घड़ियाल छीन लिया जाय तो जो घड़ियाल बजाने का डंडा था

(श्री भैरोंसिंह)
उससे सार्जेन्ट पर वार किया। केरल विधान सभा में कांग्रेस वालों का रोल देखा है, बंगाल विधान सभा में कांग्रेस का रोल देखा है, पंजाब में कांग्रेस पार्टी का रोल क्या था वह भी देखा है। यदि हम कांग्रेस पार्टी की नकल करते तो मुख्य मन्त्रीजी को मानकर चलना चाहिए कि जिस प्रकार कांग्रेस के लोग प्रदर्शन विधान सभा में कर रहे हैं, हमने नकल नहीं की। आज कोई भी व्यक्ति कांग्रेस में चाहे विरोधी दल के साथ बैठकर ऐसा काम करे जिससे सदन की गरिमा पर किसी प्रकार से लांछन आता है तो हम किसी रूप में उसको प्रोत्साहन देने वाले नहीं हैं, किसी भी रूप में स्वीकार करने वाले नहीं हैं, लेकिन हम मानकर चलते हैं कि सदन की गरिमा व्यक्ति व पार्टी से ऊंची है। लोकतंत्र के तरीके हैं और उसको बचाए रखने के लिए यदि कुर्बानी की आवश्यकता हुई तो पीछे हटने वाले हम नहीं हैं लेकिन जन भावनायें किसी परम्परा के नाम पर, जन भावनाओं को, बहुमत के नाम पर यदि दबाने की चेष्टा की गई तो वह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। तो जो सदन में अप्रिय घटना घटी है, उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं मैं समझता हूं कोई ऐसा माननीय सदस्य नहीं होगा...... –

श्री हरिदेव जोशी : उस समय आपके सदस्य समर्थन कर रहे थे।

श्री दौलतराम सारण : उत्तेजना मत पैदा करो। मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि वह जोशी जी पर लगाम डालें, आपे से बाहर जा रहे हैं......

श्री भैरोंसिंह : जो कमजोर व्यक्ति होता है, उसको उत्तेजना होती है, यह कमजोरी के लक्षण हैं।

श्री हरिदेव जोशी : एक उत्तेजित हो तो दूसरा भी होता है, आपने स्वयं ने देखा है।

श्री भैरोंसिंह : जिस प्रकार का एटमास्फीयर है....

श्री हरिदेव जोशी : तो फिर उस पोलिटिकल पार्टी को कंडेम करना चाहिए।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : कर रहे हैं ना।

श्री भैरोंसिंह : आपने कभी खड़े होकर फायरिंग को कन्डेम किया है ?

श्री हरिदेव जोशी : उस चीज को कन्डेम करना......

श्री भैरोंसिंह : आपने शुरू फायरिंग को कन्डेम किया है ?

श्री हरिदेव जोशी : कोई पसंद नहीं करता।

श्री भैरोंसिंह : तो हम भी जूता उठाना पसंद नहीं करते। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो घटना घटी है, उसको लेकर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी को दुःख हुआ, वैसा दुःख हमें भी है लेकिन उस दुःख को समाप्त करने का सवाल है। सदन में परम्परायें बनाने का सवाल है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह अप्रिय प्रसंग विधान सभा कार्यवाही का भाग बने, हम ...

श्री हरिदेव जोशी : हमने कहा था कि एक्सपंज किया जाय, आपके सदस्यों ने कहा, नहीं किया जाय। मैंने कहा कि सदन की कार्यवाही का भाग नहीं बने, मगर उसको न सुनकर आपने उसको रेग्यूलेट किया।

श्री मदनसिंह : उस समय सदन की कार्यवाही बंद हो चुकी थी।

श्री विजयसिंह : जोशीजी मुक्का बताते हैं।

श्री भैरोंसिंह : नाथूराम मिर्धा के समय जो अप्रिय घटना हुई थी, उस समय आप खड़े हुए थे?

श्री हरिदेव जोशी : नाथूराम इस समय सदन में कहां हैं?

श्री भैरोंसिंह : सदन में जिस प्रकार का एटमासफीयर होता है, सदस्य बैठकर उत्तेजना पैदा करने की कोशिश करें कि किस सदस्य ने क्या कहा, यह ठीक नहीं है जो घटना घटी है, बुरी है। मुख्य मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस घटना के नाते सदन में कोई इस प्रकार की बात फैलाएं यह उचित नहीं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह प्रस्ताव को वापस ले लें, विरोधी दलों को भी इस बात के लिए खेद है। मैं समझता हूं, हम सब इस विचार के हैं कि यह बुरी अप्रिय घटना है। लेकिन किसी प्रकार की जिद्द नहीं करते हैं, खुले शब्दों में खेद प्रकट करते हैं और इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं।

श्री हरिदेव जोशी : आप कौन हैं, you do not represent him where is he?

श्री भैरोंसिंह : इस प्रसंग को समाप्त किया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कुछ कहा, उसके संदर्भ में यही था कि नोहर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जूते से मनवायेंगे....

श्री नत्थीसिंह : यह नहीं कहा।

श्री रोशनलाल : कहा है।

श्री नत्थीसिंह : प्रोसीडिंग्स देखें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस संबंध में खेद प्रकट किया, उसको दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताई, यह सुनकर तो मैं समझता हूं कि सदन के सभी सदस्यों को खुशी हुई होगी कि सदन के एक पुरानी पार्टी के लीडर ने अपनी बात जाहिर की है...

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सभी की तरफ से है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : लेकिन इस संबंध में दरअसल खेद है तो नोहर से आने वाले माननीय सदस्य को स्वयम् को खड़े होकर इस बात को जाहिर करना चाहिए तब उस चीज की वैल्यू होती है बाकी कुछ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह करवा दिया जायगा।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : अगर वह स्वयं ...

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : उनको खेद है तभी तो सदन में नहीं हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह स्वयं खड़े होकर इस घटना पर खेद प्रकट करते हैं, अपनी गल्ती महसूस करते हैं तो मैं समझता हूं, तो मैं कोई प्रतिशोध की भावना को लेकर नहीं चलना चाहता लेकिन कम से कम···

श्री दौलतराम सारण : अभी जो सदन में वातावरण बना, उसकी एक पृष्ठभूमि है। उस पृष्ठभूमि से अलग अगर हम एक घटना विशेष को दूसरे संदर्भ में लेते हैं तो वह एक अलग तरह से इम्पैक्ट छोड़ता है और उस घटना को हम उस संदर्भ में देखते हैं तो उसका एक तरह का असर होता है। वह घटना कोई अच्छी नहीं। उसके लिए मुझे खेद है लेकिन गंगानगर के अंदर आंदोलन चला, 58 दिन तक चलता रहा, राज्य सरकार ने 5? दिन तक किसी विरोधी पक्ष के आंदोलन चलाने वाले लोगों से बात करना पसंद नहीं किया। उसके बाद मुख्य मंत्री जी ने एक तारीख को प्रेस कान्फ्रेंस में स्टेटमैंट दिया कि विरोधी पक्ष के लोगों से बात करने को तैयार हूं और उसी रात को सारे आंदोलन को संचालित करने से संबंधित कार्यकर्ताओं को पकड़ कर हवालात में डाल दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहता हूं······

श्री अध्यक्ष : मैं भी माफी चाहता हूं कि गोलीकांड को वापस लेकर······

श्री दौलतराम सारण : सदन की भावनाओं के अनुरूप बोलकर कोई कटुता का वातावरण पैदा करना उचित नहीं है। उसके बाद एक आन्दोलन की स्थिति बना दी गई। सांगरिया, मादरा में गोलीकांड हुआ, उस गोलीकांड से उत्तेजना होना स्वाभाविक था गोलीकांड जिस संदर्भ में, जिस ढंग से हुआ ···

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं, जो प्रश्न अभी सदन के सामने है ····

श्री दौलतराम सारण : आपने गंगानगर आंदोलन का जिक्र किया, अगर नहीं करते ····

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसके साथ दूसरी बातों को जोड़कर, मैं समझता हूं, जो वातावरण बनाना चाहते हैं, जिसके लिए मैंने कोआपरेट करने के लिए कहा था···

श्री दौलतराम सारण : मेरी पूरी बात सुनलें। मेरा इरादा कोई सदन में उत्तेजना पैदा करने का नहीं है। मादरा और सांगरिया में विद्यार्थी मारे गये। सारे राजस्थान के विद्यार्थियों में उत्तेजना पैदा हुई, विद्यार्थियों ने आंदोलन किये···

श्री अध्यक्ष : यह तो सब आ गया गोलीकांड की चर्चा पर।

श्री दौलतराम सारण : सारे विद्यार्थियों में विषम रूप से उत्तेजना थी लेकिन फिर भी चूरू के विद्यार्थियों पर गोलीकांड हुआ। उस दिन शान्ति थी। प्रदर्शन नहीं हुआ। गोलीकांड हुआ, विद्यार्थी एक मारा गया, कई घायल हुए। एक चपरासी सख्त घायल हुआ। ये सारी घटनायें हुईं। विधान सभा का अधिवेशन आया। उस सारी घटना को विधान सभा के नियम और प्रक्रिया के अनुसार उठाने का प्रयत्न किया, स्थगन प्रस्ताव एक पेश हुआ। आपने उससे इस प्रश्न को अलग रखा। आपसे एक साथ इस प्रश्न को रखने की अपील की। आपने माना नहीं और वह एक अलग रूप में आया। उस दिन न आकर···

श्री अध्यक्ष : वह तो सारा सदन जानता है।

श्री दौलतराम सारण : फिर एक दिन आगे किया गया। जब प्रस्ताव आया तो गृह मंत्रीजी ने वक्तव्य दिया। इस घटना के पहलू पर कोई प्रकाश नहीं था। फिर आपके आदेश थे कि प्रश्न पूछे जा सकते हैं भाषण नहीं होंगे। हमने प्रश्न पूछे। अध्यक्षजी, इतनी बड़ी उत्तेजना और इतने बड़े हत्याकांड और बड़े आन्दोलन के बाद भी हम शान्तरूप में इस सदन में आये, राज्यपाल के अभिभाषण पर जैसी दूसरे सदनों में प्रतिक्रियायें हुई हैं वैसी यहां नहीं हुईं और हमने शान्तिपूर्ण तरीके से लोबी में बैठ कर अभिभाषण का बहिष्कार किया। और इतनी उत्तेजक घटनाओं के बावजूद भी आप सदन में देख रहे हैं कि प्रतिपक्ष शान्ति से प्रक्रिया और नियमों के अनुसार आपके सामने अपनी बात कहता है और कोई उत्तेजना पैदा करने का प्रयत्न नहीं किया गया। मुख्य मंत्रीजी आप धमकी कहते हैं, आपने गृह मंत्रीजी के प्रवचन और वाणी को नहीं सुना है? बार बार निवेदन किया पोस्टमार्टम कब हुआ यह भी बताने के लिए तैयार नहीं, डाक्टर कौन था यह बतलाने के लिये तैयार नहीं ......

श्री अध्यक्ष : आप विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण : गोली कब चली यह बताने के लिए तैयार नहीं। इस संदर्भ में जो सारी बातें आयी हैं, आप से निवेदन किया तो आपने कहा कि मेरे पास क्या इलाज है यह आपके शब्द हैं। यदि मैं भूलता नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : मेरे शब्द तो बहुत थे। मैंने तो आपका मुकाबला किया है।

श्री दौलतराम सारण : एक माननीय सदस्य ने कहा कि इसका इलाज यह है। न अपमान का सवाल था और न इरादा था।

श्री अध्यक्ष : जूता सामने रख कर दिखाया गया है।

श्री दौलतराम सारण : मैं सारा संदर्भ बता रहा हूं। उसके बाद भी....

(व्यवधान) (शोरगुल)

कई माननीय सदस्य : जनसंघ के नेता बतादें....

(शोरगुल)

श्री हरिदेव जोशी : आप चुप क्यों हो गये?

(व्यवधान) (शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर। ऑर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : ओन ए पॉइन्ट ऑफ आर्डर, सर।

(शोरगुल) (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य।

श्री दौलतराम सारण : आप सदन से निकालने की धमकी देकर किसी का मुंह बन्द नहीं कर सकते। सदन से सस्पेन्ड करके, बरखास्त करके निकाल सकते हैं और सदन के नेता बिना विरोधी दल की सलाह करके

Page No 84

(श्री दौलतराम सारण)

अपने बहुमत के आधार पर किसी सदस्य को निलम्बित कर सकते हैं यह मैं मानता हूं और स्वीकार करता हूं लेकिन हमारी बात सुनने के लिये तैयार नहीं हैं। आप जोश में कहदें······

(शोरगुल) (व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : (शोरगुल में एवं एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री दौलतराम सारण : आपकी धमकियों से हम भी झुकने वाले नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर।

श्री दौलतराम सारण : लेकिन यह घटना हुई वह बुरी हुई उसके लिए हमें दुःख है।

श्री किशनलाल वर्मा (सकराय सु.) : सदन का कीमती समय यों ही ले रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण : यह घटना हुई अच्छी नहीं हुई लेकिन जिस सन्दर्भ में हुई उस संदर्भ को भी देखना होगा।

(शोरगुल) (व्यवधान)

लोकतन्त्र को चलाने के लिए दूसरों को उपदेश देने के पहले अपना मुंह शीशे में देखना पड़ेगा।

कई माननीय सदस्य : रोज देखते हैं।

श्री दौलतराम सारण : जनतन्त्र अलग से नहीं चल सकता।

(शोरगुल) (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर।

एक माननीय सदस्य : लोग शीशे में मुंह देख कर आते हैं फिर भी वैसा का वैसा ही है।

(शोरगुल)

श्री दौलतराम सारण : लोकतन्त्र सहिष्णुता सिखाता है, सहयोग सिखाता है। विरोधी पक्ष की बात को तर्क और दलील के साथ सुनना सिखाता है। जब तर्क, दलील और तथ्यों पर सुनने के लिये तैयार नहीं होते हैं तो स्वाभाविक है थोड़ी उत्तेजना, प्रतिशोध पैदा होता है। यह आप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि सुनना और करना आपके हाथ में है हमारे हाथ में केवल कहना है। लोकतन्त्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप पर है। नियमों और प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्यवाही हो यह जिम्मेदारी भी आप पर हैं सबसे पहले। ऐसी स्थिति आप भी पैदा करें जिससे उत्तेजना का कारण न बने और जो समस्यायें हैं उनका निराकरण करेंगे तो इस प्रकार की अप्रिय घटनायें नहीं होंगी और अच्छी घटनायें होंगी। शक्ति से अप्रिय घटनायें नहीं रुकेंगी। शक्ति से लोकतन्त्र मजबूत नहीं होगा किन्तु सहयोग से होगा। मैं कहता हूं कि यह घटना अप्रिय है लेकिन सन्दर्भ भी उसमें जिम्मेदार है।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज !

श्री मोहनलाल सुखाडिया : जो अभी माननीय सदस्य ने कहा उससे किसी प्रकार का भ्रम पैदा होने की गुन्जाइश नहीं रहे उस दृष्टि से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)
तक इस घटना का प्रश्न है यह हाउस शुरू हुआ उसके एक या दो दिन के बाद ही मैंने विरोधी दल के नेताओं को गंगानगर के आन्दोलन के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिये निमन्त्रित किया उसके लिये ना किया गया उनकी ओर से कल भी मैंने स्टेटमैन्ट दि । इश्यूज के बारे में हाउस की कमेटी कन्सीडर कर ले उसके लिए। मैं हमेशा यह एटीट्यूड लेकर चला हूं कि हाउस सुप्रीम है सदस्य मिलकर बात कर सकते हैं। मेरी तरफ से इन्कारी नहीं रही है। मैंने जो कुछ कहा है उसके सन्दर्भ में बात करके तय किया जावेगा वह है। माननीय सदस्यों से मैं नोन-कोओपरेट करने की नियत नहीं रखता हूं। मैंने हमेशा ही टेबल पर बैठकर बात करने का प्रयत्न किया है।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में थोड़ा निवेदन करना है।

मेजर श्री फतहसिंह (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, आज जो अप्रिय घटना हुई उस अप्रिय घटना को मैं तथा मेरा दल अच्छा नहीं समझता है। लेकिन हमें जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। जब मैं इस अप्रिय घटना को देखता हूं तो सन् 1957 और 62 की विधान सभा की वह अप्रिय घटना भी याद आती है माननीय मुख्य मन्त्री को भी जानकारी होगी। उन दिनों माननीय नाथूराम जी मिर्धा द्वारा ऐसी बात हुई थी जो और भी बहुत आपत्तिजनक थी।

श्री मथुरादास माथुर: हमारी जानकारी में नहीं है।

श्री दिग्विजयसिंह : आपकी जानकारी में नहीं है तो पीछे पूछ लें।

श्री मदनसिंह दांता : आखिर कोई भी आदर्श होना चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर : आदर्श नहीं समझते हैं।

मेजर श्री फतहसिंह : वह अधिक अप्रिय घटना हुई। उसका श्रीमती सुमित्रादेवीजी के पति से सम्बन्ध था। माननीय नाथूराम जी ने उस समय अनुचित संकेत किया था जो बहुत ही लज्जाजनक था। उस वक्त माननीय मुख्य मंत्री जी जयपुर में नहीं थे लेकिन उस वक्त इस प्रकार का सस्पेन्शन का प्रस्ताव तत्काल नहीं आया। चार-पांच दिन का मौका दिया गया और अन्त में खेद प्रकट किया तो समाप्त कर दिया गया। मैं इस सदन से और माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय जोशी जी इस बात को जानते हैं जिस सन्दर्भ में यह घटना हुई थी। घटना बड़ी अप्रिय है लेकिन कई बातों को लेकर प्रश्न उठाये जा रहे थे उनका सीधा उत्तर नहीं आ रहा था तो उन्होंने भावावेश में वह बात कही। इनकी ओर से खेद प्रकट कर लिया जाता है तो इस मामले को यहां पर दवा लें और अच्छा वातावरण पैदा करें।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आज जो कुछ घटना हुई उस बारे में सबको खेद है। किसी समय जागीरदारी जूते के सम्बन्ध में बहुत सी बातें हुआ करती थी। जागीरें और रियासतें खत्म हो गई उसके साथ साथ उनके जूते की कहानी भी समाप्त हो गई। उसके बाद हमने यह देखा कि प्रजातंत्र में जूता नहीं उठेगा यह बात

(श्री मदनसिंह)
गलत निकली। बाहर जहां जूते उठ जाते हैं वहां हाउस में इस तरह के प्रदर्शन को कोई भी ठीक नहीं समझता। हमने यह भी देखा है कि हमारे प्रजातंत्र में लोग जूते और अंडे फेंकते हैं उसको कोई भी उचित नहीं मानेगा। मैं इस सदन के सम्बन्ध में आज जो कुछ घटना हुई कोई भी सदस्य या पार्टी इसको कन्डेम किए बिना नहीं रहेगी। लेकिन यह एक व्यक्ति से सम्बन्धित है। मुझे अच्छी तरह से स्मरण है मेरे पास बांई तरफ जो श्री रामसिंह जी कुड़ी बिराजते हैं उनको एक पंचायत के प्रधान ने इतना कह दिया कि कुड़ी साहब मैं कुछ कर दूं तो आप क्या करोगे इसकी शिकायत जब अध्यक्ष के सामने हुई। उन प्रधान को वारण्ट द्वारा गिरफ्तार किया गया। पार्लियामेण्ट के अन्दर मैं गया और वहां पर पैर पर पैर देकर बैठा था उस पर सार्जेण्ट ने कहा "Don't point your toe towards the Kursi" माननीय सदस्य ने जिस सन्दर्भ में जूता उठाया वह प्रसंग ऐसा था जिसमें उनको उत्तेजना आ गई। यदि होम मिनिस्टर से ही उनको कुछ शिकायत थी तो वे यहां नहीं हाउस के बाहर या उनके घर पर भी इससे समझ सकते थे।

कई माननीय सदस्य : यह खूब कहा।

श्री मदनसिंह मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह जो घटनायें होती हैं उसमें जब गुस्सा आ जाता है तो मनुष्य अपना आपा खो बैठता है। फौज में भी ऐसा ही हुआ करता था मैं जिस समय फौज में था उस समय मैस में ऐसा हो जाया करता था उस समय तो कोई कुछ नहीं बोल सकता था। लेकिन बाहर आने पर हम उनसे कहते थे 'कम ओन दी रोड' इसी तरह से अगर आपको भी कुछ करना है तो इसके लिए हाउस उपयुक्त स्थान नहीं है।

एक माननीय सदस्य : तो आपका कहना है कि यहां मत दिखाओ बाहर करो।

श्री मदनसिंह : मेरे कहने का यह तात्पर्य नहीं है। मैं देख रहा हूं कि सच्चे आदमी को आगे कर देते हैं इनके नेता लोग खुद बैठे रहते हैं। नेता लोग सोचते हैं कि कहीं हम सस्पेण्ड हो जायेंगे इस भय से सच्चे कार्यकर्ता हैं, साफ दिल के लोग हैं उनको आगे कर दिया जाता है। इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने जो कुछ किया है वह यहां के लिये उपयुक्त स्थान नहीं है। उनका चेयर के प्रति कोई इरादा नहीं था। उनके और होम मिनिस्टर के बीच के सवाल का प्रश्न है। मैं चाहता हूं और माननीय सदस्य से अपेक्षा करता हूं कि इस पवित्र मन्दिर में जहां हम बैठे हैं यदि किसी की तरफ से गलत एक्शन हो जाता है उसके लिये खेद प्रकट करने में नहीं हिचकिचाना चाहिये। हमें सदन की परम्परा के अनुसार सदन से माफी मांगने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मेरे बारे में तो आप जानते हैं क्या कुछ कर बैठता हूं...

श्री अध्यक्ष : मेरा जी जानता है बड़े मुश्किल से मैंने रोका है। खैर आप कोई ऐसी बात न करें।

श्री मदनसिंह : वैसी अप्रिय घटना मैं नहीं करूंगा। यह जो घटना हुई है वह

(श्री मदनसिंह)
पंचायत स्तर से भी नीचे की घटना है। मेरे जैसा व्यक्ति तो ऐसे स्थान पर बैठना भी पसन्द नहीं कर सकता है .....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप जो वातावरण बना है उसको फिर बिगाड़ रहे हैं आप को कौन रोकता है आप चले जा सकते हैं। आप बैठना नहीं चाहते तो आप को रोकता कौन है।

श्री अध्यक्ष : इनका अधिकार है बैठने का। चले कैसे जायं।

श्री मदनसिंह : मैं नहीं समझता माननीय सदस्य किस बात से गुस्सा हो रहे हैं। आप होते कौन हैं मुझे चले जाने का कहने के लिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का मेम्बर हूं तानाशाही और फैनीटिज्म का विरोधी हूं, समाज में परिवर्तन करने वाला हूं, समाज में नया मूल्य स्थापित करने वाला व्यक्ति हूं।

श्री दौलतराम सारण : एक वातावरण बना है उसको फिर विक्षुब्ध न करें।

श्री मदनसिंह : मैं निवेदन यही कर रहा था कि जिस घटना को लेकर इतना विवाद हुआ है उसके लिए मैं समझता हूं माननीय सदस्य भी खेद प्रकट करेंगे।

श्री विजयसिंह (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे समय दें तो सारा वातावरण ठीक हो जायगा।

श्री अध्यक्ष : आपका भी ध्यान है।

श्री मदनसिंह : मेरी राय में किसी व्यक्तिगत रूप से इन्होंने कोई कार्य किया है तो मैं समझता हूं वे खुद ही इस बारे में कहना चाहेंगे।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं यह सदन सुप्रीम है इसके सामने सब छोटे हैं इसलिये इस सदन का कोई छोटा भाई कोई ऐसी हरकत कर देता है जिससे सदन की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचता है तो उसके लिये खेद प्रकट कहने में किसी को संकोच नहीं होना चाहिये। सबसे पहले एक छोटे भाई के नाते मैंने सन् 67 से लेकर आज तक सदन में किसी प्रकार की बात कही हो जिससे सदन में किसी का दिल दुखा हो तो उसके लिये क्षमा याचना करता हूं। इसी तरह से मैं समझता हूं माननीय सदस्य द्वारा भी क्षमा मांग लेने पर किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष : तथास्तु।

श्री फतेहसिंह : क्षमा बडन को होत है, छोटन को उत्पात। कहा विष्णु को घट गयो, जो भृगु मारी लात।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : अध्यक्षजी, श्री रामचन्द्रजी अपनी बात कुछ कहें उससे पहले मैं कुछ निवेदन करना उचित समझता हूं। 19 तारीख को स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य देते हुए माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने जनता की जिन मांगों के बारे में जो कहा उसे सुनकर हमें प्रसन्नता हुई थी लेकिन हमने उस समय अपने कमेण्ट्स नहीं दिये। कितनी मांगें मन्जूर की जायेंगी कितनी नहीं यह मसला अलग है। उस समय जो स्टेटमैन्ट हुआ उससे मेरे मानस पर ऐसा असर पड़ा कि मुख्यमन्त्रीजी जब

(श्री केदारनाथ)
आन्दोलन के आगे हारे नहीं बल्कि उस स्टेटमैन्ट से उन्होंने अपना व्यक्तित्व और ऊंचा उठा लिया है। यह मेरे मन की भावना उसमे हुई।

आज जिस प्रकार का उनका वक्तव्य हुआ हम किसी जन आन्दोलन की धमकी में आकर कुछ करने वाले नहीं हैं तो मैं समझता हूं जहां डेमोक्रेसी में जन आन्दोलन होते हैं और उनके आगे उनकी मांगों को उचित मांगों को मान लेना झुकना नहीं होता, इससे तो मोरेल एक तरह से ऊंचा होता है। हम कभी यह नहीं कहते और कहना भी पसन्द नहीं करते कि हमने अपने आन्दोलन से सरकार को झुका दिया है। ऐसी बातें जो राजनीति की भाषा में बोलना चाहते हैं उनको शोभा नहीं देती और न वे इस तरह से जन आन्दोलन पैदा ही कर पायेंगे।

राजनीति में व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल उतना नहीं रहता जितना जनता की मांगों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित कर उनको मानना। जो जनआन्दोलन चलाते हैं वे कभी भी इस भाषा में नहीं सोचा करते।

अन्त में, मैं समझता हूं श्री रामचन्द्रजी अपने कार्य पर खेद प्रगट करेंगे। मुख्य मन्त्री जी ने जो यह कहा कि मैं अब कोई कन्सेशन नहीं दूंगा। आप कन्सेशन देकर किसी पर रहम करते हैं......

श्री हरिदेव जोशी : ऐसा नहीं कहा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरे रेफरेन्स को आपने गलत लिया है मैने कहा धमकी से या जिस प्रकार की बात रामचन्द्र जी ने कही उससे डरकर कोई कार्य करने वाला नहीं उसी सन्दर्भ में कन्सेशन की बात है।

श्री केदारनाथ : आपने स्पष्ट कर दिया यह ठीक है।

मैं इस जन आन्दोलन के सन्दर्भ में इतना कह देना चाहता हूं सुखाडिया जी वक्त है आप जिस दृष्टिकोण को लेकर चल रहे हैं वह ठीक नहीं है। आप इसके बारे में किसान संघर्ष समिति के प्रमुख कर्णधार हैं उनको लिखित रूप में बुलाइये और कोम्पोनेन्ट्स के साथ बैठकर आप इसका हल निकालिये। मुझे रामचन्द्रजी के साथ जो किसान संघर्ष समिति के प्रधान हैं उनके साथ रहने का जेल में और बाहर भी मौका मिला है ये दिल और दिमाग से साफ व्यक्ति हैं। इनके दिल में व्यक्तिगत रूप से किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं है। यही मुझे निवेदन करना है और मैं सोचता हूं अब भाई रामचन्द्रजी अपनी बात कहेंगे।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : एक्शन को हम कभी एप्रूव नहीं करते लेकिन जिस सन्दर्भ में हुआ वह आपके सामने है। फिर भी हम चाहते हैं कि सदन में ऐसी बात नहीं हो, सदन का वातावरण सही हो इसमें गृह मन्त्री और मुख्य मन्त्री महोदय का भी दायित्व है। हमारी जो भावनाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं उनके प्रति उनको रेसानेबल होना चाहिये ताकि यह स्थिति न आवे। दोनों तरफ से जो घटनाएं हुई हैं, उसके लिए हमें खेद है।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं उस समय जब यह घटना

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

हुई सदन में उपस्थित नहीं था। परन्तु बाद में जब सदन एड्जोर्न हुआ मैंने लोगों से पूछा कि क्या हुआ। जब यह मालूम हुआ तो बड़ा दुःख हुआ। भाई रामचन्द्रजी को भी इससे बड़ा अफसोस है। वे दिल के बड़े साफ हैं। जो कुछ भी घटना हुई उसके लिए उन्हें दिल से अफसोस है। सुखाड़ियाजी ने जो स्टेटमैंट दिया उससे वे ऊंचे उठे हैं। गोलीकांड के मामले में आपने जो घोषणा की है, जुडीशियल इन्क्वायरी का आपने फर्माया है, वह अच्छी है और मेरा निवेदन है कि आप इसी उदारता के साथ उसको इम्प्लीमैंट भी करें। भविष्य में भी ऐसी ही उदारता बरतें ताकि इस तरह की घटनाएं न हों और हाउस में भी अच्छा वातावरण बने। रामचन्द्रजी भाई की तरफ से मैं क्षमा चाहता हूं। वास्तव में यह अप्रिय घटना हुई है और भविष्य में इस तरह की घटना न हो इसका हमें ख्याल रखना है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, सदन में आज जो अप्रिय घटना हुई है उसके लिये हम सब को खेद है और मैं भाई रामचन्द्र जो हमारी पार्टी के सदस्य हैं इसलिये मैं अपनी तरफ से, अपने दल की ओर से और उनकी ओर से खास तौर से दुःख प्रकट करता हूँ। लेकिन एक बात इस सन्दर्भ में जरूर कहना चाहता हूं। मैं इस सदन का सदस्य हूं और शायद इस सदन में ऐसे बहुत कम सदस्य हैं जिनको दोनों ओर बैठने का अवसर प्राप्त हुआ हो। मुझे इधर भी बैठने का अवसर प्राप्त हुआ है और उस तरफ भी बैठा हूं और मैं माननीय कांग्रेसी सदस्यों से नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि जिस तरह से सरकार ने इस गंगानगर के आन्दोलन के सम्बन्ध में रुख अपनाया है और हमारे अन्य सदस्यों के बारे में अपनाया है, वह अच्छा नहीं कहा जा सकता। हमारी अन्य कई समस्यायें हैं—आप कहेंगे तो मैं लिखकर दे दूंगा कि किस तरह का बर्ताव हमारी पार्टी के साथ किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा। अभी तीन दिन पहले एक कुर्की तहसील का चपरासी लेकर मेरे यहां आया था आपका, गवर्नमैंट का हुक्म है उसको रोकने का, उसके बावजूद भी वह तीन रोज पहले कुर्की करने आ गया था। सरकार का वह आर्डर मेरे पास मौजूद है। इस तरह की हमारी कई समस्यायें हैं लेकिन सरकार का यह रुख है अपोजिशन की तरफ। कोई खबर नहीं होती। मैं एक पर्चा निकालूंगा कि हमारे साथ किस तरह का बर्ताव होता है। मैं अपोजिशन में बैठा हूं और हम चाहते हैं कि प्रजातन्त्र चले और वह कामयाब हो लेकिन जिस तरह से गृह मन्त्रीजी ने उत्तर दिया है उससे दुःख होता है। मैं अध्यक्ष महोदय बहुत कम बोलता हूं, मजबूरी में ही बोलता हूं। जब दुःख होता है बोलता हूं। परन्तु अध्यक्ष महोदय ताली दोनों हाथ से ही बजती है।

मुझे खुशी है कि मुख्य मन्त्री महोदय ने बहुत से मामले में इस आन्दोलन के बारे में बहुत सी बातें कही हैं। यह जनता का आन्दोलन है और मुख्य मन्त्री भी जनता के हैं, सरकार भी जनता की है। जनता की बातों पर विचार करके मुख्य मन्त्री ने कोई बात कही है तो इस पर घुटने टेकने की बात हमारे दिमाग में नहीं है। तो मैं नम्रता से निवेदन करूंगा कि जनता के नुमाइन्दे इधर और उधर भी बैठे हैं। समय समय पर सरकार लोगों की बातों पर

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

विचार कर लिया करे तो ज्यादा उचित हो। जो अप्रिय घटना हुई है उसके लिये मुझे खेद है और रामचन्द्रजी और दोनों की तरफ से मैं माफी चाहता हूं। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और उत्तेजनापूर्ण वातावरण में जो अप्रिय घटना हुई है उसके लिये हमें खेद है। यह जिस सन्दर्भ में हुआ उसमें सदन का अपमान करने की बात नहीं है। अपमान जरूर हुआ किन्तु उनकी मंशा इस तरह की कभी नहीं रही है। वे खेद के साथ अपनी बात आपके सामने रखेंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विरुद्ध मुख्य मन्त्रीजी के द्वारा प्रस्ताव रखा गया है। मैं तो यहां मौजूद नहीं था। किस तरह से किस भाषा में वह रखा है लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मैं भी कोई ऐसा गैर-जिम्मेदार आदमी नहीं हूं, गंगानगर जैसे जिले में जहां कि 12-13 लाख आदमी रहते हों और वहां के जन आन्दोलन का मैं अध्यक्ष हूं और जिस तरह से गंगानगर के जन आन्दोलन को दबाया गया है, दबाने के लिये सरकारी कुचक्र जो चला वह कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी हमारे इन शान्त प्रदर्शनकारियों ने, सत्याग्रहियों ने वह रास्ता आज तक अपनाया हुआ है।

भादरा और सांगरिया के बारे में बहस हुई उसका भी सही उत्तर नहीं मिले और आज चूरू में जो मेरे ही जिले के विद्यार्थी को, जो शहीद हुआ, किस तरह से उसको मारा गया और यहां सदन में, स्टेटमेंट के बाद गृह मंत्री जी से हमने जो क्वेश्चन किये, उन प्रश्नों का, एक का भी गृह मंत्री जी ने उत्तर नहीं दिया। यह तो आप जानते हैं कि जो घटनाएं गंगानगर जिले की जनता के साथ में पिछले दिनों में हुई और चूरू में जो दुर्घटना हुई उससे मैं बड़ा दुःखी हूं। इसका प्रमाण मैं आपके सामने नहीं देना चाहता और दे भी क्या सकता हूं। किस तरह से लोगों को निर्दयतापूर्वक मारा गया है और सरकार की ओर से स्टेटमेंट आवे और उसमें आनाकानी की जाये और उन तथ्यों को दबाया जावे तो एक आदमी में उग्रता पैदा होना स्वाभाविक है। मैं नहीं चाहता कि इस तरह से सदन के अन्दर कोई अशान्ति पैदा हो। मैं खुद भी महसूस करता हूं कि इस प्रकार से सदन के अन्दर यह बात नहीं कहना चाहिये लेकिन जिस वक्त मैंने आपके सामने प्रश्न रखा मैंने गृह मंत्रीजी से यहां यह पूछा कि आप यह बतावें कि धारा 144 आपने कितनी बजे लगाई और गोली कितने बजे चली ? ये दो ही प्रश्न मेरे थे। दो बार निवेदन करने पर भी उत्तर नहीं मिला और आप (अध्यक्ष) आसन की तरफ से यह व्यवस्था दें कि आसन तो इससे ज्यादा नहीं कर सकता। आसन तो इतना ही कर सकता है और आसन इसके लिये मजबूर है, किसी को जबर्दस्ती नहीं कहलवा सकता है-तो इस तरह मुझे भी गुस्सा आ गया और आना भी स्वाभाविक है। इस तरह से सही बात को छिपाया जाये सरकार की तरफ से। तानाशाही तरीके से लोगों को मारा जाये इसको कौन बर्दाश्त करेगा और फिर भी मैं बर्दाश्त करता हूं। यह तो आने वाला इतिहास ही बतलायेगा। हम नहीं चाहते हैं कि लोगों को गोली से मारा जाये। गंगानगर के लोगों के पास हथियार हैं और हथियार का बदला हथियार से

(श्री रामचन्द्र आर्य)

दिया जा सकता है। किन्तु हम गांधीजी के अहिंसात्मक सत्याग्रह में विश्वास करते हैं। अगर हिंसा पर उतारू होते हैं तो हमारे अहिंसात्मक सत्याग्रह का आधार ही समाप्त हो जाता है। हम इस सरकार को सत्याग्रह से मजबूर कर देना चाहते हैं जन आन्दोलन के द्वारा। तो उस समय, उस वक्त बड़ा गुस्सा आया। मैंने सदन का अपमान नहीं किया, अध्यक्ष महोदय का अपमान नहीं किया और रहा सवाल इस सरकार का। सरकार से मैं कभी माफ़ी मांगने वाला नहीं हूं। सदन चाहे मुझे सजा दे, सदन सर्वोपरि है। जैसी भी सजा दी जाये मैं उसको भुगतने के लिये तैयार हूं। मैंने जो कुछ किया वह गुस्से में किया इसके लिये मैं खेद प्रकट करता हूं लेकिन गृह मन्त्री और मुख्य मंत्री के प्रति अभी भी मुझे बड़ा दुःख है। इन लोगों ने निर्दोष लोगों की जाने ली हैं और इनसे तो बदला ईश्वर ही लेगा हम तो नहीं लेना चाहते। जिस तरह से ये ले रहे हैं। तो मैं पुनः अपनी ओर से सदन और अध्यक्ष महोदय के समक्ष खेद प्रकट करता हूं और माफी किस बात की मांगू मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मुझे गुस्सा था और गृह मंत्री जी ने यह नाजायज हरकत की इसलिये गुस्से में आगया इसलिये सरकार से माफी नहीं मांग सकता, सदन के सामने और अध्यक्ष के सामने खेद प्रकट कर सकता हूं। इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। अगर अध्यक्ष महोदय और यह सदन जो कुछ निर्णय करना चाहे मुझे चाहे हमेशा के लिये निकाल दें इसके लिये रामचन्द्र आर्य तैयार है। इन शब्दों के साथ मैं यहीं समाप्त करता हूं।

श्री नत्थीसिंह : ठीक है अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : क्या मुख्य मन्त्री महोदय कुछ इस पर अपनी क्रिया-प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे ?

श्री नत्थीसिंह : पश्चाताप गांधीजी के शास्त्र में सबसे बड़ा शस्त्र है।

श्री रामचन्द्र आर्य : काफी आदमियों को यह भी भ्रम है अध्यक्ष महोदय की मैंने आसन को जूता दिखाया। यह बिल्कुल गलत बात है। मैंने अध्यक्ष महोदय के सामने जूता नहीं दिखाया। मैंने तो इस सरकार के गृह मन्त्री के सामने यह बात कही थी कि आप इस हत्याकांड के बारे में उत्तर नहीं देते हैं तो इसका मतलब स्पस्टतया यह है कि आप जनता को गोलियों से बर्बरतापूर्वक भूनते रहेंगे तो जनता आपको इससे (जूते से) उत्तर देगी। और मैंने कुछ नहीं कहा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं खेद प्रकट करता हूं।

श्री हरिदेव जोशी : यह जूता गृह मन्त्री को बताया था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभी जो कहा उसमें कई जगह कई शब्दों का ऐसा उपयोग था कि जिसमें स्पष्टीकरण ज्यादा नहीं होता तो अच्छा था। यह भी हमारी मंशा नहीं है कि कोई सरकार से माफी मांगे। यह भी हमारी मंशा नहीं है कि हमारे किसी मेम्बर से या किसी और से मांगे। यह तो सदन की गरिमा का और परम्परा का प्रश्न है। इसलिए अगर वे एक ही लाइन में बिना किसी क्वालिफिकेशन के यह कह दें कि

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
जो कुछ किया सदन में इसके लिये वे सदन में क्षमा याचना करते हैं तो सारा प्रसंग समाप्त कर दिया जावे।

श्री भरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, माननीय रामचन्द्र जी ने जिन शब्दों में खेद प्रकट किया है वे काफी पर्याप्त हैं।

(कांग्रेसी बैंचों की तरफ से नहीं, नहीं तथा शोरगुल : अश्रव्य)

आप बीच में ही हुल्लड़ करेंगे तो भगवान ने गला हमको भी दिया है। आप सुनने की चेष्टा करेंगे तो हम सुनावेंगे पर अगर आप बीच में हल्ला गुल्ला करेंगे तो लाउड स्पीकर हमें भी मिला हुआ है और हम बोलना भी जानते हैं।

तो मैं निवेदन कर रहा था अध्यक्ष महोदय कि जिस प्रकार का वातावरण बना है और मैं समझता हूं सदन के सभी माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि रामचन्द्रजी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि न मैंने अध्यक्ष महोदय का अपमान किया, न सदन का और न अपमान करने की मेरी इच्छा थी। न अपमान करना चाहता हूं। तो न उन्होंने सदन का अपमान किया न सदन का अपमान करने की उनकी इच्छा थी। उन्होंने इसी के बाद स्पष्ट शब्दों में कहा है और खेद करना काफी है।

श्री मोहनलाल मोदी : क्रोध में मरडर कर दें तो फांसी होती है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : मोदीजी यह नहीं मानते यह। अध्यक्ष महोदय बात तो बिलकुल स्पष्ट हो गई है। क्रोध का क्या अर्थ होता है यह हम सब जानते हैं। पर फिर भी अगर साथ साथ होम मिनिस्टर भी, जिनकी वजह से यह क्रोध पैदा हुआ वह भी खड़े होकर यह कह दें कि मेरी वजह से क्रोध या उत्तेजना आ गई हो तो मैं क्षमा याचना करता हूं।

(व्यवधान : शोरगुल : अश्रव्य)

I have got right to speak and I will speak.

श्री अध्यक्ष : आपका बोलना पर्याप्त हो गया।

श्री मदनसिंह : तो अध्यक्ष महोदय, आज विरोधी पक्ष से यह देखा जा रहा है कि मुख्य मन्त्रीजी ने यह कहा कि उनको इस सब घटना के लिये खेद है। होममन्त्री को लेकर यह सब हो रहा है तो ये भी खड़े होकर कह दें कि मेरे कारण अगर यह सब उत्तेजना हो रही है तो मैं भी खेद प्रकट करता हूं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर) : होम मन्त्रीजी को जूता भी दिखावेंगे और माफी भी उनसे चाहेंगे।

(शोरगुल : व्यवधान : अश्रव्य)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मैंने जो कुछ कहा है इस भावना से कहा है कि विवाद को ज्यादा बढ़ाने से लाभ नहीं। पर माननीय सदस्य ने यह कहा कि मैंने तो होम मिनिस्टर को जूता बताया। सदन का अपमान नहीं किया है। आसन को नहीं दिखाया तो मैं निवेदन कर दूं कि इस सदन में किसी

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

भी माननीय सदस्य के साथ हम कोई अप्रमान्य शब्द भी बोल देते हैं तब भी वह सदन का अपमान है और उसके लिये हम क्षमा याचना करते हैं तो कोई मिनिस्टर हो जाता है तो उसको मिनिस्टर होने के नाते कहना जायज नहीं हो जाता है आखिर यहां सभी सदन के सदस्य की हैसियत से बैठते हैं। वे भी सदन के सदस्य हैं। इस पृष्ठभूमि में मैं कह रहा हूं कि सदन में किसी को कुछ कहना सारे सदन का अपमान है। पर इन्होंने दो चीजों को सेपरेट किया कि होम मिनिस्टर को कहना तो जायज है और बाकी को कहना जायज नहीं है तो मैं तो इस बात को ही कह रहा हूं कि सेपरेट तौर से सदन में इस प्रकार की बात करना गलत है।

श्री अध्यक्ष : माननीय रामचन्द्रजी जब वे मुझ से मिलते हैं तो बड़ी सरसता से मिलते हैं और सदन में जब आते हैं तो कुछ दूसरा रूप उनका बन जाता है। सदन का यह वातावरण अब सरसता का बना है। इस सन्दर्भ में शब्दों के ऊपर ही न जाया जावे तो अच्छा है। स्वयं रामचन्द्रजी आर्य ने जो कुछ किया उस सम्बन्ध में सारे सदन को खेद है क्योंकि एक माननीय सदस्य यद्यपि व्यक्ति होते हैं किन्तु सदन का अंग होते हैं और किसी एक का कार्य अगर अशोभनीय होता है तो सारे सदन के लिए अशोभनीय वह होता है, किसी एक व्यक्ति के प्रति नहीं। मैं रामचन्द्र जी आर्य से जो स्वयं सरल स्वभाव के हैं, निवेदन करूं कि एक शब्द और बाकी रह गया। खेद में सब शुमार है यदि क्षमा मांगने के सम्बन्ध में कुछ हो सकता है तो विवाद यहीं समाप्त हो सकेगा आप का कार्य जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वह हो सके और इसका विवाद न बढ़े। फिर यह आप माननीय सदस्यों के सोचने की बात है।

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूं कि शब्दों के जाल को कोई इस प्रकार से विवाद का प्रश्न नहीं बनाया जावे। एक आदमी ने कहा कि जो कुछ भी हुआ उसके लिये मैं खेद प्रकट करता हूं। तो इसे पर्याप्त माना जाना चाहिये।

अब शब्दों को ही लेकर इस प्रकार का वाद-विवाद बढ़ाना सदन में जिस प्रकार की भावनाएं प्रकट की गई हैं उनके अनुकूल नहीं होगा और मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री से निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य ने जो खेद प्रकट कर दिया है उसके आधार पर सन्तुष्ट होकर अपने प्रस्ताव को वे वापिस ले लें और जिस प्रकार का परिचय माननीय सदस्य ने भावनात्मक दृष्टि से दिया है वह पर्याप्त माना जाना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं को-आपरेट करना चाहता हूं माननीय सदस्य की भावनाओं को। मेरा तो कहना यह था कि यह इतना लम्बा भाषण न होता और केवल यह कह देते कि इस घटना पर खेद प्रकट करता हूं तो ठीक होता। सवाल तो इस बात पर हुआ कि मैंने तो उधर दिखाया, इधर नहीं और यह गुस्से में दिखाया। तो सारे का सब्सटेंस और सम टोटल यह परेशानी थी कि एक्शन को जस्टिफाई करने के लिये इशारा इस ओर था।

(4 म. प.)

इसलिए मैंने कहा अन-कन्डीशनल इस मामले में रिग्रेट जाहिर होनी चाहिए।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी को बड़ी पीड़ा है इसलिए मैं आसन से क्षमा याचना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : और आसन सारे सदन का प्रतिनिधित्व करता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं विवाद को न बढ़ाकर चूंकि आसन हमारा सिम्बल है इस सदन का और उनसे क्षमा बिना शर्त के मांगी है तो इस विवाद को यहीं समाप्त करता हूं और जो मोशन मैंने मूव किया है उसको वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : It is withdrawn. अब समय 4 बज चुके हैं...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, वैसे यह मामला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आना तो उपयुक्त होता लेकिन मैं समझता हूं सदन को इसमें एतराज नहीं होगा कि हमारे राजस्थान के अन्दर बादशाह खान कल तशरीफ ला रहे हैं और उस सम्बन्ध में बहुत से माननीय सदस्य झुंझुनूं, भरतपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा...

एक माननीय सदस्य : उदयपुर...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आगे उदयपुर, चित्तौड़ आदि स्थानों पर जायेंगे तो सदन की कल कार्यवाही होने को थी और 27 को जवाब होने को था उसके बजाय 28 को हो जाय और सदन की कार्यवाही कल भी न हो। 26 को वे यहां होंगे और हम 27 को वापिस मीट करेंगे अगर सदन सहमत हो तो कल भी...

श्री अध्यक्ष : सहमत है।

श्री भैरोंसिंह : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समय इस प्रश्न पर बिजनिस एडवाइजरी कमेटी में...

श्री अध्यक्ष : वह मैं बुला लूंगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एक दिन कम किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आज का दिन चला गया।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं यह निवेदन करूंगा मुख्य मन्त्रीजी को आपके माध्यम से जो हमने चूरू...

श्री नत्थीसिंह : जवाब के लिए बिजनिस ऐडवाइजरी कमेटी में तय कर लें।

श्री अध्यक्ष : वह तो ओपन ही रहता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं आपसे निवेदन करूं माननीय रामचन्द्रजी आर्य के अन्त में अच्छा वातावरण बना देने के बाद हाउस एडजोर्न हो जाय और 27 को मीट करे और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का गवर्नमेंट का जवाब 29 तारीख को हो जायगा।

श्री अध्यक्ष : मैं सदन की कार्यवाही तारीख 27 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 4.04 ब. प. पर दिनांक 27 जनवरी, 1970 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

Page No 95

परिशिष्ट 1

(ता. प्र. सं. 90 की सूची)

1. निम्न संख्या में केज्वल लेबर (टेम्प्रेरी श्रमिक) अक्टूबर सन् 1968 से फरवरी सन् 1969 तक रखे गये थे:—

अक्टूबर 1968	110	संख्या
नवम्बर 1968	216	,,
दिसम्बर 1968	327	,,
जनवरी 1969	299	,,
फरवरी 1969	169	,,

परिशिष्ट 2

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

औषधि बोर्ड का चुनाव

98. **श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी):** क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि सन् 1963 में जब भारतीय औषधि बोर्ड राजस्थान का चुनाव हुआ उसे अवैध घोषित कर दिया गया था ? अगर हां, तो क्यों ?

(2) भारतीय औषधि बोर्ड राजस्थान का चुनाव दुबारा कब हुआ और उनके सदस्यों के क्या क्या नाम हैं ?

(3) क्या यह सही है कि भारतीय औषधि बोर्ड राजस्थान के रजिस्ट्रार द्वारा केकड़ी नगर के वैद्य श्री कल्याणदत्तजी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया था ? अगर हां, तो क्यों ?

(4) क्या इस बाबत में वैद्य श्री कल्याणदत्त जी ने केकड़ी मुन्सिफ कोर्ट में मुकदमा दायर किया था ? अगर हां, तो उस मुकदमे में भारतीय औषधि बोर्ड राजस्थान का कुल कितना खर्चा किस किस मद में हुआ तथा क्या फैसला हुआ फैसले की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार ने इस तरह के अयोग्य रजिस्ट्रार पर कोई कार्यवाही की जिससे कि औषधि बोर्ड को इतना नुकसान उठाना पड़ा ?

उत्तर

(1) जी हां, कुछ अनियमितताओं के कारण चार पदाधिकारियों का चुनाव अवैध घोषित कर दिया गया था।

(2) दुबारा चुनाव अभी नहीं हुआ। वर्तमान बोर्ड के सदस्यों के नाम यह हैं:--

1.	महन्त मुरलीमनोहरशरण	अध्यक्ष
2.	श्री दौलतराम चतुर्वेदी	सदस्य
3.	श्री मोहनलाल भार्गव	सदस्य
4.	श्री गोकुलचन्द्र शर्मा	सदस्य
5.	श्री मोहम्मदअब्दुलहक	सदस्य
6.	श्री मोहमम्दइब्राहीमखां	सदस्य
7.	श्रीमती शान्ति शुक्ला	सदस्य

(3) जी हां, मिथ्या रूग्णता प्रमाण-पत्र देने पर:--

(4) जी हां, कुल खर्चा रु. 2571.98 हुआ जिसका ब्यौरा इस प्रकार है

यात्रा बिल	1519.53
कोर्ट फीस	212.40
वकील फीस	840.00

(आयुर्वेद मंत्री)

फैसले की प्रति सदन की मेज पर रखदी गई है।

(5) उक्त रजिस्ट्रार का स्थानान्तरण आयुर्वेद विभाग में कर दिया गया है, और उसके खिलाफ चुनाव में की गई अनियमितताओं वगैरह के सम्बन्ध में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

सहायक अभियन्ता के विरुद्ध जांच

99. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है की श्री त्रिलोकी नाथ माथुर, सहायक अभियन्ता प्रोजेक्ट बाड़मेर की देखरेख में मुनाबा हेलीपेड बना था जो फैल रहा ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन्हीं श्री माथुर ने एक ठेकेदार को 10 हजार रुपये का अधिक भुगतान किया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि 1966 में जब ये ही श्री माथुर झुन्झुनूं में फेमिन डिपार्टमेन्ट (अकाल राहत) में थे तब भी एक ठेकेदार को मिट्टी पत्थर आदि का अधिक भुगतान किया था ?

(4) क्या सरकार ने उपरोक्त सब मामलों की जांच कराई है ? यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम निकला ?

उत्तर

(1) जी हां, जी नहीं, कार्य पूरा होने के पहले एक हैलीकोप्टर उतरा था जिससे पिछला पहिया के नीचे का कुछ हिस्सा बैठ गया था।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(4) जांच करवाई जा रही है। राज्य सरकार के नियुक्ति विभाग को चार्ज शीट देने हेतु लिखा जा रहा है।

सुखाड़िया मार्केट का निर्माण

100. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला चित्तौड़ के कपासन शहर में सुखाड़िया मार्केट किस संस्था द्वारा निर्मित कराया गया व कब ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मार्केट के निर्माण हेतु सरकार ने ऋण दिया था व इस हेतु पब्लिक कन्ट्रीब्यूशन भी हुआ था ? अगर हां, तो कब व कितना कितना ?

(3) क्या यह सही है कि इसके निर्माण में घोटाला हुआ है ? अगर हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

डॉक्टरों के विरुद्ध कार्यवाही

101. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सतर्कता आयोग के तृतीय प्रतिवेदन में जिन तीन डॉक्टर्स के विषय में उल्लेख किया गया है कि इन्होंने रेल्वे के एक डाक्टर के रेल्वे के पास का फर्जी नाम बता कर उपयोग किया है, उनके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) यह डाक्टर्स अब कहां पर नियुक्त हैं ?

उत्तर

(1) अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करदी गई है ।

(2) एक डाक्टर रीजनल फेमिली प्लानिंग अफसर, माजरीकलां है, दूसरा प्राइमरी हैल्थ सेन्टर, माजरीकलां (अलवर) से पोस्टग्रेज्यूएशन के लिये एस. एम. एस. हास्पिटल, जयपुर में प्रतिनियुक्ति पर है, तीसरे ने त्याग-पत्र दिया है ।

उप-मंत्री के विरुद्ध काले झण्डों का प्रदर्शन

102. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार को ऐसी सूचना मिली है कि सितम्बर, 1967 में उप-मंत्री, वन-विभाग के विरुद्ध झालरापाटन में काले झण्डे दिखाने वालों पर उस मंत्री के आरक्षण ने नागरिकों पर पिस्तौल निकाल कर तानी ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उस घटना की कोई जांच करवाई और आरक्षण के विरुद्ध मुकदमा दायर किया ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई अतः जांच कराने व मुकदमा रजिस्टर करने का सवाल पैदा नहीं होता ।

निजी तालाबों की मच्छियाँ

103. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि फिशरीज डिपार्टमेंट को ऐसी शक्ति प्राप्त है कि वे किसी भी व्यक्ति की निजी झील में से मच्छी निकाल कर बेच सकता है ? यदि हां, तो कौन सी धारा के तहत ? आदेश या धारा की प्रति सदन को मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सत्य है कि वर्ष 1965-66 में जिला बूंदी एवं जिला टोंक में विभाग द्वारा किन्हीं निजी तालाबों में से मच्छियां निकाली गई थी ? यदि हां, तो कौन कौन से तालाबों से ?

(3) क्या यह सत्य है कि जिला बून्दी में बांसी के तालाब में जब विभाग द्वारा मछली निकालने का प्रयास किया गया तो वहां के जागीरदार ने विभाग को मछली नहीं निकालने दी और जिला बूंदी से आदेश प्राप्त किये ?

(श्री दिग्विजयसिंह)

(4) क्या यह सत्य है कि तालाब नगर त० देवली जिला टोंक में से मछलियां निकाल-कर बेची गई हैं ? यदि हां तो कितने की बिकी ?

(5) क्या यह सत्य है कि नगर तालाब त. देवली, जिला टोंक किसी की निजी सम्पत्ति है जिसके विषय में बोर्ड आफ रेवेन्यू डायरेक्टर आफ एनीमल हस्बेन्डरी को स्टे आदेश दिनांक 14-2-63 को ही जारी हो गये थे जो आज भी बदस्तूर कायम हैं ?

(6) जब स्टे ऑर्डर्स डायरेक्टर, एनीमल हस्बेन्डरी के पास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से भेजे हुए हैं तो फिर यह नियम विरुद्ध कार्यवाही क्यों की गई ?

(7) क्या सरकार जिस व्यक्ति ने ऐसी कार्यवाही की है जो कि नियम विरुद्ध है, उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने का विचार रखती है ।

उत्तर

(स्थगित किया गया)

श्री एस. डो. आर्य के विरुद्ध कार्यवाही

104. श्री रूपसिंह (सरदार शहर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

श्री एस. डी. आर्य जिन्होंने भूतपूर्व मंत्री श्री नाथूराम मिर्धा की सांठगांठ से एक हजार तीन सो छियत्तर मतों की गड़बड़ की व दस्तावेजात में हेरफेर की जैसा कि उच्च न्यायालय का निर्णय है, के विरुद्ध सरकार ने क्या एक्शन लिया ? यदि नहीं लिया, तो क्यों ?

उत्तर

अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई थी, जो चुनाव आयुक्त की राय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील पर निर्णय तक स्थगित रखी गई है ।

लोगवाला हैलीपेट का निर्माण कार्य

105. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि लोगवाला हेलीपेट का ठेका एक ठेकेदार को दिया और बिना ठेका रद्द किये ही वह कार्य विभाग द्वारा किया गया ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि विभाग द्वारा निर्मित हैलीपेट बनकर तैयार हो जाने पर जब पहला हवाई जहाज उतरा तो वह हेलीपेट टूट गया और मिलिट्री वालों ने यह लिख दिया है कि यह हमारे कार्य योग्य नहीं है ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं ? इसमें कौन कौन दोषी हैं तथा इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? अगर कोई कार्यवाही नहीं की गई तो इसके क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि विभाग द्वारा उपरोक्त हैलीपेट निर्माण में ठेके की कीमत से अधिक खर्च हुआ है ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त निर्माण कार्य का ठेकेदार को भुगतान नहीं किया गया है ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

उत्तर

(1) जी हां, उस ठेकेदार को काम नहीं करने के कारण विभाग द्वारा नोटिस दिया गया और उस ठेकेदार से मिले उत्तर पर आगे कार्यवाही हो रही है। इस बीच में इस कार्य को विभाग द्वारा व दूसरे ठेकेदार द्वारा पूरा करना उचित समझा गया।

(2) जी नहीं। हेलीकोपटर के उतरने के बाद उसके पहिये जमीन में करीब 2 इंच धस गये। हैलीपेट मिलिट्री वालों की सम्मति से बनाये गये स्पेसिफिकेशन से निर्मित किया गया था। इसके लिये किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(3) जी नहीं।

(4) पहले ठेकेदार ने काम नहीं किया इसलिये ठेकेदार को कोई पेमेन्ट नहीं दिया गया व दूसरे ठेकेदार को काम करने का पूरा पेमेन्ट कर दिया गया है।

मनोहरथाना में प्रदर्शन एवं हड़ताल

106. श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मनोहरथाना में गत डोल एकादशी 69 को तेजाजी के झण्डे के गिर जाने के कारण कोई साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया था और वहां पर प्रदर्शन एवं हड़ताल हुई थी?

(2) क्या सितम्बर अक्टूबर सन् 69 में पुनः किसी देव मूर्ति पर मिष्ठा डाल दी गई थी एवं किसी मूर्ति को भी खण्डित कर दिया गया था और उससे भी कुछ साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया था?

(3) क्या सन् 64 में भी इस बारे में इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना हुई थी?

(4) क्या जिले का यह कस्बा साम्प्रदायिक तनाव के लिये एक विशेष स्थान बनता जा रहा है? यदि हां, तो सरकार ने इसके लिये क्या सक्रिय कदम उठाये हैं?

(5) उक्त वातावरण को दूषित करने में जिन जिन व्यक्तियों का हाथ है, राज्य सरकार उनके विरुद्ध क्यों कार्यवाही नहीं कर पाती?

(6) क्या सरकार इस तथ्य की जानकारी प्राप्त कर सकी है कि वह खराब तत्व कौन हैं? यदि नहीं, तो सरकार का प्रशासन इस सम्बन्ध में निष्क्रिय क्यों रहा?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। किन्तु केवल मूर्ति ही खडित की गई थी मिष्ठा डालने की बात सही नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) इस सम्बन्ध में कस्बे में स्पेशल गार्ड तथा चौकियां लगाई गई हैं तथा हिन्दुओं के 12 और मुसलमानों के 7 आदमियों के खिलाफ शान्ति भंग न करने लिये धारा 107 व 117 (3) जाब्ता फौजदारी के तहत कार्यवाही की जा चुकी है। बकाया फरार आदमियों की तलाश जारी है।

(गृह मन्त्री)

(5) जिन जिन व्यक्तियों का इसमें हाथ है उनके विरुद्ध धारा 107, 117 (3) जाब्ता फौजदारी के तहत कार्यवाही की जा चुकी है और बकाया लोगों की तलाश जारी है।

(6) जी हां, प्रशासन इस ओर सतर्क है।

हाउसिंग बोर्ड का गठन

107. राजवी श्री रूपसिंह (सरदार शहर) : क्या नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में कोई हाउसिंग बोर्ड का गठन किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ?

(ख) क्या इस सिलसिले में फाइनेन्स सोसायटी बनायी जायेगी ? यदि हां, तो क्या उसके बाई-लॉज भी बनाये जायेंगे ?

(ग) इस बोर्ड के चेयरमैन बनाने के लिए भी क्या कोई रूल्स बनाये जायेंगे ?

उत्तर

(1) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) यह मामला भी विचाराधीन है।

(3) हाउसिंग बोर्ड की स्थापना का मामला विचाराधीन है। यदि बोर्ड की स्थापना की गई तो चेयरमैन की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया निर्धारित की जायेगी।

आर० ए० सी० के जवानों को सुविधायें

108. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) आर० ए० सी० के जवानों को फौज के जवानों से कितना वेतन कम मिलता है और अन्य सुविधाओं में क्या फर्क है ?

(2) क्या यह सच है कि आर० ए० सी० के जवानों को भोजन ताजा व पौष्टिक नहीं मिलता है और न ही इलाज की अच्छी व्यवस्था है ?

(3) क्या यह भी सच है कि आर० ए० सी० में कई जवान टी० बी० के मरीज हैं ? यदि हां, तो कितने व क्यों ?

उत्तर

(1) आर० ए० सी० के जवानों व फौज के जवानों के वेतनमान का तुलनात्मक स्टेटमैन्ट सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं। पुलिस विभाग व राज्य सरकार द्वारा आर० ए० सी० के जवानों को अच्छा व पौष्टिक भोजन देने की ओर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है और उनके इलाज के लिये भी सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(3) यह सच नहीं है कि आर० ए० सी० के कई जवान टी० बी० के मरीज हैं। मौजूदा 6 आर० ए० सी० बटालियनों में केवल 26 ही टी० बी० के मरीज हैं। 6 बटालियन की स्ट्रेन्थ के मुकाबले में यह संख्या नगण्य है।

(गृह मंत्री)

आर० ए० सी० जवानों व फौज के जवानों को मिलने वाले वेतन का तुलनात्मक विवरण

क्र० सं०	आर० ए० सी० जवान		फौज के जवान
1	2		3
	वेतनमान	विशेष वेतन	
1.	आरक्षक 70-2-90-3-102-4-110	12/- रु०	सिपाही 65/- रु०
2.	मुख्य आरक्षक 90-4-110-5-150	15/- रु०	नायक 75/- रु०
3.	प्लॉटून कमाण्डर 160-8-200-10-240-15-360	25/- रु०	हवलदार 85/- रु०
4.	क्वाटर मास्टर/कम्पनी कमाण्डर 275-20-375-25-650 एवं	50/- रु०	नायक सुबेदार 130-5-145 सुबेदार 173-10-203

नोट:—उपरोक्त वेतनमान एवं विशेष वेतन के अलावा आर० ए० सी० के जवानों को राज्य सरकार के नियमानुसार मंहगाई वेतन, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी भत्ता एवं मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध हैं।

(गृह मंत्री)

आर० ए० सी० के जवानों व फौज के जवानों को मिलने वाली सुविधाओं का तुलनात्मक विवरण

क्र० सं०	आर० ए० सी० जवान	क्र०सं०	फौज का जवान
1.	सीमान्त स्थान पर अग्रिम चौकियों पर तैनात आर० ए० सी० जवानों को निम्न दर पर फिक्स डी० ए० दिया जाता है: - 1. आरक्षक 5/- रु० 2. मुख्य आरक्षक 5/- रु० 3. प्लाटून कमाण्डर 15/- रु० 4. कम्पनी कमाण्डर 20/- रु०	1.	सूबेदार तक के जवानों को मुफ्त राशन एवं मुफ्त वर्दी दी जाती है।
2.	अवकाशकाल में घर जाने पर आरक्षक एवं मुख्य आरक्षक को वर्ष में एक बार रेलवे वारंट की सुविधा दी जाती है।	2.	फील्ड एरिया में हर वस्तु मुफ्त दी जाती है।
3.	आरक्षक एवं मुख्य आरक्षक को 20/- रु० प्रति माह मैस अलॉउन्स दिया जाता है।	3.	क्वाटर के स्थान पर निम्न दरों पर क्षतिपूर्ति भत्ता दिया जाता है:— 1. जे० सी० ओज० 100% 2. सबक्वाटर मास्टर 100% 3. अन्य एन०सी०ओज० 50% 4. सिपाहीज 25%
4.	आरक्षक एवं मुख्य आरक्षक को मुफ्त वर्दी दी जाती है तथा प्लाटून कमाण्डर एवं कम्पनी कमाण्डर को 45 रु० वर्दी भत्ता दिया जाता है।	4.	कैन्टीन सुविधा के अलावा वर्ष में एक बार रेलवे कन्सेसन वारन्ट एवं अन्य सुविधायें।
5.	15 दिन के आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त प्रति 8 दिवस में एक उपार्जित अवकाश दिया जाता है।	5.	उपार्जित अवकाश 56 दिन का घर पर रहने के लिये तथा वर्ष में 30 दिन तक का आकस्मिक अवकाश दिया जाता है।

कस्बा बीदासर, छापर एवं चाडवास को जल प्रदाय योजनाएं

109. श्री **रावतराम** (छापर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कस्बा बीदासर, छापर, चाडवास (जिला चूरू) के लिए प्रस्तावित जल प्रदाय योजनाओं की अब क्या स्थिति है ?

(2) क्या यह सही है कि पिछली बार कई दफा विधान सभा में सरकार ने कहा है कि उक्त कस्बों की जल प्रदाय योजना के लिए उपयुक्त जल स्रोत उपलब्ध नहीं है और उनकी खोज की जा रही है ? यदि हां, तो क्या अब जल स्रोत ढूंढ लिये गये हैं ?

(3) यदि उपयुक्त जल स्रोत ढूंढ लिये गये हैं तो वह कौन सा स्थान है वहां पर कितना पानी उपलब्ध है तथा उक्त योजना कब तक कार्यान्वित हो जायेगी ?

(4) क्या सरकार चालू साल में इस योजना को हाथ में ले लेगी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(5) चूंकि उक्त कस्बों के आस पास पूरी तरह अकाल है और वहां पीने के पानी का बड़ा अभाव है ऐसी स्थिति में सरकार तत्काल क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

उत्तर

(1) बीदासर कस्बे की योजना राज्य सरकार द्वारा दि. 19-1-70 को स्वीकृत की जा चुकी है, छापर कस्बे को अन्तरिम राहत पहुंचाने हेतु एक योजना जिसकी कि अनुमानित लागत रूपये 2.85 लाख है, की स्वीकृति अकाल मद में से की जा चुकी है, दोनों योजनाओं पर कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जा रहा है । चाडवास ग्राम के लिए कोई उपयुक्त जल स्रोत न होने के कारण योजना नहीं बनाई जा सकी ।

(2) जी हां । बीदासर कस्बे के लिए घनेरु नल कूप से जल प्राप्त किया जावेगा । और छापर को सुजानगढ़ मौजूदा जल वितरण योजना से ही पानी वितरण किया जावेगा । चाडवास के लिए अभी तक स्रोत की तलाश जारी है ।

(3) बीदासर के लिए एक घनेरु नल कूप पानी 4000 गेलन प्रति घन्टा । इसके अतिरिक्त घनेरु क्षेत्र में ही योजना के प्रथम चरण में । नल कूप व दूसरे में 2 नल कूप और बनाये जाने प्रस्तावित हैं । छापर व चाडवास के लिए कोई उपयुक्त जल स्रोत नहीं मिला है लेकिन छापर कस्बे को अन्तरिम राहत पहुंचाने हेतु सुजानगढ़ जल योजना से 50,000 गैलन पानी प्रतिदिन वितरण किया जावेगा । बीदासर योजना का कार्य प्रति वर्ष धन की उपलब्धि व सामग्री की उपलब्धि पर लगभग उसे 4 वर्ष की अवधि में पूर्ण किया जावेगा तथा छापर अन्तरिम राहत योजना का कार्य अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत मार्च से सितम्बर, 1970 तक समाप्त करने की सम्भावना है ।

(4) जी हां, कार्य शुरू किया जा रहा है ।

(5) छापर जल योजना को शीघ्र आरम्भ किया जायेगा एवं अन्य स्थानों पर जिलाधीश द्वारा व्यवस्था की जायगी ।

इन्टक शाखा के महामंत्री की गिरफ्तारी

110. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान इन्टक शाखा के महामंत्री श्री दुर्गावत को केन्द्रीय पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया था ? यदि हां, तो कब और किस कारण ?

(2) क्या यह सत्य है कि इनके साथ कोई और भी महिला हिरासत में ली गई ? यदि हां, तो वह किस जुर्म में ?

(3) क्या यह सत्य है कि उदयपुर महिला विद्यालय में श्री दुर्गावत किसी पद पर रहे हुए हैं ? यदि हां, तो किस पद पर और क्या अभी वे उस पद पर हैं ?

(4) क्या यह सत्य कि श्री दुर्गावत की जमानत जयपुर के किसी न्यायालय में ली गई ? यदि हां, तो कब और कितनी धन राशि की ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

पर्यटकों को सुविधाएं

111. श्री गंगासहाय (कटूमर) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कुल कितने पथ प्रदर्शक हैं तथा उनमें प्रशिक्षित गाइड कितने हैं ?

(2) क्या पर्यटकों की ठहरने की राज्य सरकार की ओर से समुचित व्यवस्था है ? यदि नहीं है तो उसके क्या कारण हैं ?

(3) क्या राज्य के समस्त दर्शनीय स्थानों पर पर्यटकों के मनोरन्जन की समुचित व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

(4) क्या यह सही है कि विदेशी पर्यटकों की मोटर गाड़ियों के राजस्थान प्रदेश में प्रवेश करने पर कई स्थानों पर चैकिंग होती है जिससे पर्यटकों को अत्यधिक असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे विदेशी पर्यटकों को उक्त असुविधा न हो ?

उत्तर

(1) राजस्थान में कुल 39 पथ प्रदर्शक हैं जो शिक्षित हैं उनमें प्रशिक्षित गाईड नहीं हैं।

(2) निजि होटल्स, धर्मशाला इत्यादि की आवश्यक व्यवस्था सब ही प्रमुख स्थानों पर राजकीय विश्राम गृह हैं। विशेष रूप से पर्यटकों के लिए राज्य सरकार की ओर से जयपुर, अजमेर, पुष्कर, उदयपुर और माउन्ट आबू में पर्यटक विश्राम गृह हैं जहां पर पर्यटकों के लिए समुचित व्यवस्था है।

(3) जी नहीं। अभी कोई ऐसी योजना विचाराधीन नहीं है।

(4) जी नहीं। विदेशी पर्यटक जो आर० जे० टी० आर एवं डी० एल० जेड० द्वारा राजस्थान में पर्यटन हेतु आते हैं उनकी चैक पोस्टों पर कोई चैकिंग नहीं होती है।

सहायक संचलक के विरुद्ध शिकायतें

112. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या भेड़ व ऊन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्री ऐ. सी. दुबे, भूतपूर्व सहायक संचालक, भेड़ व ऊन के खिलाफ अब तक क्या क्या शिकायतें कब कब प्राप्त हुईं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त शिकायतों पर जांच करवाई गई हो तो कब कब किस किस के द्वारा और जांचों के परिणाम क्या क्या रहे? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उपरोक्त अधिकारी को कभी किसी मामले में कोई चार्ज शीट दी गई? यदि हां, तो कब कब और उक्त चार्ज शीट में क्या क्या आरोप लगाये तथा इन आरोपों का उत्तर कब कब दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) शिकायतों की सूची एवं उन पर की गयी कार्यवाही सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इसका उत्तर उपरोक्त सूची में दिया जा चुका है।

(3) इस सम्बन्ध में विस्तृत सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

कृषि सहकारी समिति कादोलाई

113. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) केकड़ी तहसील की ग्राम पंचायत केरोट में कृषि सहकारी समिति कादोलाई को कितनी भूमि आवंटित की गई? उक्त सहकारी समिति के कितने सदस्य हैं? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सहकारी समिति के सदस्यों की निजी भूमि भी उक्त सहकारी समिति में शामिल कर ली गई? अगर नहीं की गई तो इसका क्या कारण है?

(3) उक्त सहकारी समिति के सदस्यों के अपने नाम व अपने परिवार के नाम निजि जोत की कितनी कितनी व खसरा वार जमीन है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन कब किया गया?

उत्तर

सूचना एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जावेगी।

निलम्बित ऊन वर्गीकरण अधिकारी

114. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या पशु पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर के ऊन वर्गीकरण ऑफिसर को निलम्बित किया था? यदि हां, तो कब और किस आरोप में तथा किस की रिपोर्ट पर?

(श्री हरखीराम बुरड़क)

(2) निलम्बित करने के कितने समय बाद चार्जशीट दी गई और चार्जशीट में क्या क्या आरोप लगाये गये ? उक्त चार्जशीट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) जिस मामले में उक्त अधिकारी को निलम्बित किया है उसमें इसके अलावा और कोई अधिकारी दोषी हों तो उनके नामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) इस मामले का निर्णय राज्य सरकार की ओर से कब तक हो जायगा ?

उत्तर

(1) जी हां, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की सिफारिश पर अनियमितताओं के आरोप में।

(2) भ्रष्टाचर निरोधक विभाग द्वारा जांच अभी तक पूरी नहीं हो पायी है। अतः अभी तक चार्ज शीट नहीं दी गयी है।

(3) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही यह पता लगेगा कि और कौन से अधिकारी दोषी हैं।

(4) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस मामले में शीघ्रता से निर्णय लिया जायगा।

परिशिष्ट 3

(प्र. प्र. सं. 91 की सूची)

गत तीन वर्षों में श्री अमीनुद्दीन अहमद सार्वजनिक निर्माण मन्त्री द्वारा उठाये गये सम्पूर्ण यात्रा भत्ते की मासिक सूची:—

क्र. सं.	माह का नाम	धनराशि
1	2	3
1.	अप्रेल, 67	—
2.	मई, 67	—
3.	जून, 67	—
4.	जुलाई, 67	800.00
5.	अगस्त, 67	210.00
6.	सितम्बर, 67	1,363.00
7.	अक्टूबर, 67	285.00
8.	नवम्बर, 67	769.50
9.	दिसम्बर, 67	563.00
10.	जनवरी, 68	615.50
11.	फरवरी, 68	1,161.50
12.	मार्च, 68	—
13.	अप्रेल, 68	133.25
14.	मई, 68	1,180.50
15.	जून, 68	1,743.25
16.	जुलाई, 68	1,016.50
17.	अगस्त, 68	2,126.75
18.	सितम्बर, 68	—
19.	अक्टूबर, 68	1,063.50
20.	नवम्बर, 68	1,607.50
21.	दिसम्बर, 68	1,240.00
22.	जनवरी, 69	536.50
23.	फरवरी, 69	402.50
24.	मार्च, 69	—
25.	अप्रेल, 69	771.30
26.	मई, 69	1,175.10
27.	जून, 69	962.25
28.	जुलाई, 69	—
29.	अगस्त, 69	937.50
30.	सितम्बर, 69	—
31.	अक्टूबर, 69	363.50
32.	नवम्बर, 69	691.60
33.	दिसम्बर, 69	1,985.50

परिशिष्ट 4

(प्र० प्र० सं० 92 की सूची)

क्रम संख्या	मंत्री का नाम व पद	मासिक किराये की दर	मकान मालिक का नाम व पता	अभिव्यक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री जसराज, उप मंत्री, सिंचाई	600/-	श्री डी. एस. दवे, बंगला संख्या सी-22, बनीपार्क, जयपुर।	
2.	श्री शिवचरणसिंह, उप मंत्री, आबकारी	802/-	श्री ओंकारसिंह, मेघ निवास, नं० 18, गोपाल बाड़ी, जयपुर।	
3.	वृजप्रकाश गोयल, उप मंत्री, उपनिवेशन	650/-	श्री टी. एन. चतुर्वेदी, बापू नगर, जयपुर।	
4.	श्री समरथलाल, उप मंत्री, आयुर्वेद	596/-	श्री सी. एल. बतरा, डी-49, सुभाष मार्ग, सी. स्कीम, जयपुर।	

	2	3	4	5
5.	श्री खेतसिंह, उप मंत्री, विद्युत	750/-	श्री सुल्तान सिंह, बंगला संख्या सी-6, बनीपार्क, जयपुर ।	
6.	श्री माधोसिंह, उप मंत्री, लोक निर्माण विभाग ।	550/-	श्री एल. एन. गुप्ता, मकान संख्या डी-167 कान्तीचन्द्र मार्ग, जयपुर (बनीपार्क)	उप मंत्री महोदय, जिलाधीश, जयपुर के बंगले में रह रहे हैं, और जिलाधीश, इस मकान में । जिलाधीश से उनके वेतन का 10% किराया वसूल किया जाता है ।

परिशिष्ट 5

(अ० प्र० सं० 100 की सूची)

S. No.	Name of district	No. of private vehicles requisitioned for defence purposes during Indo-Pak conflict, 1965.	
1	2	3	
1.	Nagaur	57	
2.	Sirohi	3	
3.	Barmer	137	Includes 86 vehicles requisitioned in other districts as under:— Pali 29 Nagaur 14 Jodhpur 3 Bikaner 5 Jhunjhunu 5 Sikar 30 86
4.	Jhunjhunu	32	
5.	Ganganagar	—	
6.	Jalore	31	These vehicles were detailed on Civil Defence duties.
7.	Pali	146	
8.	Tonk	—	
9.	Bikaner	96	
10.	Kota	70	
11.	Sawaimadhopur	45	
12.	Banswara	—	
13.	Jhalawar	—	

1	2	3	
14.	Chittorgarh	7	
15.	Jalsalmer	47	
16.	Churu	6	
17.	Bhilwara	20	
18.	Alwar	6	
19.	Udaipur	20	
20.	Ajmer	—	
21.	Sikar	75	
22.	Jodhpur	172	
23.	Jaipur	397 Includes 318 vehicles requisitioned in other districts as under:—	
		Ajmer	43
		Kota	48
		Bharatpur	62
		Alwar	50
		Tonk	39
		Sikar	30
		Sawai Madhopur	46
24.	Bharatpur		19
25.	Bundi		—
26.	Dungarpur		—

परिशिष्ट 6

(अ. ता. प्र. सं. 101 की सूची)

परिशिष्ट (अ)

क्र० संख्या 1	फाइल संख्या 2	अभियुक्त का नाम व पद 3	आरोप 4	वास्तविक स्थिति 5	विशेष विवरण 6
1	15/69	श्री ब्रह्मदत्त, नायब तहसीलदार लाडनूं ।	मुल्जिम 100) रु० रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।	अभियोजन स्वीकृति अध्यक्ष, राजस्व मण्डल से उनके पत्रांक 27193-97, दि० 18-12-68 द्वारा प्राप्त हुई है।	न्यायालय में चालान पेश करने के आदेश दिये जा चुके हैं और मामले का चालान पेश कर दिया है।
2	89/60	सर्व श्री चेनाराम, प्रधान व पूरनराम, सरपंच, पंचायत समिति, डीडवाना ।	अपने पद का दुरुपयोग कर 1100) रु० रिश्वत प्राप्त करना ।	—	अभियोजन स्वीकृति का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।
3	ग (1) 309/68	परिवाद विरुद्ध जलदाय विभाग, लाडनूं ।	अधिकारियों द्वारा श्री दीपचन्द पहाड़िया से 20,000) रु० का कुआ खरीद कर उस पर चौकीदार व बिजली का खर्च राज्य सरकार द्वारा किया जाता है किन्तु उसका पानी श्री पहाड़िया के काम में आता है।	जांच जारी है और शीघ्र ही पूर्ण की जाकर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।	

1	2	3	4	5	6
4	ग (1) 217/67 ग (1) 35/68	श्री चौथाराम, सरपंच, ग्राम पंचायत, चन्दराई, तहसील लाडनूं ।	बीज गोदाम बनाने हेतु दिये गये अनुदान का गबन कर गोदाम के बजाय अपने स्वयं के मकान का निरीक्षण व एस्टीमेट करवाने के आरोप ।	जांच जारी है और शीघ्र ही पूर्ण की जायेगी ।	
5	ग (1) 259/67	विकास अधिकारी, पंचायत समिति, लाडनूं ।	अभिलेखों में अदल बदल व अनियमिततायें करना आदि ।	उपर्युक्त	आरोप सिद्ध नहीं पाये गये, नस्तीबद्ध करदी गई है ।

परिशिष्ट-7

(ग्र० प्र० सं० 106 की सूची)

(परिशिष्ट ब)

पंजीयन के समय सदस्य संख्या

1. श्री गंगासिह पुत्र महताबसिह राजपुरा
2. ,, भंवरसिह पुत्र नत्थूसिह ,,
3. ,, देवीसिह पुत्र गैंदासिह ,,
4. ,, रामसिह पुत्र गंगासिह ,,
5. ,, हरदानसिह पुत्र श्योनाथसिह ,,
6. ,, रामसिह पुत्र हरदानसिह ,,
7. ,, नवलसिह पुत्र बोदनसिह ,,
8. ,, गोपी पुत्र छोटू ,,
9. ,, किशनलाल पुत्र रामचन्द्रा ,,
10. ,, हरबक्स पुत्र गोपाल ,,

इस समय समिति के निम्न सदस्य हैं:—

1. श्री गंगासिह
2. ,, भंवरसिह
3. ,, देवीसिह
4. ,, हरदानसिह
5. ,, रामसिह
6. ,, गोपीलाल
7. ,, रामसिह
8. ,, मेला पुत्र कटडा
9. ,, टोड्या पुत्र घासी
10. ,, श्योदान पुत्र शुकला
11. ,, रामचन्द्र चोहान
12. ,, श्रीलाल पुत्र किशनसिह

परिशिष्ट 8

(अ. प्र. सं. 109 की सूची)

सूचनाओं का ब्यौरा

प्रश्न सं० 1 का उत्तर:—

	वर्ष 66-67	वर्ष 67-68	वर्ष 68-69
1. आमद	13,130/-	16,661/-	17,157/-
2. व्यय	11,994/-	12,126/-	16,327/-
3. पानी की दर:—			
प्रथम मंजिल	1/- रु. प्रति टीन प्रति माह	1 रु० प्रति टीन प्रति माह	1 रु० प्रति टीन प्रति माह
द्वितीय मंजिल	1.25 प्र. टीन प्रति माह	1.25 प्र. टीन प्रति माह	1.25 प्र. टीन प्रति माह
4. वर्ष के ग्राहकों की संख्या:—			
अप्रैल	213	243	271
मार्च	230	268	309

प्रश्न सं० 2 का उत्तर।—

योजना चालू है अप्रैल से दिसम्बर, 69 तक के आय व्यय निम्न प्रकार से हैं:—

आय 19,363/ व्यय 10,656/

पानी की दर अप्रैल, 69 से जून, 69 तक:—

प्रथम मंजिल 1 रु. प्रति टीन प्रति माह
द्वितीय मंजील 1.25 प्रति टीन प्रति माह

जुलाई, 69 से मोजूदा समय तक 1.25 प्रति टीन प्रथम मंजिल
1.50 प्रति टीन द्वितीय मंजिल

ग्राहकों की संख्या अप्रैल, 69 में 326 व दिसम्बर 69 में 333 थी ।

शुद्धि-पत्र

(बृहस्पतिवार, दिनांक 22 जनवरी, 1970)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
1	2		3	4
1	अन्तिम से	8	अगे	आगे
"	"	4	मत्री	मन्त्री
2	"	8	नहु	नहीं
3		5	अभयन्ता	अभियन्ता
"		14	श्री श्रवरलाल	श्री श्रवणलाल
"	अन्तिम से	7	मस्ट	मास्टर
4		3	एक्चुपल	एक्चुअल
"		5	सम्बधित	सम्बन्धित
5	अन्तिम से	1	ी माधोसिह	श्री माधोसिंह
6		14	हाइवे नं. 1 की मील 51 से 51 के	हाईवे नं. 11 की मील 51 से 57 के
12		18	श्रा अमीनुद्दीन अहमद	श्री अमीनुद्दीन अहमद
13		7	गटटी	गिट्टी
14	अन्तिम से	16	श्रा दौलतराम सारण	श्री दौलतराम सारण
,,	"	10	लगे	लेंगे
15		11	निवदन	निवेदन
"		13	ाशकायतें	शिकायतें
19		18	ि ये	दिये
20	अन्तिम से	6	श्र अमृतलाल यादव	श्री अमृतलाल यादव
22	"	14	साननीय	माननीय
25		7	श्री मोहनवाल मार्को	श्री मोहनलाल मोदी

1	2	3	4
28	10	पुलीस	पुलिस
31	अन्तिम से 2	श्री जयनारायण सालोविया	श्री जयनारायण सालोदिया
37	20	मन्त्रिमण्डल	मन्त्रिमण्डल
38	5	किसा	किसी
41	7	पाइंट के आफ व्यू	के पाइंट ऑफ व्यू
42	अन्तिम से 7	क्वेशन	क्वेश्चन
"	" 5	अनक	अनेक
45	अन्तिम से 10	स्वीकुति	स्वीकृति
"	" 8	श्री रघनाथ विश्नोई	श्री रघुनाथ विश्नोई
47	7	बावजद	बावजूद
64	अन्तिम से 2	निोध	निरोध
71	" 13	क्राप	कृपा
79	15	काण	कारण
84	13	उलख	उल्लेख
"	17	वक	बैंक
"	"	सलग	संलग्न
85	14	डा. हीरा लल मेहता	डा. हीरालाल मेहता
86	7	क	के
"	11	चप सी	चपरासी
92	अन्तिम से 4	श्री रामानन्द अग्राल	श्री रामानन्द अग्रवाल
94	6	अभिभाशण	अभिभाषण
"	14	महदय	महोदय
"	18	उठने	उठाने
"	अन्तिम से 11	रहा	रही
101	5	बठकर	बैठकर
"	अन्तिम	अध्यक्षपाठ	अध्यक्षपीठ
"	"	आकत	अंकित
109	18	उदयपर विधेयक	उद्यीयन विधेयक
110	अन्तिम से 12	राकने	रोकने
116	" 10	सपेन्डेड	सस्पेन्डेड

3

1	2	3	4
119	शीर्ष	(श्री केदानाथ)	(श्री केदारनाथ)
"	अन्तिम से 13	। म्पाउन्ड	कम्पाउन्ड
121	8	डी. एम. पी.	डी. एस. पी.
"	19	अधिकारि	अधिकारी
123	8	सिपाई	सिपाही
137	अन्तिम से 14	श्री रामानन्द अग्रवाल	श्री रामानन्द अग्रवाल
140	10	श्री फतासंह	श्री फतेहसिंह
144	अन्तिम से 12	थी	थी
145	" 7	सरकर	सरकार
147	" 12	श्री देवीदत गाड़िया	श्री देवीदत्त गाड़िया
148	13	श्री हुरीदेव जोशी	श्री हरिदेव जोशी
154	8	3 बने कर 2 मिनट कर	3 बजकर 2 मिनिट पर
156	8	घसाट	घसीट
168	अन्तिम से 4	श्री मोहनलाख सुखाड़िमा	श्री मोहन लाल सुखाड़िया
183	5	श्री मरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
194	अन्तिम से 4	करने लिये	करने के लिये
199	16	सत्य कि	सत्य है कि